

# क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना

ग्राम पंचायत- बलीपट्टी रानी गांव

पर्यावरण, वन एवं जलवायु  
परिवर्तन विभाग

उत्तर प्रदेश सरकार







# क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना



फरुखाबाद

ग्राम पंचायत- बलीपट्टी रानी गांव

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
उत्तर प्रदेश सरकार



## प्रकाशन

पर्यावरण निदेशालय, उत्तर प्रदेश (डीओई) (DOE) एवं उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

ईमेल: doeuplko@yahoo.com वेबसाइट: upenv.upsdc.gov.in

## तकनीकी सहयोग

वसुधा फाउंडेशन

गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप (जीईएजी)

## मार्गदर्शन

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार

श्री मनोज सिंह, आईएएस, अपर मुख्य सचिव

श्री आशीष तिवारी, आईएफएस, सचिव

## जिला प्रशासन

डॉ विजय कुमार सिंह, आईएएस, जिला मजिस्ट्रेट (डीएम), फर्रुखाबाद

श्री अरविन्द कुमार मिश्र, आईएएस, मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ), फर्रुखाबाद

## वसुधा फाउंडेशन

श्री श्रीनिवास कृष्णास्वामी, सीईओ

श्री रमन मेहता, कार्यक्रम निदेशक

डॉ. एस. सतपथी, विशेषज्ञ परामर्शदाता

## गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप

डॉ. शिराज़ वजीह, अध्यक्ष

## लेखक

### वसुधा फाउंडेशन

सुश्री कृति लूथरा, सुश्री वसुन्धरा सिंह, सुश्री शिविका सोलंकी, सुश्री रिनी दत्त

### गोरखपुर एनवायर्नमेंटल एक्शन ग्रुप

श्री विजय कुमार पांडे एवं श्री के. के. सिंह

## शोध समर्थन

### वसुधा फाउंडेशन

डॉ. प्रीति सिंह, श्री नवीन कुमार, सुश्री मोनिका चक्रवर्ती, सुश्री फातिमा सैला

### बलीपट्टी रानी गांव ग्राम पंचायत

सुश्री शशीप्रभा शुक्ला, ग्राम प्रधान

## क्षेत्र शोध

### विनोबा सेवा आश्रम, बरतारा शाहजहाँपुर

श्री मुदित कुमार, श्री संजीव प्रकाश, श्री जे.डी. अग्निहोत्री, श्री अमर सिंह

## डिज़ाइन एवं लेआउट

### वसुधा फाउंडेशन

श्री रोहिण कुमार, श्री संतोष कुमार सिंह, सुश्री स्वाति बंसल, सुश्री प्रिया कालिया







—:: संदेश ::—

ग्राम पंचायतों को जलवायु सजग ग्राम पंचायत बनाने हेतु समर्पित क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत-बलीपट्टी रानी गाँव, विकास खण्ड राजेपुर, जनपद फर्रुखाबाद की कार्ययोजना हेतु संदेश लिखते हुए मुझे बहुत सम्मानका अनुभव हो रहा है। जैसा कि हम जलवायु के परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों को देख रहे हैं, हमारे लिए जमीनी स्तर पर तत्काल और व्यापक कार्यवाही किये जाने की आवश्यकता है। हमारी ग्राम पंचायतें समुदाय के निकटतम शासन की एक आवश्यक इकाई होने के कारण जलवायु संबंधी चुनौतियों को कम करने और सतत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हमारे समुदाय, हमारी पारिस्थितिकी तंत्र और हमारी अर्थ व्यवस्था आपस में जुड़े हैं और हमारे लिए ऐसी रणनीतियों को अपनाना आवश्यक है जो जलवायु से जुड़े जोखिमों को कम करती हो।

ग्राम पंचायतों हेतु तैयार यह कार्ययोजना जलवायु पर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है तथा जो पंचायतों को क्लाइमेट स्मार्ट पंचायत बनाने के लिए एक मार्ग दर्शक के रूप में कार्य करेगी।

मैं इस क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना निर्माण के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोगी वसुधा फाउंडेशन नई दिल्ली, स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी.) गोरखपुर को धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि निर्मित कार्ययोजना ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने में सहयोगी होगी।

।। शुभकामनाओं सहित ।।

भवनिष्ठ,  
27.09.2024  
(डा० वी०के० सिंह)





अरविन्द कुमार मिश्र  
(आई.ए.एस.)



मुख्य विकास अधिकारी  
जनपद फर्रुखाबाद  
उत्तर प्रदेश।  
पत्रांक:- 1192  
दिनांक:- 25-9-2024

**:: संदेश ::**

जिस प्रकार हम और हमारी ग्राम पंचायतें जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर रही हैं। उसमें यह कार्ययोजना सहयोगी होगी। स्मार्ट और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देकर हमारा लक्ष्य एक ऐसा मॉडल तैयार करना है जो न केवल हमारे पर्यावरण की रक्षा करे बल्कि समुदाय के समग्र कल्याण को भी बढ़ावा दें।


यह कार्ययोजना ग्राम पंचायतों में संवाद, सहयोग और क्रियान्वयन को प्रेरित करेगी। इसके साथ ही हम सब मिलकर जलवायु नीतियों को प्रभावी रूप से लागू कर सकते हैं तथा स्थायी लक्ष्यों को अपना सकते हैं और एक ऐसे भविष्य का निर्माण कर सकते हैं जो न केवल पर्यावरणीय रूप से मजबूत हो बल्कि समाजिक रूप से भी न्याय संगत हो।

मैं क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत-बलीपट्टी रानीगाँव विकास खण्ड राजेपुर जनपद फर्रुखाबाद की कार्ययोजना विकसित करने में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश के तकनीकी सहयोगी वसुधा फाउंडेशन नई दिल्ली स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी.) गोरखपुर उत्तर प्रदेश के समर्पित प्रयासों के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।

एक बार पुनः क्लाइमेट कार्य योजना तैयार करने में अमूल्य योगदान के लिये मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ तथा योजना के सफल कार्यान्वयन और समुदाय एवं पर्यावरण पर इसके सकारात्मक प्रभाव की आशा करता हूँ।

॥ शुभकामनाओं सहित ॥

भवदीय

  
(अरविन्द कुमार मिश्र)



कार्यालय ग्राम पंचायत बलीपट्टी रानीगांव पोस्ट अमृतपुर  
विकास खण्ड राजेपुर, जनपद फर्रुखाबाद-209622

पत्रांक 49/क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्य योजना /2024

दिनांक:-25.09.2024

मेसर्स वसुधा फाउंडेशन, नई दिल्ली  
एवं गोरखपुर एनवायामेंट एक्शन ग्रुप, गोरखपुर।

**आभार**



सर्वप्रथम आप सभी को प्रधान, ग्राम पंचायत बलीपट्टी रानीगांव, विकास खण्ड राजेपुर, जनपद फर्रुखाबाद की ओर से सादर नमस्कार और अभिनंदन। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सभी स्वास्थ्य होंगे। मैं अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की ओर हेतु बढ़ाये गये प्रथम कदम प्रयास को आपसे साझा करते हुए रोमांचित हूँ एवं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ।

जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों हर दिन अधिक स्पष्ट होती जा रही है और हमारे समुदाय और भावी पीढ़ियों की भलाई के लिये उन पर कार्य करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इस विषय की गम्भीरता को समझते हुए सभी ग्रामवासियों की सर्वसहमति से हमने अपनी ग्राम पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने की प्रक्रिया को प्रारम्भ किया। सर्वप्रथम आवश्यक था ग्राम पंचायत में जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याओं और मुद्दों की पहचान करना जिसके लिये सामुदायिक सहभागिता के साथ ग्राम सभा की बैठक एवं समूह केन्द्रित चर्चा के आयोजन के अतिरिक्त व्यक्तिगत चर्चा की गयी और आंकड़ों को एकत्र किया गया। आंकड़े एकत्र करने की प्रक्रिया को पंचायत में क्रियान्वित करने के लिये मैं स्थानीय सहयोगी संस्था गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप (जी.ई.ए.जी), गोरखपुर के द्वारा आंकड़े एकत्र करने में हमारे सभी ग्रामवासियों के समर्थन और सक्रिय भागीदारी के लिये हृदय से धन्यवाद। हम सभी साथ मिलकर हमारी पंचायत में एक पर्यावरण अनुकूल वातावरण बनायेंगे जो न केवल हमारे प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करेगा अपितु प्रत्येक ग्रामीण के जीवन की समग्र गुणवत्ता को भी बढ़ायेगा।

इसके साथ ही मैं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश और तकनीकी सहयोगी पार्टनर वसुधा फाउंडेशन, नई दिल्ली, का भी आभारी हूँ जिन्होंने एकत्र किये गये आंकड़ों को कार्ययोजना का स्वरूप दिया तथा मार्गदर्शन एवं तकनीकी सहयोग प्रदान किया।

मैं सभी ग्रामवासियों अपनी पंचायत को क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनाने के लिये हाथ मिलाकर आगे बढ़ने का आग्रह करता हूँ। आइये हम सभी एक सकारात्मक बदलाव की ओर आगे बढ़ें और दूसरों के लिये उदाहरण स्थापित करें।

**धन्यवाद !**

शशीप्रभा शुक्ला  
(शशीप्रभा शुक्ला)

प्रधान/अध्यक्ष

ग्राम पंचायत बलीपट्टी रानीगांव  
पि० ख० राजेपुर (फर्रुखाबाद)



# विषय सूची

1	कार्यकारी सारांश	1
2	ग्राम पंचायत की रूपरेखा	4
	▪ बलीपट्टी रानी गांव ग्राम पंचायत एक नज़र में	4
	▪ जलवायु परिवर्तनशीलता प्रोफ़ाइल	5
	▪ प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ	6
	▪ कार्यरत महिलाएं	7
	▪ कृषि	8
	▪ प्राकृतिक संसाधन	8
	▪ बलीपट्टी रानी गांव में सुविधाएं	9
3	कार्बन फुटप्रिंट	10
4	व्यापक मुद्दे	11
5	प्रस्तावित सुझाव	12
	1. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प	13
	2. सतत कृषि	18
	3. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना	23
	4. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	27
	5. सतत एवं उन्नत गतिशीलता	32
	6. स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच	35
	7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना	44
6	विचारार्थ अतिरिक्त संस्तुतियों की सूची	48
7	अनुकूलन, सह-लाभ और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ाव	54
8	आगे की राह	59
9	अनुलग्नक	60

# चित्रों की तालिका

चित्र 1: बलीपट्टी रानी गांव ग्राम पंचायत, फर्रुखाबाद जिले का भूमि-उपयोग मानचित्र	5
चित्र 2: बलीपट्टी रानी गांव में वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान, 1990-2020	5
चित्र 3: बलीपट्टी रानी गांव में वार्षिक वर्षा (मिमी), 1990- 2020	6
चित्र 4: बलीपट्टी रानी गांव में पारिवारिक स्तर पर आय के प्राथमिक स्रोत	6
चित्र 5: बलीपट्टी रानी गांव में पारिवारिक स्तर पर आय का वितरण	7
चित्र 6: बलीपट्टी रानी गांव में राशन कार्ड वाले परिवार	7
चित्र 7: बलीपट्टी रानी गांव में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न महिलाओं की संख्या	7
चित्र 8: बलीपट्टी रानी गांव में सकल फ़सल क्षेत्र का फ़सलवार वितरण	8
चित्र 9: 2022 में बलीपट्टी रानी गांव में विभिन्न गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट	10
चित्र 10: 2022 में बलीपट्टी रानी गांव के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी	10



# कार्यकारी सारांश

**फ**र्रुखाबाद जिले की बलीपट्टी रानी गांव ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश के मध्य मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र में स्थित है। बलीपट्टी रानी गांव की क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्य योजना, ग्राम पंचायत (GP) स्तर पर जलवायु संबंधी कार्यवाही को मजबूत करने और 2035 तक इसे क्लाइमेट स्मार्ट/लचीला बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। यह कार्ययोजना ग्राम पंचायत को विशिष्ट रोडमैप/ दिशा प्रदान करती है जिससे पंचायत लचीलापन, अनुकूली क्षमता को बढ़ाने, कमजोरियों और संबंधित जोखिमों को कम करने के साथ ही ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने, अतिरिक्त राजस्व सृजन, समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास, बेहतर स्वास्थ्य और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जैसे अन्य सह-लाभ प्राप्त कर पाएगी।

उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा तैयार क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजनाओं के विकास के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के मसौदे को अपनाकर कार्ययोजना तैयार की गई है। भुजपुरा के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना (सीएसजीपीएपी) इस प्रकार से तैयार की गई है कि इसे बलीपट्टी रानी गांव ग्राम पंचायत की मौजूदा ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के साथ आसानी से और प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जा सकता है।

कार्ययोजना<sup>1</sup> प्रमुख जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं, मध्य मैदानी कृषि-जलवायु क्षेत्र से संबंधित प्रमुख मुद्दों, जलवायु परिवर्तनशीलता, ग्राम पंचायत के कार्बन फुटप्रिंट विश्लेषण और प्राकृतिक संसाधनों की वर्तमान स्थिति से संबंधित प्रमुख मुद्दों को सम्मिलित करती है। कार्य योजना में क्षेत्रीय सर्वेक्षणों, समूह केन्द्रित चर्चाओं और संबंधित सरकारी विभागों और एजेंसियों के माध्यम से एकत्र किए गए बलीपट्टी रानी गांव ग्राम पंचायत के समुदाय के सदस्यों के सुझावों को भी सम्मिलित किया गया है। इससे आधार बनाने और बलीपट्टी रानी गांव के प्रमुख मुद्दों की पहचान करने में मदद मिली है।

जैसा कि क्षेत्रीय सर्वेक्षणों से पता चला है कि ग्राम पंचायत में पांच राजस्व गांव, दो बस्तियां और 610 घर हैं जिनकी कुल जनसंख्या 2,445 है<sup>2</sup>। मुख्य आर्थिक गतिविधियों में पशुपालन और कृषि शामिल हैं। बेसलाइन मूल्यांकन से पता चलता है कि बलीपट्टी रानी गांव ग्राम पंचायत में कार्बन फुटप्रिंट ~1,864 tCO<sub>2</sub>e है।<sup>3</sup>

## दृष्टिकोण

### प्राथमिक सर्वेक्षण टूल तैयार करना

सर्वेक्षण और प्राथमिक आंकड़े को एकत्र करना: पंचायत में सर्वेक्षण का कार्य ग्राम प्रधान और समुदाय के सदस्यों के सहयोग से किया गया। ग्रामीण सहभागी आंकलन (PRA) की गतिविधियों यथा समूह केन्द्रित चर्चा (FGD), गाँव का भ्रमण (ट्रांसेक्ट वॉक), सामाजिक तथा संसाधन मानचित्रण आदि की सहायता एवं निवासियों और समुदाय के सदस्यों के सहयोग से आँकड़ें एकत्र किए गए।

### आंकड़ों का विश्लेषण और योजना तैयार करना:

- **ग्राम पंचायत की रूपरेखा तैयार करना:** सर्वेक्षण प्रश्नावली पर प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर ग्राम पंचायत की विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई। इस रूपरेखा में बलीपट्टी रानी गांव की जनसांख्यिकी, जलवायु परिवर्तनशीलता, प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ, प्राकृतिक संसाधन और पंचायत में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी सम्मिलित हैं।
- **प्रमुख मुद्दों की पहचान:** सर्वेक्षण प्रश्नावली और खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण (HRVCA) में प्राप्त जानकारी के माध्यम से प्रमुख जलवायु, विकासात्मक और पर्यावरणीय मुद्दों की एक विस्तृत सूची की पहचान की गई।
- **कार्बन फुटप्रिंट का अनुमान:** बलीपट्टी रानी गांव में प्रमुख गतिविधियों\* के लिए कार्बन फुटप्रिंट उत्सर्जन का अनुमान लगाया गया।
- **प्रस्तावित गतिविधियां:** पहचाने गए/चिन्हित पर्यावरणीय और जलवायु मुद्दों के आधार पर बलीपट्टी रानी गांव के लिए गतिविधियां/संस्तुतियाँ तैयार की गईं। इन गतिविधियों में मध्य मैदानी क्षेत्र की प्रचलित विशेषताओं को भी ध्यान में रखा गया है। इसके अतिरिक्त, बलीपट्टी रानी गांव की क्षेत्र-वार अनुकूलन आवश्यकताओं और शमन क्षमता का निर्धारण किया गया है।

कार्ययोजना को तैयार करने के दौरान एक सहभागी दृष्टिकोण अपनाया गया। इससे जलवायु विषय पर कार्य करने के लिए समुदाय की क्षमता में वृद्धि होगी, साथ ही स्थानीय स्तर पर स्वामित्व और जवाबदेही की भावना को बढ़ावा मिलेगा।

\*गतिविधियों में शामिल हैं- बिजली की खपत, आवासीय खाना पकाना, डीजल पंप के इस्तेमाल से उत्पन्न उत्सर्जन, परिवहन, फसलों के अवशेष को जलाना, पशुधन उत्सर्जन, उर्वरक उत्सर्जन, धान की खेती और घरेलू अपशिष्ट जल।

1 ग्राम पंचायत कार्ययोजना में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, शमन और गंभीर जोखिम भेद्यता और क्षमता मूल्यांकन (एचआरवीसीए) के पहलू शामिल हैं।

2 जनगणना 2011 आंकड़े: कुल जनसंख्या-1,026

3 इसमें ग्राम पंचायत के भीतर बिजली की खपत के कारण होने वाले उत्सर्जन का दायरा (स्कोप 2) शामिल है (UPPCL से प्राप्त आंकड़े और CEA से ग्रिड उत्सर्जन के कारक)

बलीपट्टी रानी गांव ग्राम पंचायत में तत्काल कार्यवाही के लिए पहचाने गए कुछ प्राथमिक क्षेत्र इस प्रकार हैं:

- बाढ़ के प्रभाव को कम करने और सामुदायिक लचीलापन बढ़ाने के लिए डायवर्सन चैनलों, फिल्टर चेम्बर्स की स्थापना और जल निकायों के आसपास वृक्षारोपण जैसे उपायों को अपनाना।
- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति समुदाय की अनुकूलन क्षमता में सुधार लाने और बाढ़ के प्रभावों का प्रबंधन करने के लिए कृषि तालाबों का निर्माण, मचान खेती और प्राकृतिक कृषि प्रथाओं जैसे सतत कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना।
- बायोगैस और सौर कुकस्टोव जैसे सतत विकल्पों के साथ ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करके पारंपरिक जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना।
- सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप, ऊर्जा कुशल पंप और सोलर रूफटॉप की स्थापना जैसे नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देना।

कमजोर क्षेत्रों, समूह केंद्रित चर्चाओं, क्षेत्र सर्वेक्षणों और ग्राम पंचायत में चल रही गतिविधियों से उभरकर सामने आने वाले मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, गतिविधियां प्रस्तावित की गई हैं। गतिविधियों में जल, कृषि, स्वच्छ ऊर्जा, हरित स्थानों को बढ़ाने, सतत अपशिष्ट प्रबंधन, उन्नत गतिशीलता, और आजीविका और हरित उद्यमिता के विषयगत क्षेत्रों को शामिल किया गया है।

इन संस्तुतियों के अंतर्गत गतिविधियों को 3 चरणों में विभाजित किया गया है - चरण I (2024-2027), चरण II (2027-2030) और चरण III (2030-2035)। चरणबद्ध लक्ष्यों को ग्राम पंचायतों के विवेक के अनुसार आगे वार्षिक लक्ष्यों में विभाजित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, चरण-वार लक्ष्य, संभावित लागत, केंद्रीय और राज्य योजनाओं का समर्थन करने के साथ-साथ सुझाई गई गतिविधियों के लिए वित्तपोषण के रास्ते भी बताए गए हैं।

बलीपट्टी रानी गांव के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्य योजना (सीएसजीपीएपी) को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि इसे बलीपट्टी रानी गांव ग्राम पंचायत की मौजूदा ग्राम पंचायत विकास योजना के साथ आसानी से और प्रभावी रूप से जोड़ा जा सके।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्य योजना (सीएसजीपीएपी) निम्नलिखित द्वारा बलीपट्टी रानी गांव की जीपीडीपी को पूरक और संपूरित करेगी :

- » जलवायु परिपेक्ष्य के साथ मौजूदा विकास पहलों और गतिविधियों को व्यापक आधार देना।
- » जीपीडीपी में प्रस्तावित विकास गतिविधियों के साथ जलवायु परिवर्तन पर चल रहे राष्ट्रीय और राज्य कार्यक्रमों का समन्वय करना।

इस कार्य योजना में हस्तक्षेप और वार्षिक लक्ष्यों को बलीपट्टी रानी गांव की जीपीडीपी की योजनाबद्ध गतिविधियों के साथ जोड़ते हुए लागू किया जा सकता है। जीपीडीपी के अंतर्गत कुछ कार्यक्रमों के लिए निर्धारित मौजूदा आवंटित बजट का उपयोग इस योजना में प्रस्तावित जलवायु अनुकूलन और शमन गतिविधियों के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) जैसी योजनाओं के माध्यम से किए गए जल निकाय कायाकल्प से जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लाभ भी होंगे। इसी प्रकार, ग्यारहवीं अनुसूची (जीपीडीपी के आधार) के 'गैर-पारंपरिक ऊर्जा' विषय के अंतर्गत निर्धारित धनराशि का इस्तेमाल नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए किया जा सकता है।

इस योजना के क्रियान्वयन के माध्यम से कम होने वाली कुल उत्सर्जन मात्रा प्रति वर्ष 3,123 टन कार्बन डाइऑक्साइड समतुल्य (tCO<sub>2</sub>e) होने का अनुमान है, तथा अगले 20-25 वर्षों में पृथक्करण क्षमता 3,64,000 tCO<sub>2</sub> तक बढ़ सकती है। तीन चरणों में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए अनुमानित कुल लागत लगभग ₹54 करोड़ (11 वर्षों के लिए) है, जिसमें सामुदायिक निवेश, सार्वजनिक वित्त, निजी वित्त और संभावित सीएसआर फंडिंग शामिल हैं। इससे आवश्यक धनराशि का 30-35 प्रतिशत (लगभग ₹19 करोड़) केंद्रीय और राज्य योजनाओं/मिशनो/कार्यक्रमों से प्राप्त किया जा सकता है, जबकि शेष लागत सीएसआर और निजी राशियों से प्राप्त की जा सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को संभावित रूप से शामिल करने और निजी वित्त जुटाने के लिए 'पंचायत-निजी-भागीदारी' का एक अभिनव दृष्टिकोण अपनाया है।




# वर्ष 2035 तक क्लाइमेट स्मार्ट और सतत ग्राम पंचायत

जलवायु संबंधी गतिविधियों को विकास कार्यों में शामिल करना



## क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ



## बलीपट्टी रानी गांव

बलीपट्टी रानी गांव ग्राम पंचायत एक नज़र में<sup>4</sup>

	<b>स्थान</b>	राजेपुर ब्लॉक, फर्रुखाबाद जिला		<b>जल संसाधन</b>	7 तालाब गंगा नदी
	<b>कुल क्षेत्रफल</b>	1,052 हेक्टेयर		<b>कृषि जलवायु क्षेत्र<sup>8</sup></b>	मध्य मैदानी जलवायु की स्थिति: मध्यम वर्षा के साथ गर्म गर्मी का मौसम और ठंडी सर्दियों का मौसम न्यूनतम तापमान: 5.5 °C अधिकतम तापमान: 45 °C औसत वार्षिक वर्षा - 863 mm मिट्टी: जलोढ़ मिट्टी गेहूं और सब्जियों जैसी फसलों के लिए उपयुक्त है
	<b>संयोजन</b>	5 राजस्व गांव 2 बस्तियां			
	<b>कुल जनसंख्या<sup>5</sup></b>	2,445			
	<b>पुरुषों की संख्या</b>	1,287			
	<b>महिलाओं की संख्या</b>	1,158			
	<b>कुल परिवार<sup>6</sup></b>	610		<b>जिले की समग्र<sup>9</sup> भेद्यता</b>	अधिक
	<b>पंचायत अवसंरचना</b>	4 (पंचायत भवन, 2 प्राथमिक विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र)		<b>जिले की क्षेत्रीय भेद्यता</b>	आपदा प्रबंधन की भेद्यता: अधिक ग्रामीण विकास भेद्यता: अधिक स्वास्थ्य भेद्यता: अधिक ऊर्जा भेद्यता: अधिक वन भेद्यता: मध्यम जल भेद्यता: मध्यम कृषि भेद्यता: कम
	<b>प्राथमिक आर्थिक गतिविधियां</b>	पशुपालन और कृषि			
	<b>भूमि-उपयोग<sup>7</sup></b>	कृषि भूमि 1,012 हेक्टेयर सार्वजनिक भूमि 0.4 हेक्टेयर शेष भूमि 39.6 हेक्टेयर (बस्तियां और जल निकाय)			

4 योजना को तैयार करने के लिए किए गए फ़ील्ड सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े (फरवरी, 2023)


5 जनगणना 2011 के आंकड़े: कुल जनसंख्या - 1,026; पुरुष - 531; महिला - 495

6 प्राथमिक फ़ील्ड सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के आधार पर-538 पक्के घर और 72 (मिट्टी, फूस, टिन) कच्चे घर

7 प्राथमिक फ़ील्ड सर्वेक्षण से प्राप्त जानकारी के आधार पर

8 उत्तर प्रदेश कृषि विभाग


9 उत्तर प्रदेश एसएपीसीसी 2.0



**चित्र 1:** बलीपट्टी रानी गांव ग्राम पंचायत, फर्रुखाबाद जिले का भूमि उपयोग मानचित्र


## जलवायु परिवर्तनशीलता प्रोफ़ाइल

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी)<sup>10</sup> से प्राप्त जलवायु परिवर्तनशीलता के आँकड़ें (तापमान और वर्षा) दर्शाते हैं कि 1990 और 2020 के बीच क्षेत्र में वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान बढ़ा है (चित्र 2 देखें)। 2020 में, 1990 की तुलना में औसत वार्षिक अधिकतम तापमान 0.51 डिग्री सेल्सियस और औसत वार्षिक न्यूनतम तापमान 0.47 डिग्री सेल्सियस अधिक था। इसी समय सीमा के दौरान, वार्षिक वर्षा में बढ़ोत्तरी की प्रवृत्ति दिखती है जिसका अर्थ कम दिनों में अधिक तीव्र वर्षा से है (चित्र 3 देखें)। हालांकि, आईएमडी के आंकड़े पंचायत स्तर पर तापमान में होने वाली व्यापक परिवर्तनशीलता को नहीं दर्शाते हैं तथा इसके अलावा, कुछ ऐसे दिन भी हैं जिनके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।



**चित्र 2:** बलीपट्टी रानी गांव में वार्षिक औसत अधिकतम और न्यूनतम तापमान, 1990-2020

10 दैनिक तापमान (अधिकतम एवं न्यूनतम) डेटा तथा दैनिक वर्षा डेटा निकटतम निगरानी स्टेशन हरदोई से लिया गया।



**चित्र 3:** बलीपट्टी रानी गांव में वार्षिक वर्षा (मिमी), 1990-2020

विश्व मौसम विज्ञान संगठन की एक हालिया रिपोर्ट बताती है कि 1991 से 2023 के बीच एशियाई भूमि और महासागर की तुलना में औसत से अधिक तेजी से गर्म हुआ है और 2010-2020 के दशक में दक्षिण एशिया के बड़े हिस्से में गर्म दिनों में स्पष्ट वृद्धि हुई है<sup>11</sup>। इसी तरह के निष्कर्षों की पुष्टि जलवायु परिवर्तन से संबंधित अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी)<sup>12</sup> और पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार (एमओईएस)<sup>13</sup> द्वारा भी की गई है।


इसके अतिरिक्त, क्षेत्र सर्वेक्षण और समूह केंद्रित चर्चा से प्राप्त मौसम परिवर्तन पर समुदायों की धारणा से पता चलता है कि 2010-2020 के दशक में, ग्राम पंचायत में गर्मियों के दिनों की संख्या में 45 दिनों की वृद्धि और सर्दियों के दिनों की संख्या में लगभग 30 दिनों की कमी देखी गई है। उनसे यह भी पता चला कि बारिश के दिनों की संख्या में भी लगभग 30 दिनों की कमी आई है।<sup>14</sup>

ग्राम पंचायत के लिए किए गए जलवायु परिवर्तनशीलता के विश्लेषण में ग्राम पंचायत में प्रचलित जलवायु परिवर्तनशीलता के संतुलित दृष्टिकोण को सामने लाने के लिए आईएमडी के आंकड़ों के साथ-साथ सामुदायिक धारणा दोनों को भी ध्यान में रखा गया।

## प्रमुख आर्थिक गतिविधियाँ

पंचायत में पशुपालन और कृषि आय के प्राथमिक स्रोत हैं, जिसमें लगभग 66 प्रतिशत परिवार संलग्न हैं (चित्र 4 देखें)। इसके बाद 23 प्रतिशत परिवार गैर-कृषि मजदूरी से जुड़े हुए हैं। शेष परिवार सेवा क्षेत्र, स्थानीय व्यवसायों, कुटीर उद्योग आदि में संलग्न हैं।

प्राथमिक सर्वेक्षण में पारिवारिक स्तर की आय के अनुमानों से पता चलता है कि बड़ी संख्या में परिवार (53 प्रतिशत) प्रति वर्ष ₹50,000 से कम कमाते हैं, जबकि कम संख्या में परिवार (4 प्रतिशत) ₹5,00,000 से अधिक कमाते हैं। (चित्र 5 देखें)



**चित्र 4:** बलीपट्टी रानी गांव में पारिवारिक स्तर पर आय का प्राथमिक स्रोत

राशन कार्ड के आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग 47 प्रतिशत परिवार सार्वजनिक वितरण योजनाओं से लाभान्वित होते हैं और उनके पास राशन कार्ड हैं। इनमें से, लगभग 73 परिवारों के पास अंत्योदय कार्ड हैं<sup>15</sup> (चित्र 6 देखें)।


11 एशिया में जलवायु की स्थिति 2023 (wmo.int)

12 AR6 संश्लेषण रिपोर्ट: जलवायु परिवर्तन 2023 (ipcc.ch)


13 भारतीय क्षेत्र पर जलवायु परिवर्तन का आकलन: पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES), भारत सरकार की एक रिपोर्ट <https://link.springer.com/book/10.1007/978-981-15-4327-2>

14 योजना तैयार करने के लिए किए गए फ़ील्ड सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़े

15 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल <https://nfsa.up.gov.in/Food/citizen/ReportNikayWise.aspx?val=NCMxNDkjUiMwMDE5OTIjMDU5NTYx>




**चित्र 5 :** बलीपट्टी रानी गांव में पारिवारिक स्तर पर आय का वितरण



**चित्र 6 :** बलीपट्टी रानी गांव में राशन कार्ड वाले परिवार

## कार्यरत महिलाएं

फील्ड सर्वेक्षण में बताया गया कि बलीपट्टी रानी गांव ग्राम पंचायत में 484 कामकाजी महिलाएं हैं। ये महिलाएं ज्यादातर पशुपालन और कृषि में संलग्न हैं। बहुत कम महिलाएं सिलाई, शिक्षण, बैंकिंग और सरकारी नौकरियों जैसे सेवा क्षेत्र में संलग्न हैं (चित्र 7 देखें)। यहां 60 परिवार ऐसे हैं जिनकी मुखिया महिलाएं हैं, जो ग्राम पंचायत में कुल परिवारों का केवल ~10 प्रतिशत है।<sup>16</sup> फ़ील्ड सर्वेक्षण यह भी दर्शाता है कि पंचायत में दो स्वयं सहायता समूह हैं जो सिलाई की गतिविधियों में शामिल हैं।




**चित्र 7:** बलीपट्टी रानी गांव में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न महिलाओं की संख्या

16 महिला-मुखिया परिवार वे परिवार होते हैं जहां महिलाएं एकमात्र/मुख्य कमाने वाली होती हैं।

## कृषि

ग्राम पंचायत में 32 प्रतिशत परिवार अपनी जीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं जैसा कि चित्र 4 में दर्शाया गया है। ये परिवार विभिन्न तरीकों से कृषि में लगे हुए हैं- जैसे कि बटाई पर लेना, मजदूरी करना, अपनी जमीन पर खेती करना आदि।

ग्राम पंचायत में उपलब्ध कुल कृषि भूमि ~ 1,012 हेक्टेयर है। ग्राम प्रधान और क्षेत्र सर्वेक्षण की जानकारी से पता चलता है कि मानसून की बाढ़ के कारण एक हिस्से में खेती नहीं की जाती है, इसलिए वर्तमान कुल-फसली क्षेत्रफल 969 हेक्टेयर है। उगाई जाने वाली प्रमुख खरीफ फसलें गन्ना (~ 2,023 क्विंटल), धान (~ 121 क्विंटल) और मूंगफली (~ 90 क्विंटल) हैं। उगाई जाने वाली प्रमुख रबी फसलें हैं - गेहूँ (~8,093 क्विंटल), जौ (~404 क्विंटल) और आलू (~323 क्विंटल)। ग्राम पंचायत में उगाई जाने वाली अन्य फसलों में मक्का, सरसों और उड़द शामिल हैं। सिंचाई का मुख्य स्रोत बोरवेल है। सिंचाई के लिए 210 डीजल पंप और 6 सोलर पंप का उपयोग किया जाता है।



चित्र 8 : बलीपट्टी रानी गांव में सकल फसल क्षेत्र का फसलवार वितरण

इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत की 34 प्रतिशत आबादी पशुपालन में संलग्न हुई है। कुल पशुधन आबादी 1,350 (250 गाय, 300 भैंस, 400 बकरियां और 400 भेड़) है।

## प्राकृतिक संसाधन

फ्रील्ड सर्वेक्षण के अनुसार बलीपट्टी रानी गांव में 2.24 हेक्टेयर भूमि पर फैले सात तालाबों और गंगा नदी सहित 8 जल निकाय हैं। मनरेगा के माध्यम से वृक्षारोपण की गतिविधियां की गई हैं और कुल 8 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया है। वर्तमान में, इन वृक्षारोपण में पीपल, बरगद, आम और पकरिया (फिकस विरेंस) पेड़ की प्रजातियां उगाई जाती हैं।<sup>17</sup>

17 फ्रील्ड सर्वेक्षण/समुदाय से प्राप्त जानकारी के अनुसार

## बलीपट्टी रानी गांव में सुविधाएं

### बिजली और घरेलू गैस ( एलपीजी )

- बिजली कनेक्शन : 100% घर
- रसोई गैस कनेक्शन - 65% घर

### जल

- घरेलू उपयोग और ग्राम पंचायत स्तर की आपूर्ति हेतु पानी का मुख्य स्रोत: भूजल
- घरों में पाइप से जलापूर्ति: 100%

### अपशिष्ट

- खुले में शौच से मुक्त (ODF) का दर्जा: प्राप्त
- घरेलू शौचालय कवरेज: 51%

### आवागमन एवं बाज़ार तक पहुंच



- राजकीय राज्य राजमार्ग (SH 43): 500 मीटर
- निकटतम रेलवे स्टेशन, फर्रुखाबाद: 8 किमी
- ग्राम पंचायत के भीतर सरकारी राशन की दुकान
- डाकघर : 2.5 किमी

### शैक्षिक संस्थान

- प्राथमिक विद्यालय, बलीपट्टी रानी गांव
- प्राथमिक विद्यालय, रतनपुर अमरोहा

### स्वास्थ्य संस्थान


- आंगनवाड़ी केंद्र
- सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र : 1.5 किमी



हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों से कार्बन फुटप्रिंट (दूसरे शब्दों में, ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन) महत्वपूर्ण नहीं है, यह अभ्यास ग्राम पंचायत की संपूर्ण आधार रेखा विकसित करने के लिए किया गया है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस कार्ययोजना का उद्देश्य कार्बन न्यूट्रल ग्राम पंचायत नहीं, अपितु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकसित करना है। हालाँकि, गतिविधियों में उत्सर्जन में कमी के लाभ को सम्मिलित किया गया है जो कहीं न कहीं ग्राम पंचायत को कार्बन न्यूट्रल बनाने या हवा में कार्बन से होने प्रदूषण को लगभग समाप्त करने में मदद करेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस अभ्यास में ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) के अनुमानों को सम्मिलित नहीं किया गया है।


इसके अतिरिक्त, कार्बन फुटप्रिंट, LiFE मिशन के सिद्धांतों के अनुरूप सतत विकास को सुनिश्चित करने हेतु अनुशासित प्रदान करने में भी सहायता करता है। कुल मिलाकर, 2022 में, बलीपट्टी रानी गांव ग्राम पंचायत ने विभिन्न गतिविधियों से ~1,864 टन कार्बन डाइऑक्साइड समकक्ष (tCO<sub>2</sub>e) उत्सर्जित किया गया है (चित्र 9 देखें)।

कृषि, ऊर्जा और अपशिष्ट क्षेत्रों की गतिविधियों ने बलीपट्टी रानी गांव के कार्बन फुटप्रिंट में योगदान दिया है। कृषि क्षेत्र में होने वाले उत्सर्जन में धान की खेती, कृषि क्षेत्रों में उर्वरक का प्रयोग, पशुधन और खाद प्रबंधन से होने वाला उत्सर्जन, तथा फसल अवशेष जलाने से होने वाला उत्सर्जन शामिल है। ऊर्जा क्षेत्र से होने वाला उत्सर्जन बिजली की खपत<sup>18</sup>, खाना पकाने के लिए लकड़ी और रसोई गैस का इस्तेमाल, सिंचाई के लिए डीजल पंपों का इस्तेमाल, पावर बैकअप के लिए जनरेटर का इस्तेमाल और परिवहन के विभिन्न साधनों में जीवाश्म ईंधन (पेट्रोल/डीजल) के इस्तेमाल के कारण होता है। घरेलू अपशिष्ट जल के कारण होने वाले उत्सर्जन को अपशिष्ट क्षेत्र में शामिल किया गया है।



चित्र 9: 2022 में बलीपट्टी रानी गांव में विभिन्न गतिविधियों का कार्बन फुटप्रिंट

कुल उत्सर्जन में ऊर्जा क्षेत्र का योगदान लगभग 54 प्रतिशत है। इस क्षेत्र में, परिवहन प्रमुख उत्सर्जक (342 tCO<sub>2</sub>e) है, इसके बाद आवासीय खाना पकाने (~232 tCO<sub>2</sub>e), डीजल पंप (~220 tCO<sub>2</sub>e) बिजली की खपत (~128 tCO<sub>2</sub>e) और आवासीय जनरेटर (~75 tCO<sub>2</sub>e) का स्थान है। कृषि क्षेत्र में कुल उत्सर्जन का 41 प्रतिशत हिस्सा है, जिसमें पशुधन (~403 tCO<sub>2</sub>e) और धान की खेती (~138 tCO<sub>2</sub>e) ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन के प्रमुख कारण हैं। कुल उत्सर्जन में अपशिष्ट क्षेत्र का योगदान 5 प्रतिशत है।



चित्र 10: 2022 में बलीपट्टी रानी गांव के कार्बन फुटप्रिंट में क्षेत्रों की हिस्सेदारी

18 बिजली की खपत के कारण होने वाले उत्सर्जन को स्कोप 2 उत्सर्जन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि बिजली उत्पादन के लिए ईंधन (कोयला) का दहन ग्राम पंचायत की सीमा के बाहर होता है



**ग्रा**म पंचायत के व्यापक मुद्दों की पहचान ग्राम पंचायत के एकत्र आंकड़ों और पंचायत की एक बेसलाइन तैयार करने के लिए आंकड़ों के किए गए विश्लेषण, कृषि-जलवायु क्षेत्र की अंतर्निहित विशेषताओं, जिसमें ग्राम पंचायत स्थित है, के साथ-साथ क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान समुदाय के सदस्यों से प्राप्त जानकारी और समूह केन्द्रित चर्चा के आधार पर की गयी है।

जहां भी संभव हो सका है, इस जानकारी की पुष्टि उपलब्ध सरकारी आंकड़ों/स्रोतों से की गई है। हालाँकि, कुछ मुद्दे पूरी तरह से समुदाय से प्राप्त जानकारी पर आधारित हैं क्योंकि इनके लिए ग्राम पंचायत स्तर के आंकड़ें पुष्टि के लिए उपलब्ध नहीं थे। ग्राम पंचायत में पहचाने गए मुद्दों को नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा, विस्तृत मुद्दों को प्रस्तावित सुझावों वाले अनुभाग के संबंधित विषयों में सूचीबद्ध किया गया है।

### व्यापक मुद्दे:

- जुलाई से अक्टूबर के महीनों में बाढ़ की लगातार घटना के कारण पानी का प्रदूषण और जलभराव की समस्या होती है
- जल निकायों का खराब रखरखाव
- सीमित स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाएं
- खराब सड़क बुनियादी ढांचे के कारण सीमित आवागमन
- मौसम की अवधि में परिवर्तन और अनियमित वर्षा के कारण ग्राम पंचायत में अन्य प्रभावों के साथ-साथ फसलों की बुवाई का समय, कटाई का समय और सिंचाई की जरूरतें प्रभावित हो रही हैं।
- अस्थायी कृषि और पशुपालन की पद्धतियाँ
- खाना पकाने, सिंचाई और परिवहन की आवश्यकताओं के लिए जीवाश्म ईंधन और पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता
- जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में जानकारी का अभाव
- स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन पर केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता का अभाव

प्रत्येक विषयगत मुद्दे में कई गतिविधियों को शामिल किया गया है, जिसमें शमन और अनुकूलन दोनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है जो पिछले अनुभाग में पहचाने गए प्रमुख मुद्दों को संबोधित करता है। हस्तक्षेपों का वर्णन **चरणबद्ध लक्ष्यों** और **लागत अनुमानों**<sup>19</sup> (जहाँ तक संभव हो) के साथ किया गया है। लक्ष्यों को तीन चरणों में बांटा गया है: चरण- I (2024-25 से 2026-27); चरण- II (2027-28 से 2029-30); और चरण-III (2030-31 से 2034-35)।

प्रत्येक चरण के अंतर्गत लक्ष्यों को प्रभावी और निगरानीपूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करते हुए आगे वार्षिक लक्ष्यों (वर्ष-दर-वर्ष लक्ष्य) में विभाजित किया जा सकता है। साल-दर-साल लक्ष्य विकसित करने के प्रारूप को "क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के विकास के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)" दस्तावेज़ से संदर्भ लेते हुए तैयार किया जा सकता है। मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) एक चरण-दर-चरण दृष्टिकोण है जिसका उपयोग ग्राम प्रधानों, समुदाय के सदस्यों या किसी अन्य हितधारक द्वारा अपने संबंधित ग्राम पंचायतों हेतु क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्य योजना विकसित करने के लिए किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत के लिए पहचाने गए वित्तपोषण के साधनों में केंद्रीय या राज्य योजनाएं, ग्राम पंचायत की विभिन्न टाइड और अनटाइड निधियों या सीएसआर हस्तक्षेपों के माध्यम से निजी वित्त शामिल हैं। विस्तृत गतिविधियां निम्नलिखित अनुभाग में हैं।

## कार्य योजना में प्रस्तावित सुझाव निम्नलिखित विषयों पर आधारित हैं:

1. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प
2. सतत कृषि
3. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना
4. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
5. सतत एवं उन्नत गतिशीलता
6. स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच
7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

इसके अतिरिक्त, गतिविधियों का हिस्सा न बनाते हुए, पंचायतों द्वारा विचार के लिए संभावित पहलों की एक सूची भी सूचीबद्ध की गई है। इन पहलों को भारत के कुछ हिस्सों में ग्राम पंचायतों द्वारा सफलतापूर्वक लागू किया गया है और इन्हें यहां दोहराया भी जा सकता है। हालाँकि, ये पहल/प्रयास/नवाचार उत्तर प्रदेश सरकार की वर्तमान में संचालित किसी भी योजना/कार्यक्रम में शामिल नहीं हैं, इसलिए इन पहलों/प्रयासों/नवाचरों के लिए धन का वहन समुदायों द्वारा या सीएसआर और निजी स्रोतों की खोज से किया जाएगा। इसलिए, उन्हें मुख्य अनुशंसाओं में शामिल नहीं किया गया है।

<sup>19</sup> लागत का अनुमान विभिन्न तरीकों के आधार पर लगाया गया है जैसे:

ग्राम पंचायत के प्रमुख सदस्यों से प्राप्त जानकारी,

या प्रासंगिक योजनाओं और नीतियों के अनुसार लागत का अनुमान,

अथवा आवश्यक इनपुट की प्रति इकाई अनुमानित लागत

अथवा विभिन्न विभागों की दरों की अनुसूचियां।



# 1. जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

## संदर्भ और मुद्दे<sup>20</sup>

- बलीपट्टी रानी गांव ग्राम पंचायत में घरेलू उपयोग के लिए पानी के प्राथमिक स्रोत भूजल और पाइप से पानी की आपूर्ति हैं। इसके अलावा 48 हैंडपंप हैं। सिंचाई के लिए अलग-अलग बोरवेल, वर्षा जल और गंगा के पानी पर निर्भर हैं।
- बलीपट्टी रानी गांव में बाढ़ एक प्रमुख चिंता का विषय है, विशेष रूप से कम दिनों में तीव्र वर्षा के कारण। 2018-2022 के बीच आमतौर पर अगस्त के महीने में बाढ़ की लगातार (पांच) घटनाएं हुई हैं। इससे फसल को नुकसान होता है, जिससे किसानों की आजीविका को खतरा होता है।
- भट्टा और रतनपुर रमहौआ बस्तियों में जलभराव एक और प्रमुख समस्या है, खासकर मानसून के मौसम (अगस्त) में। यह ग्राम पंचायत में आवागमन को प्रभावित करता है, निचले इलाकों में कचरा जमा हो जाता है, जल जनित बीमारियों की संख्या बढ़ जाती है और पेयजल स्रोत दूषित हो जाता है। अप्रभावी और खराब जलनिकासी की व्यवस्था के कारण ये समस्याएं और अधिक बढ़ गई हैं।
- बलीपट्टी रानी गांव में 7 तालाब हैं, जिनमें से अधिकांश का रखरखाव ठीक से नहीं किया गया है तथा वे गाद, मलबे और कचरे से भरे हुए हैं, इसलिए उन्हें साफ और उनका कायाकल्प किए जाने की आवश्यकता है।

भूजल पर निर्भरता और बाढ़ की लगातार घटनाएं जल संरक्षण और भूजल संसाधनों को फिर से भरने के लिए वाटरशेड प्रबंधन की आवश्यकता को उजागर करती हैं।<sup>21</sup> बलीपट्टी रानी गांव में भेद्यता को कम करने, लचीलापन बनाने और जल सुरक्षा में सुधार करने के लिए निम्नलिखित गतिविधियां प्रस्तावित की गई हैं।

20 जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षणों और समूह केन्द्रित चर्चा के दौरान समुदाय से समझा गया और संबंधित संसाधनों द्वारा इसकी पुष्टि की गई।

21 फ्रील्ड सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी के आधार पर



## जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना

चरण

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
<ol style="list-style-type: none"> <li>नई नालियों का निर्माण</li> <li>नालियों पर फिल्टर चेंबर्स की स्थापना</li> <li>डायवर्जन चैनलों का निर्माण</li> <li>पानी के बाहर की ओर बहाने के लिए साइफन की स्थापना</li> </ol>	मौजूदा बुनियादी ढांचे का नियमित रखरखाव	मौजूदा बुनियादी ढांचे का नियमित रखरखाव

लक्ष्य<sup>22</sup>

<ol style="list-style-type: none"> <li>785 मीटर की नई नालियों का निर्माण</li> <li>प्रमुख स्थानों पर नालियों पर फिल्टर चैंबर की स्थापना</li> <li>अतिरिक्त बाढ़ के पानी को बस्ती और कृषि क्षेत्र से दूर ले जाने के लिए डायवर्जन चैनलों का निर्माण</li> <li>पानी के बाहर की ओर बहाने के लिए प्रमुख स्थानों पर साइफन की स्थापना</li> </ol>	जल निकासी नेटवर्क का नियमित रखरखाव	जल निकासी नेटवर्क का नियमित रखरखाव
--	------------------------------------	------------------------------------

अनुमानित लागत

<ol style="list-style-type: none"> <li>नालियों का निर्माण: ₹8,68,000</li> <li>फिल्टर चैंबर की स्थापना: ₹30,000</li> <li>आवश्यकता के अनुसार डायवर्जन चैनलों और साइफन की लागत</li> </ol> <p>कुल लागत: ₹8,98,000</p>	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
---	---------------	---------------

22 HRVCA के अनुसार लागत



## जल निकायों का रखरखाव

चरण

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

लक्ष्य<sup>23</sup>

अनुमानित लागत

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
चरण	<ol style="list-style-type: none"> <li>तालाबों की सफाई और उन्हें गहरा करना</li> <li>बाढ़ के पानी के प्रबंधन के लिए प्रतिधारण तालाबों का निर्माण (डायवर्जन चैनलों से जुड़ा हुआ)</li> <li>तालाबों के चारों ओर ट्री गार्ड के साथ पेड़ लगाना</li> <li>जल उपयोग दक्षता और जल संरक्षण को बेहतर करने के लिए विभिन्न प्रमुख सामुदायिक समूहों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए मौजूदा ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (VWSC) का क्षमता निर्माण</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>तालाबों का नियमित रखरखाव</li> <li>अतिरिक्त प्रतिधारण तालाबों का निर्माण</li> <li>तालाबों के चारों ओर अतिरिक्त पेड़ लगाना</li> <li>पहले चरण की गतिविधियों का विस्तार</li> <li>समुदाय और अन्य हितधारक की क्षमता निर्माण</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>तालाबों का नियमित रखरखाव</li> <li>पहले चरण और दूसरे चरण की गतिविधियों का विस्तार</li> </ol>
लक्ष्य <sup>23</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>7 तालाबों की सफाई और उन्हें गहरा करना</li> <li>10 प्रतिधारण तालाबों का निर्माण</li> <li>ट्री गार्ड के साथ 1,000 पेड़ रोपित (जल निकायों चारों ओर)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>7 तालाबों का रखरखाव</li> <li>आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त प्रतिधारण तालाबों का निर्माण</li> <li>जल निकायों के आसपास ट्री गार्ड के साथ 1,000 पेड़ रोपित</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>7 तालाबों का रखरखाव</li> <li>आवश्यकता के अनुसार पहले चरण और दूसरे चरण की गतिविधियों का विस्तार</li> </ol>
अनुमानित लागत	<ol style="list-style-type: none"> <li>7 तालाबों की सफाई और उन्हें गहरा करना: ₹35,00,000</li> <li>10 प्रतिधारण तालाब (300 घन मीटर क्षमता): ₹70,00,000</li> <li>जल निकायों के चारों ओर पेड़ लगाना<sup>24</sup>: 'हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना' अनुभाग में कवर किया गया: ₹12,70,000</li> </ol> <p>कुल लागत ₹1.05 करोड़</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>7 तालाबों का रखरखाव: ₹26,25,000</li> <li>जल निकायों के आसपास वृक्षारोपण: 'हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना' अनुभाग में कवर किया गया: ₹12,70,000</li> </ol> <p>कुल लागत: ₹26.25 लाख</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>7 तालाबों का रखरखाव: ₹26,25,000</li> </ol> <p>कुल लागत: ₹26.25 लाख</p>

<sup>23</sup> HRVCA के अनुसार लागत

<sup>24</sup> बाढ़ के प्रभाव को कम करने/नियंत्रित करने के लिए नदी के तटों के आसपास भी किया जा सकता है



## वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाएं

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"><li>पंचायत में स्थित सभी सरकारी भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना</li><li>सभी नए भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को सम्मिलित करना</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1,500 वर्ग फिट से अधिक प्लॉट साइज के आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना</li><li>सभी नए भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को शामिल करना</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1,000 वर्ग फुट के आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना</li><li>सभी नए भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को शामिल करना</li></ol>
लक्ष्य	4 पंचायत में स्थित सभी सरकारी भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाएं	31 पक्के घरों में 10 m <sup>3</sup> की औसत भंडारण क्षमता वाले आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना करना	357 पक्के घरों में 10 m <sup>3</sup> की औसत भंडारण क्षमता वाले आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना करना
अनुमानित लागत	आरडब्ल्यूएच: ₹1,40,000 कुल लागत: ₹1,40,000	आरडब्ल्यूएच: ₹10,85,000 कुल लागत: ₹10.85 लाख	आरडब्ल्यूएच: ₹1,24,95,000 कुल लागत: ₹1.24 करोड़

## वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- जल शक्ति अभियान: 'कैच द रेन' अभियान द्वारा उपलब्ध प्रावधानों और संसाधनों के माध्यम से वर्षा जल संचयन प्रणालियों का विकास किया जा सकता है।
- सिंचाई विभाग के अंतर्गत यूपी राज्य का वार्षिक बजट को ग्राम पंचायत स्तर के जल निकाय संरक्षण और जीर्णोद्धार गतिविधियों के लिए उपयोग किया जा सकता है।
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के अंतर्गत मनरेगा और वाटरशेड विकास घटक के वार्षिक बजट का उपयोग वाटरशेड विकास गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।

## वित्त के अन्य स्रोत

- जल निकायों और कुओं के अनुरक्षण और रखरखाव में योगदान देने के लिए कॉर्पोरेट/सीएसआर को 'जल निकाय को अपनाने' के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। सीएसआर समर्थन का उपयोग ग्राम पंचायत में गुरुत्वाकर्षण आधारित/सौर संचालित RO जल निस्पंदन प्रणाली की स्थापना के लिए किया जा सकता है।

## प्रमुख विभाग

- ग्राम्य विकास विभाग
- सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, जल शक्ति मंत्रालय
- उत्तर प्रदेश भूमि संसाधन विभाग



## 2. सतत कृषि

### संदर्भ और मुद्दे<sup>25</sup>

- ग्राम पंचायत में कुल कृषि भूमि लगभग 1,012 हेक्टेयर है। हालांकि, मानसून की बाढ़ के कारण, कुछ भूमि खेती योग्य नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान सकल-फसल कृषि भूमि 969 हेक्टेयर है।
- ग्राम पंचायत में 34 प्रतिशत परिवार पशुपालन पर निर्भर हैं और 32 प्रतिशत परिवार आय के स्रोत के रूप में कृषि प्रथाओं पर निर्भर हैं।
- खरीफ और रबी मौसम में उगाई जाने वाली प्रमुख फसलें धान (~12 हेक्टेयर), गेहूं (~809 हेक्टेयर), मूंगफली (~12 हेक्टेयर), गन्ना (~20 हेक्टेयर) और आलू (~40 हेक्टेयर) हैं।
- ग्राम पंचायत में 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 में अगस्त के माह में बाढ़ आई,<sup>26</sup> जिससे फसल बर्बाद हो गई थी।
- पिछले 5 वर्षों में, अनियमित वर्षा, बाढ़ के साथ-साथ फसल में लगने वाले कीटों और बीमारियों के कारण फसल को नुकसान हुआ है। नुकसान की मात्रा लगभग 5,400 क्विंटल उपज (धान, मक्का और गेहूं) या लगभग ₹94 लाख रुपये (संबंधित वर्षों के प्रचलित MSP से पुष्टि) का है।
- उपलब्ध योजनाओं के बारे में पर्याप्त जानकारी के अभाव के कारण ग्राम पंचायत में किसानों द्वारा फसल बीमा को कम अपनाया जाता है। क्षमता निर्माण की पहल की आवश्यकता है जो किसानों को नुकसान से बचने और जोखिम को कम करने के लिए फसल बीमा योजनाओं को अपनाने में मदद कर सके।
- बलीपट्टी रानी गांव में किसान प्रति वर्ष लगभग 86 टन यूरिया, लगभग 126 टन डीएपी तथा अन्य नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का उपयोग करते हैं, जिसके कारण प्रति वर्ष लगभग 202 टन CO<sub>2</sub>e ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है। किसान कीटनाशकों और खरपतवारनाशी जैसे अन्य रासायनिक उत्पादों पर भी निर्भर हैं।
- बलीपट्टी रानी गांव में प्राकृतिक खेती का अभ्यास नहीं किया जाता है।
- जैसा कि फ्रील्ड सर्वेक्षण में बताया गया है, ग्राम पंचायत में किसान उत्पादक संगठन और बीज बैंक नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप किसान बेहद खराब मौसम की घटनाओं के दौरान जोखिम का प्रबंधन करने में विफल रहते हैं।

उपर्युक्त बातें अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने के लिए सतत और सूखा प्रतिरोधी कृषि पद्धतियों को अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती हैं।

<sup>25</sup> जैसा कि क्षेत्र के सर्वेक्षणों और FGD के दौरान समुदाय से समझा गया और संबंधित संसाधनों द्वारा इसकी पुष्टि की गई

<sup>26</sup> फ्रील्ड सर्वेक्षण के दौरान समुदाय से प्राप्त जानकारी के आधार पर





## कृषि में जलवायु लचीलापन का निर्माण

### चरण

### सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
	<ol style="list-style-type: none"> <li>ड्रिप सिंचाई और स्प्रेकलर सिंचाई जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रथाओं को बढ़ावा देना और अपनाना</li> <li>बाढ़ के दौरान फसल को बचाने के लिए कृषि क्षेत्रों के आसपास पेड़ों के साथ बांध का निर्माण</li> <li>जहां तक संभव हो कृषि तालाब बनाकर कृत्रिम पुनर्भरण को बढ़ावा देना</li> <li>बाढ़ से संबंधित खाद्य सुरक्षा मुद्दों के समाधान के लिए मचान खेती या बहु-परत प्रणाली को अपनाने को बढ़ावा देना<sup>27</sup></li> <li>बाजरे की खेती को अपनाना</li> <li>किसानों को फसल के नुकसान से बचाने के लिए विभिन्न बीमा कार्यक्रमों के बारे में जागरूक करना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार करना</li> <li>मेड़बंधी/बंधों का विस्तार</li> <li>आवश्यकता होने पर अधिक कृषि तालाबों का निर्माण</li> <li>स्वर्णा-सब जैसी बाढ़ सहनशील धान की किस्मों को अपनाना<sup>28</sup></li> <li>किसानों को उनकी फसल के नुकसान से बचाने के लिए विभिन्न बीमा कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए जागरूक करना और किसानों को सहायता प्रदान करने की पहल जारी रखना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>सूक्ष्म सिंचाई का विस्तार करना</li> <li>बाढ़ के प्रति सहनशील किस्मों को अपनाने के लिए चरण II की गतिविधियों का विस्तार</li> </ol>

### लक्ष्य

<ol style="list-style-type: none"> <li>34 हेक्टेयर कृषि भूमि में सूक्ष्म सिंचाई अपनाना (सब्जी, मूँगफली और गन्ने के अंतर्गत 100% कृषि भूमि)</li> <li>506 हेक्टेयर में पेड़ों से मेड़बंधी/बंध बनाया जाना (कृषि के कुल क्षेत्रफल का 50%)</li> <li>300 m<sup>3</sup> क्षमता वाले 20 कृषि तालाबों का निर्माण</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>सभी 506 हेक्टेयर कृषि भूमि (कृषि भूमि का 100%) में पेड़ों से मेड़बंधी/बंध बनाया जाना है</li> <li>20 कृषि तालाबों का निर्माण</li> </ol>	मेड़बंधी/बंधों और कृषि तालाबों का रखरखाव
--	---	--

### अनुमानित लागत

<ol style="list-style-type: none"> <li>सूक्ष्म सिंचाई: ₹34,00,000</li> <li>मेड़बंधी/बंध: लगभग ₹3,37,000</li> <li>300 m<sup>3</sup> क्षमता के 20 कृषि तालाब: ₹18,00,000</li> </ol> <p>कुल लागत: ₹55.37 लाख</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>मेड़बंधी/बंध: लगभग ₹3,37,000</li> <li>20 कृषि तालाब: ₹18,00,000</li> </ol> <p>कुल लागत: ₹21.37 लाख</p>	आवश्यकतानुसार
---	---	---------------

27 बहु-परत सब्जी आधारित खेती प्रणाली का अभ्यास खेत के साथ-साथ घर के पीछे के आंगन में किया जा सकता है और फसलों को तीन मौसमों (जैद, रबी और खरीफ) में उगाया जा सकता है; [https://www.geagindia.org/uploads/publication\\_files/1552600205.pdf](https://www.geagindia.org/uploads/publication_files/1552600205.pdf)

28 <https://rky.nic.in/Uploads/ProjectMonitoring/UTTAR%20PRADESH/2019023529Stress%20tolerant%20rice%20varieties.pdf>



## प्राकृतिक खेती अपनाना

चरण

I

2024-25 से 2026-27

1. प्राकृतिक उर्वरकों, जैव-कीटनाशकों और जैव-खरपतवारनाशकों के उपयोग के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना।
  - a. प्रशिक्षण और प्रदर्शन
  - b. नर्सरी और स्थानीय बीज बैंक तैयार करना
  - c. जैविक/प्राकृतिक खेती प्रमाणन की प्रक्रिया शुरू किया जाना
  - d. बाजार से जुड़ाव का पता लगाया जाएगा
2. मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए मिश्रित फसल, फसल चक्रण, गीली घास से ढकना, शून्य जुताई जैसी प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना और अपनाना

II

2027-28 से 2029-30

1. कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना जारी रखना (नर्सरी, बीज बैंक, प्रमाणीकरण तंत्र और बाजार संपर्क स्थापित करना)
2. चरण I में कार्यान्वित प्रथाओं को बढ़ावा देना और अपनाना

III

2030-31 से 2034-35

कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में बदलने का 100% विस्तार

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

लक्ष्य

152 हेक्टेयर (15% कृषि भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना)

405 हेक्टेयर (अतिरिक्त 40 प्रतिशत भूमि को प्राकृतिक खेती में परिवर्तित करना)

शेष 455 हेक्टेयर (100% कृषि भूमि पर प्राकृतिक खेती)

अनुमानित लागत

1. प्रशिक्षण की लागत (एक बार): ₹60,000
2. भूमि का प्राकृतिक खेती में परिवर्तन: ₹3,75,59,200

कुल लागत: ₹3.7 करोड़

1. प्रशिक्षण की लागत (एक बार): ₹60,000
2. भूमि का प्राकृतिक खेती में परिवर्तन: ₹10,00,75,500

कुल लागत: ₹10 करोड़

1. प्रशिक्षण की लागत (एक बार): ₹60,000
2. भूमि का प्राकृतिक खेती में परिवर्तन: ₹11,24,30,500

कुल लागत: ₹11 करोड़



## सतत पशुधन प्रबंधन

चरण  
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
चरण	<ol style="list-style-type: none"> <li>पशुधन प्रबंधन के लिए पशुपालन में लगे परिवारों की जागरूकता बढ़ाना और क्षमता निर्माण करना</li> <li>पशुधन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए समुदाय के सदस्यों को पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ता/पैरा-पशु चिकित्सक प्रशिक्षण के रूप में प्रशिक्षित करना पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने पर हस्तक्षेप के लिए अनुभाग "अतिरिक्त संस्तुतियाँ" देखें।</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों का विस्तार</li> <li>आवश्यकता के अनुसार पैरा-वेट प्रशिक्षण को बढ़ाना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण गतिविधियों का विस्तार</li> <li>आवश्यकता के अनुसार पैरा-वेट प्रशिक्षण को बढ़ाना</li> </ol>
लाक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> <li>पशुपालन में लगे परिवारों के लिए स्थायी/सतत पालन क्रियाएँ/प्रथाओं, बीमारी की रोकथाम और पशुधन स्वास्थ्य के प्रबंधन पर कार्यशालाएँ आयोजित करना</li> <li>2 पैरा-वेट का प्रशिक्षण<sup>29</sup></li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>रोग की रोकथाम और स्थायी/सतत पालन क्रियाएँ/प्रथाओं पर अतिरिक्त कार्यशालाएँ आयोजित करना</li> <li>पशुधन प्रबंधन के लिए निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>रोग की रोकथाम और स्थायी/सतत पालन क्रियाएँ/प्रथाओं पर अतिरिक्त कार्यशालाएँ आयोजित करना</li> <li>पशुधन प्रबंधन के लिए निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण</li> </ol>
अनुमानित लागत	कार्यशाला और पैरा-पशु चिकित्सक प्रशिक्षण की लागत: आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

## वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), उत्तर प्रदेश बाजरा पुनरुद्धार कार्यक्रम, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, मौसम आधारित फसल बीमा योजना, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा योजना से धन और सब्सिडी के माध्यम से सूखा प्रबंधन और प्रूफिंग प्रक्रियाओं का समर्थन किया जा सकता है।
- सूखारोधी गतिविधियों, नर्सरी और बीज बैंकों के निर्माण को मनरेगा के माध्यम से सुव्यवस्थित किया जा सकता है
- जैविक खेती प्रथाओं को विभिन्न योजनाओं जैसे: परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) और मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के अंतर्गत प्रदान की गई धनराशि और सब्सिडी के माध्यम से समर्थन दिया जा सकता है।
- किसानों के लिए तकनीकी और ज्ञान सहायता के साथ-साथ जैविक खेती प्रदर्शनों को राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्रों (एनसीओएफ और आरसीओएफ), कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके), कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग के निकटतम जैविक खेती सेल के माध्यम से सक्षम किया जा सकता है।

29 ग्राम पंचायत की आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षित समुदाय-आधारित पशु स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की संख्या

- प्रौद्योगिकी उन्नयन और सतत खेती के लिए किसानों और FPO के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण में सहायता के लिए कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए ) का उपयोग किया जा सकता है।
- कृषि रक्षा योजना विभिन्न पारिस्थितिक संसाधनों के माध्यम से कीट नियंत्रण और जैव-रसायनों के उपयोग को बढ़ावा देने में किसानों को सहायता करती है।
- राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, उत्तर प्रदेश पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण योजना और राष्ट्रीय गोकुल मिशन जैसी राज्य योजनाओं के माध्यम से पैरा-पशुचिकित्सक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का लाभ उठाया जा सकता है।

## वित्त के अन्य स्रोत

- फसल-उपरांत नुकसान को न्यूनतम करने के लिए शीत-भंडारण सुविधा की स्थापना एवं संचालन ('स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच' अनुभाग में उल्लिखित योजनाओं के अनुरूप)।
- जागरूकता बढ़ाना: जैविक खेती के तरीकों और लाभों, आवश्यक सुझाव, प्रदर्शन, सूचना और मार्गदर्शन के प्रासंगिक स्रोत, पंजीकरण प्रक्रिया, सत्यापन और प्रमाणन प्रक्रिया, बाजार लिंकेज और मौसम-आधारित सूचना सेवाओं आदि पर जानकारी।
- किसानों, एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों और अन्य समुदाय के सदस्यों को बीमा, विभिन्न योजनाओं के लाभ के साथ-साथ जैविक उर्वरकों को अपनाने, सूखारोधी कृषि और सतत पशुधन प्रबंधन, अंततः जैविक खेती में परिवर्तन सहित क्लाइमेट स्मार्ट कृषि प्रथाओं को लागू करने के तकनीकी पहलुओं के लिए मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण प्रदान करना।
- इसके अतिरिक्त, बलीपट्टी रानी गांव में सतत कृषि में लगे किसानों, एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों और अन्य समुदाय के सदस्यों की क्षमता निर्माण क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञों और संस्थानों, स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, CSO और कॉरपोरेट्स के सहयोग से किया जा सकता है।

## प्रमुख विभाग

- कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
- उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
- एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र (सीआईपीएम)
- मत्स्य पालन विभाग
- भूमि संसाधन विभाग
- जल शक्ति विभाग
- कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए)
- पशुपालन विभाग
- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय योग्य ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीनेडा)
- जैविक खेती के लिए क्षेत्रीय केंद्र
- कृषि विज्ञान केन्द्र, फर्रुखाबाद



## 3. हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना

### संदर्भ और मुद्दे

- ग्राम पंचायत में 0.4 हेक्टेयर का सीमांकित वन क्षेत्र है। वृक्षारोपण गतिविधियों को मनरेगा के माध्यम से क्रियान्वित किया गया है और ये वृक्षारोपण कुल 8 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है।
- वर्तमान में, ग्राम पंचायत में पीपल, बरगद, आम और पकरिया (फ़िकस विरेन्स) की वृक्ष प्रजातियां उगाई जाती हैं।<sup>30</sup> जैसा कि एचआरवीसीए में बताया गया है, ग्राम पंचायत में खुले स्थान हैं, जिनका उपयोग हरियाली संबंधी गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।

बलीपट्टी रानी गांव ग्राम पंचायत में हरित क्षेत्रों की जगह बढ़ाने की क्षमता है, क्योंकि यह न केवल बढ़ते तापमान में सुधार करेगा और छाया प्रदान करेगा अपितु ग्राम पंचायत में कार्बन सिंक को बढ़ाने के अलावा, लंबी अवधि में मिट्टी के स्वास्थ्य और जल स्तर में भी सुधार करेगा।

30 फ़ीलड सर्वेक्षण/समुदाय से प्राप्त जानकारी के अनुसार



## हरित आवरण में सुधार

चरण

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

लक्ष्य

I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
<ol style="list-style-type: none"> <li>विभिन्न पहलों के माध्यम से वार्षिक समुदाय-आधारित<sup>31</sup> वृक्षारोपण संबंधी गतिविधियाँ :               <ul style="list-style-type: none"> <li>छात्रों के लिए <b>ग्रीन स्टीवर्डशिप कार्यक्रम</b><sup>32</sup> (5 छात्रों का चयन)</li> <li>देशी फल वाले पेड़ों को लगाकर खाद्य वन का निर्माण</li> </ul> </li> <li><b>आरोग्य वन</b> तैयार करना - भूमि की खरीद और तैयारी, प्रजातियों का चयन और विभिन्न औषधीय जड़ी-बूटियों<sup>33</sup>, झाड़ियों और पेड़ों का रोपण</li> <li>छात्रों, युवाओं और स्थानीय समुदायों के लिए निम्न पर जागरूकता और प्रशिक्षण सत्र               <ul style="list-style-type: none"> <li>वन एवं हरित आवरण का महत्व</li> <li>पेड़ कैसे लगाएं और उनकी देखभाल कैसे करें</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>मौजूदा वृक्षारोपण और नर्सरी का रखरखाव</li> <li><b>बाल वन</b><sup>34</sup> के सृजन के साथ अतिरिक्त पौधरोपण</li> <li>किसानों को कृषि वानिकी अपनाने के लिए प्रोत्साहित</li> <li><b>आरोग्य वन</b> की स्थापना</li> <li>छात्रों, युवाओं और स्थानीय समुदायों के लिए निम्न पर जागरूकता और प्रशिक्षण सत्र</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>वृक्षारोपण गतिविधियों का विस्तार और रखरखाव - <b>बाल वन</b> और अन्य वृक्षारोपण</li> <li>324 हेक्टेयर (कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त 100% भूमि) कृषि वानिकी पहल के अंतर्गत कवर की गई है<sup>35</sup></li> <li><b>आरोग्य वन</b> का रखरखाव तथा प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन के लिए यूनिट की स्थापना</li> <li>छात्रों, युवाओं और स्थानीय समुदायों के लिए निम्न पर जागरूकता और प्रशिक्षण सत्र</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>ग्राम पंचायत में तालाबों, नदियों, सड़कों और अन्य स्थानों के आसपास सामान्य और लुप्तप्राय वृक्षों के 1,000 पौधे लगाए जाना और कम से कम 65% जीवित रहने की दर सुनिश्चित किया जाना (ट्री गार्ड का उपयोग करके) पृथक्करण क्षमता<sup>36</sup>: 15 से 20 वर्षों में 5,600 tCO<sub>2</sub>e से 10,000 tCO<sub>2</sub>e</li> <li>आरोग्य वन की स्थापना के लिए लगभग 0.1 हेक्टेयर भूमि आवंटित/चिह्नित किया जाना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1,000 से 1,500 पौधे रोपित पृथक्करण क्षमता: 15-20 वर्षों में 7,000 tCO<sub>2</sub>e से 12,500 tCO<sub>2</sub>e</li> <li>आरोग्य वन की स्थापना एवं रखरखाव</li> <li>130 हेक्टेयर भूमि में कृषि वानिकी को अपनाया जाना (40% भूमि कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त है), 13,000 पेड़ लगाए जाना सागौन के वृक्षारोपण की पृथक्करण क्षमता: 20 वर्षों में 72,800 tCO<sub>2</sub>e से 1,30,000 tCO<sub>2</sub>e</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>अतिरिक्त 1,500 से 2,000 पौधे रोपित पृथक्करण क्षमता: 15-20 वर्षों में 9,800 tCO<sub>2</sub>e से 17,500 tCO<sub>2</sub>e</li> <li>शेष 194 हेक्टेयर भूमि में कृषि वानिकी को अपनाया जाना, 19,400 पेड़ लगाया पृथक्करण क्षमता: 20 वर्षों में 1,08,640 tCO<sub>2</sub>e से 1,94,000 tCO<sub>2</sub>e</li> <li>आरोग्य वन का रखरखाव तथा प्राकृतिक औषधियों और पूरकों का उत्पादन जारी रखना (जैसा कि 'आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना अनुभाग में दिया गया है)</li> </ol>

31 अनुलम्बक VI में सूचीबद्ध वृक्षों की प्रजातियाँ

32 स्कूल के छात्रों को पेड़ लगाने के कार्यों में शामिल किया जाएगा और प्रत्येक कक्षा से छात्र नेता चुने जाएंगे जो अपने साथियों के साथ-साथ ग्राम पंचायत समुदाय को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करेंगे।

33 जड़ी-बूटियों: उपयुक्त प्रजातियों को अनुलम्बक VI में सूचीबद्ध किया गया है।

34 नए माता-पिता को उनके बच्चे को जन्म देने के उपलक्ष्य में देशी सदाबहार पेड़ों के पौधे उपहार में दिए जाएंगे तथा उन्हें उनके बच्चों की देखभाल के साथ-साथ इन पौधों की देखभाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा।

35 गेहूँ की खेती के अंतर्गत आने वाली कृषि भूमि (~324 हेक्टेयर) कृषि वानिकी के लिए उपयुक्त मानी जाती है।

36 सागौन की प्रजातियों के आधार पर पृथक्करण क्षमता का अनुमान

## अनुमानित लागत

<p>वृक्षारोपण की गतिविधियां: ₹12,70,000</p> <p>कुल लागत: ₹12.7 लाख</p>	<p>1. वृक्षारोपण की कुल लागत: ₹15,87,500</p> <p>2. कृषि वानिकी की लागत: ₹51,84,000</p> <p>कुल लागत: ₹67.71 लाख</p>	<p>1. वृक्षारोपण की कुल लागत: ₹22,22,500</p> <p>2. कृषि वानिकी की लागत: ₹77,76,000</p> <p>कुल लागत: ₹99.9 लाख</p>
--	--	---



## नर्सरी की स्थापना

### चरण

	<b>I</b> 2024-25 से 2026-27	<b>II</b> 2027-28 से 2029-30	<b>III</b> 2030-31 से 2034-35
<p><b>सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ</b></p> <p>1. स्वयं सहायता समूहों को काम पर रखकर नर्सरी के लिए एक पॉलीहाउस स्थापित करना</p> <p>2. नर्सरी को बनाए रखने और चलाने के लिए स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षित करना</p>	नर्सरी का रखरखाव	नर्सरी का रखरखाव	

### लक्ष्य

हरित क्षेत्र को बेहतर बनाने और महिलाओं को अतिरिक्त आय प्रदान करने में मदद करने के लिए पॉलीहाउस नर्सरी स्थापित करना	नर्सरी का रखरखाव	नर्सरी का रखरखाव
--	------------------	------------------

### अनुमानित लागत

नर्सरी के निर्माण और संचालन की लागत: ₹ 3,00,000 कुल लागत: ₹3,00,000	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
--	---------------	---------------



## जन जैवविविधता रजिस्टर

### चरण

	<b>I</b> 2024-25 से 2026-27	<b>II</b> 2027-28 से 2029-30	<b>III</b> 2030-31 से 2034-35
<p><b>सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ</b></p> <p>1. जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन करना</p> <p>2. समुदाय और सभी हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाना</p>	<p>1. जन जैवविविधता रजिस्टर का नियमित अद्यतनीकरण</p> <p>2. जागरूकता को सुदृढ़ करना</p>	<p>1. जन जैवविविधता रजिस्टर का नियमित अद्यतनीकरण</p> <p>2. जागरूकता को सुदृढ़ करना</p>	

## लक्ष्य

1. जैवविविधता प्रबंधन समिति का गठन और क्षमता विकास
2. जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन जारी रखना

जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन जारी रखना

जन जैवविविधता रजिस्टर का सहभागी अद्यतन जारी रखना

## अनुमानित लागत

जैवविविधता प्रबंधन समितियों (BMC) का गठन और प्रशिक्षण की लागत<sup>37</sup>: ₹25,000

## वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार, ग्रीन इंडिया मिशन, जल जीवन मिशन और उप्र राज्य वृक्षारोपण लक्ष्यों द्वारा 'भारत में वनों के बाहर पेड़' पहल के अंतर्गत प्रावधानों के माध्यम से वृक्षारोपण गतिविधियों को जोड़ा और संचालित किया जा सकता है।
- उप्र राज्य प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण निधि (राज्य कैम्पा निधि) के अंतर्गत वार्षिक बजटिंग के लिए निम्न गतिविधि हेतु निर्देशित किया जा सकता है:
  - » ग्राम पंचायत में वनरोपण, जैवविविधता का संवर्धन, वन्यजीव आवास में सुधार, और मिट्टी एवं जल संरक्षण गतिविधियाँ।
- वृक्षारोपण गतिविधियों को मनरेगा के साथ जोड़ा जा सकता है और स्थानीय समुदाय को 'श्रमदान' करने में भी सम्मिलित किया जा सकता है।
- सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत कृषि वानिकी संबंधी उप-मिशन का लाभ उठाया जा सकता है:
  - » कृषि वानिकी वृक्षारोपण के लिए प्रति हेक्टेयर ₹28,000 का लाभ उठा सकता है।
  - » वृक्षारोपण हेतु सहायता चार वर्षों के लिए 40:20:20:20 के वर्ष-वार अनुपात में प्राप्त की जा सकती है।

केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान, लखनऊ के कौशल विकास एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्राम पंचायत में **आरोग्य वन** स्थापित करने में सहायक हो सकता है

- बागवानी नर्सरी जैसी गतिविधियों को एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) के माध्यम से बढ़ावा दिया जा सकता है।
- BMC के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश राज्य जैव विविधता बोर्ड के कार्यक्रमों का उपयोग किया जा सकता है।

## वित्त के अन्य स्रोत

- 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत ग्राम पंचायत को आवंटित संसाधन तथा पंचायत के स्वयं की आय (OSR) से एकत्र राजस्व
- पौधों की खरीद, वृक्षारोपण अभियान का आयोजन, पौधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ट्री गार्ड के निर्माण के लिए कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंड का लाभ उठाया जा सकता है। सीएसआर समर्थन का उपयोग आरोग्य वन के निर्माण और हर्बल उत्पादों के लिए उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए भी किया जा सकता है, जैसा कि 'आजीविका बढ़ाने और हरित उद्यमिता को बढ़ावा देने' की संस्तुतियों में वर्णित है।

## प्रमुख विभाग

- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
- राज्य जैवविविधता बोर्ड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौध संस्थान, लखनऊ

37 जैव विविधता प्रबंधन समितियों (BMC) के संचालन के लिए दिशानिर्देश, 2013, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। <http://nbaindia.org/uploaded/pdf/Guidelines%20for%20BMC.pdf>





## 4. सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

### संदर्भ और मुद्दे<sup>38</sup>

- ग्राम पंचायत में सभी घरेलू गतिविधियों (घरेलू, सार्वजनिक और अर्ध-सार्वजनिक स्थान, तथा वाणिज्यिक क्षेत्र) से उत्पन्न कुल अपशिष्ट<sup>39</sup> लगभग 196 किलोग्राम प्रतिदिन है। इसमें से, ~113 किलोग्राम प्रति दिन बायोडिग्रेडेबल/जैविक अपशिष्ट और ~83 किलोग्राम प्रति दिन गैर-बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट है।
- फ़ील्ड सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार, अपशिष्ट पृथक्करण और प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में सार्वजनिक जागरूकता की कमी है, जिससे खुले क्षेत्रों और तालाबों के आसपास कचरा फेंका जाता है। कृषि और पशु अपशिष्ट की बड़ी मात्रा भी बलीपट्टी रानी गांव में अपशिष्ट प्रबंधन की समस्याओं को बढ़ा रही है। ग्राम पंचायत में कुल पशुधन की संख्या 1,350 है (जिसमें 250 गाय, 300 भैंस और 400 बकरी और 400 भेड़ें शामिल हैं) और अनुमानित गोबर उत्पादन लगभग 7 टन प्रतिदिन है जिसे बलीपट्टी रानी गांव में कम्पोस्ट, वर्मीकम्पोस्ट, प्राकृतिक उर्वरक उत्पादन और बायोगैस उत्पादन जैसे उपायों के माध्यम से स्थायी रूप से प्रबंधित किया जा सकता है।<sup>40</sup> इतनी बड़ी पशुधन आबादी के साथ, बायोगैस संयंत्रों के निर्माण के माध्यम से पशुधन अपशिष्ट का प्रबंधन करने का अवसर है ( "स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" अनुभाग देखें)।
- घरेलू शौचालय कवरेज ~51% है। फ़ील्ड सर्वेक्षण और फोकस समूह चर्चा ने ग्राम पंचायत में शौचालयों तक पहुंच में सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

इस पृष्ठभूमि में 100% ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित करने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और आजीविका के अवसर पैदा करने के लिए निम्नलिखित समाधान प्रस्तावित हैं।

38 जैसा कि क्षेत्र सर्वेक्षण और समूह केंद्रित चर्चा के दौरान समुदाय से समझा गया और संबंधित स्रोतों द्वारा इसकी पुष्टि की गई

39 आकलन पद्धति के लिए अनुलग्नक IV देखें

40 माना जा रहा है कि गायें प्रतिदिन 10 किलोग्राम गोबर, भैंसें प्रतिदिन 15 किलोग्राम गोबर तथा बकरियां प्रतिदिन 150 ग्राम गोबर करती हैं।



## अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना

चरण

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

लक्ष्य

अनुमानित लागत

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
	<ol style="list-style-type: none"> <li>गैर-जैवनिम्नीकरणीय अपशिष्ट के लिए ग्राम पंचायत-स्तरीय पृथक्करण और भंडारण सुविधा की स्थापना</li> <li>संग्रहण के लिए इलेक्ट्रिक वाहन द्वारा घरों से कचरे को ग्राम पंचायत-स्तरीय भंडारण सुविधा तक ले जाना</li> <li>प्रमुख/चयनित स्थानों पर कूड़ेदान रखना</li> <li>पंचायत, स्वयं सहायता समूह, अनौपचारिक कचरा बीनने वालों, स्थानीय स्क्रेप डीलरों, स्थानीय व्यवसायों और MSME के बीच साझेदारी स्थापित करना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>ग्राम पंचायत स्तरीय पृथक्करण और भंडारण सुविधा का रखरखाव</li> <li>मौजूदा कूड़ेदानों का रखरखाव और आवश्यकता के अनुसार नए रणनीतिक /चयनित स्थानों पर कूड़ेदानों की स्थापना</li> <li>ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>निम्नलिखित का रखरखाव               <ol style="list-style-type: none"> <li>पृथक्करण और भंडारण सुविधाएं</li> <li>इलेक्ट्रिक कचरा संग्रहण वैन</li> <li>स्थापित किये गए कूड़ेदानों</li> </ol> </li> <li>ग्राम पंचायत से आगे अन्य गांवों/जिलों तक साझेदारी को बढ़ाना</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>610 परिवार (100 प्रतिशत) अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा के अंतर्गत</li> <li>1 इलेक्ट्रिक कचरा संग्रहण वैन</li> <li>10 कूड़ेदानों की स्थापना</li> <li>पंचायत और स्थानीय व्यवसायों, और MSME, SHG, अनौपचारिक रैगपिकर्स और स्थानीय स्क्रेप डीलरों के बीच कचरे के संग्रह/परिवहन के लिए साझेदारी का निर्माण</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त कूड़ेदानों की स्थापना</li> <li>मौजूदा सुविधाओं का रखरखाव</li> <li>भागीदारी बढ़ाना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त कूड़ेदानों की स्थापना</li> <li>मौजूदा सुविधाओं का रखरखाव</li> <li>भागीदारी बढ़ाना</li> </ol>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>दैनिक कचरा संग्रहण के लिए 1 इलेक्ट्रिक कचरा संग्रहण वैन: ₹1,00,000</li> <li>10 कूड़ेदान: ₹1,50,000</li> </ol> <p>कुल लागत: ₹2,50,000</p>	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार



## जैविक अपशिष्ट का सतत प्रबंधन

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>वर्मीकम्पोस्टिंग और नाडेप कम्पोस्ट पिट की स्थापना</li> <li>जैविक उर्वरकों के उत्पादन के लिए उद्यमों की स्थापना (अधिक जानकारी के लिए "आजीविका और हरित उद्यमशीलता बढ़ाना" अनुभाग देखें)</li> </ol>	वर्मीकम्पोस्टिंग और नाडेप कम्पोस्ट पिट का नियमित रखरखाव	वर्मीकम्पोस्टिंग और नाडेप कम्पोस्ट पिट का नियमित रखरखाव
लक्ष्य <sup>41</sup>	<ol style="list-style-type: none"> <li>80 वर्मीकम्पोस्ट की स्थापना</li> <li>100 नाडेपकम्पोस्ट पिट की स्थापना</li> <li>घरेलू कचरे से उत्पन्न कम्पोस्ट/खाद (जैविक): प्रति दिन ~58 किलो</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>आवश्यकता के अनुसार क्षमता बढ़ाना/ नए कम्पोस्ट पिट स्थापित करना</li> <li>100 प्रतिशत बायोडिग्रेडेबल / जैविक कचरे उपचार किया गया</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>आवश्यकता के अनुसार कम्पोस्ट पिट का निर्माण</li> <li>कम्पोस्ट पिट का रखरखाव</li> </ol>
अनुमानित लागत	<ol style="list-style-type: none"> <li>वर्मीकम्पोस्ट पिट: ₹21,60,000</li> <li>नाडेप कम्पोस्ट पिट: ₹17,00,000</li> </ol> <p>कुल लागत: ₹38.6 लाख</p>	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार



## स्वच्छता बुनियादी ढांचे को बढ़ाना

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>घरेलू शौचालय कवरेज बढ़ाना</li> <li>सभी नए घरों/निर्माण में शौचालय सुनिश्चित करना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>शेष घरों में शौचालय कवरेज का विस्तार</li> <li>सभी नए घरों/निर्माण में शौचालय सुनिश्चित करना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>मौजूदा बुनियादी ढांचे का रखरखाव</li> <li>सभी नए निर्माण/घरों में शौचालय सुनिश्चित करना</li> </ol>

41 ग्राम पंचायत की भौगोलिक स्थिति (बाढ़ प्रवण) को ध्यान में रखते हुए प्रमुख स्थान पर खाद गड्ढे की स्थापना

लक्ष्य

148 घरों में दो गड्डे वाले शौचालय का निर्माण  
(लगभग 297 घरों में से जिनके पास घरेलू स्तर पर शौचालय नहीं है)

बाकी 149 घरों में दो गड्डे वाले शौचालय का निर्माण

मौजूदा बुनियादी ढांचे का रखरखाव

अनुमानित लागत

दो गड्डे वाले शौचालयों की लागत:  
₹25,90,000  
कुल लागत: ₹25.9 लाख

दो गड्डे वाले शौचालयों की लागत:  
₹26,07,500  
कुल लागत: ₹26.07 लाख

आवश्यकतानुसार



## एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध

चरण

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
<ol style="list-style-type: none"> <li>निम्न हेतु जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम का आयोजन:               <ul style="list-style-type: none"> <li>ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (VWSC)</li> <li>छात्र एवं युवा समूह</li> <li>समुदाय के सदस्य और व्यावसायिक प्रतिष्ठान</li> </ul> </li> <li>साझेदारी मॉडल: अधिक जानकारी के लिए "आजीविका और हरित उद्यमशीलता बढ़ाना" अनुभाग देखें</li> </ol>	<p>जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम जारी रखना</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम जारी रखना</li> <li>पिछले चरणों की सफलता का इस्तेमाल इस पहल को निकटवर्ती ग्राम पंचायतों तक बढ़ाने हेतु मॉडल के रूप में किया जा सकता है</li> </ol>
<ol style="list-style-type: none"> <li>एकल उपयोग प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध</li> <li>प्लास्टिक वैकल्पिक उत्पादों के निर्माण में 100 महिलाओं की भागीदारी</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>एकल उपयोग प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध</li> <li>इस ग्राम पंचायत और आसपास के गांवों से ज्यादा सहभागिता:               <ul style="list-style-type: none"> <li>अतिरिक्त 200 महिलाएं</li> <li>अतिरिक्त SHG, MSME और व्यक्तिगत उद्यमी</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>एकल उपयोग प्लास्टिक पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध</li> <li>इस ग्राम पंचायत और आसपास के गांवों से ज्यादा सहभागिता:               <ul style="list-style-type: none"> <li>अतिरिक्त 300 महिलाएं</li> <li>अतिरिक्त SHG, MSME और व्यक्तिगत उद्यमी</li> </ul> </li> </ol>

लक्ष्य

## वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- समुदाय-आधारित खाद सुविधाओं, अपशिष्ट संग्रहण और पृथक्करण गड्डों, पृथक्करण और भंडारण शेड के निर्माण के लिए मनरेगा का उपयोग किया जा सकता है।
- बुनियादी ढांचे के विकास और प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण को स्वच्छ भारत (ग्रामीण) मिशन के अंतर्गत प्रयासों द्वारा समर्थित किया जा सकता है।

## वित्त के अन्य स्रोत

- कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) फंडिंग- पंचायत-प्राइवेट-पार्टनरशिप (PPP) मॉडल संयंत्र, पृथक्करण यार्ड, प्लास्टिक-वैकल्पिक उद्यम, विपणन, अपशिष्ट परिवहन के लिए ई-वाहनों की खरीद आदि जैसे बुनियादी ढांचे को विकसित और संचालित करने में मदद कर सकते हैं।
- इसके अतिरिक्त, प्लास्टिक, खाद प्रक्रियाओं के लिए वैकल्पिक उत्पादों के उत्पादन में सम्मिलित सभी हितधारकों की जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण करने और व्यक्तिगत स्तर पर टिकाऊ/सतत उपभोग व्यवहार को बढ़ावा देने में सीएसआर का समर्थन महत्वपूर्ण होगा।
- स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (SBM-G) दिशानिर्देशों के अनुसार अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए टाइड और अनटाइड बजट सहित ग्राम पंचायत की स्वयं की आय से एकत्र राजस्व का उपयोग किया जा सकता है।

## प्रमुख विभाग

- पंचायती राज विभाग
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड



## 5. सतत एवं उन्नत गतिशीलता

### संदर्भ और मुद्दे

- बलीपट्टी रानी गांव में कुल 564 आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाहन हैं; 520 दोपहिया, 26 कार और 18 ट्रैक्टर।<sup>42</sup>
- इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत में 2 ई-रिक्शा हैं।
- ICE वाहनों द्वारा कुल ईंधन खपत ~27 किलो लीटर (kL) डीजल और ~114 किलोलीटर पेट्रोल प्रति वर्ष है। कुल मिलाकर, परिवहन क्षेत्र में खपत किए गए ईंधन के कारण 341 tCO<sub>2</sub>e उत्सर्जन हुआ है।

इसलिए, परिवहन अवसंरचना को बेहतर बनाने और ई-मोबिलिटी समाधानों की ओर बदलाव शुरू करने की काफी गुंजाइश है।



### मौजूदा सड़क के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>विशिष्ट स्थान पर इंटरलॉकिंग कार्य<sup>43</sup></li> <li>जलभराव से प्रभावित हिस्सों के लिए सड़क की ऊंचाई बढ़ाना</li> </ol>	सड़क अवसंरचना का रखरखाव और आवश्यकता पड़ने पर मरम्मत	यदि आवश्यक हो तो सड़क के बुनियादी ढांचे का निरंतर रखरखाव और मरम्मत
लक्ष्य	70 मीटर की कुल लंबाई वाली सड़क के लिए इंटरलॉकिंग का कार्य	सड़कों का नियमित और समय पर रखरखाव/मरम्मत	सड़कों का नियमित और समय पर रखरखाव/मरम्मत
अनुमानित लागत	इंटरलॉकिंग कार्य: ₹20,00,000 कुल लागत: ₹20 लाख	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार

42 फ्रील्ड सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त जानकारी के अनुसार

43 स्थान विशिष्ट विवरण के लिए HRVCA देखें



## मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाना

चरण  
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
पंचायत में अंतिम मील कनेक्टिविटी के लिए ई-ऑटोरिक्शा को क्रय किया जाना	ग्राम पंचायत के बेड़े में अधिक ई-ऑटोरिक्शा की खरीद	मांग के आधार पर अधिक ई-ऑटोरिक्शा की खरीद

लाक्ष्य

आवश्यकतानुसार ई-ऑटोरिक्शा को बेड़े में शामिल किया जाना	आवश्यकता होने पर अतिरिक्त ई-ऑटोरिक्शा खरीदना	आवश्यकता होने पर अतिरिक्त ई-ऑटोरिक्शा खरीदना
--	--	--

अनुमानित लागत

एक ई-ऑटोरिक्शा की कीमत <sup>44</sup> : लगभग ₹3,00,000 उपलब्ध सब्सिडी: ₹12,000 प्रति वाहन	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
---	---------------	---------------



## ई-वाहनों और ई-ट्रैक्टरों को अपनाने हेतु बढ़ावा देना

चरण

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
<ol style="list-style-type: none"> <li>डीजल ट्रैक्टरों और माल परिवहन वाहनों के इलेक्ट्रिक विकल्प को बढ़ावा देना</li> <li>उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/लॉजिस्टिक्स मालिकों/उद्यमियों) को आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के प्रति संवेदनशील बनाना</li> <li>ई-ट्रैक्टर और ई-गुड्स वाहनों को किराए पर लेने की सुविधा स्थापित करना (आजीविका अनुभाग में वर्णित)</li> </ol>	आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के साथ-साथ उनके लाभ के लिए उपलब्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को जागरूक करना जारी रखना	आईसीई वाहनों की तुलना में ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के साथ-साथ उनके लाभ के लिए उपलब्ध योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रति विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों को जागरूक करना जारी रखना

44 ई-ऑटोरिक्शा की कीमत ₹1,50,000 से ₹4,00,000 या इससे अधिक तक होती है, जो कॉन्फिगरेशन, बैटरी के प्रकार आदि पर निर्भर करती है। ई-ऑटोरिक्शा की कीमत मूल्य बैंड के मध्य में मानी जाती है, जिसमें मुख्य रूप से परोपकारी संस्थाओं और अन्य फंडिंग एजेंसियों से संभावित सब्सिडी/अनुदान/प्रारंभिक पूंजी/व्यवहार्यता धनराशि के अंतर को ध्यान में रखा जाता है।

## लक्ष्य

कुल 5 ई-ट्रैक्टर और 5 ई-माल वाहक का क्रय किया जाना

आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त ई-वाहन और ई-ट्रैक्टर को क्रय किया जाना

आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त ई-वाहन और ई-ट्रैक्टर को क्रय किया जाना

## अनुमानित लागत

1. 5 ई-ट्रैक्टर: ₹30,00,000  
2. 5 ई-गुड्स कैरियर:  
₹25,00,000 – ₹50,00,000  
कुल लागत: ₹55 लाख – ₹80 लाख

बाजार दर के अनुसार लागत

बाजार दर के अनुसार लागत

## वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और MGNREGS की सहायता से सड़क के बुनियादी ढांचे की मरम्मत और उसमें सुधार किया जा सकता है
- उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण और गतिशीलता नीति, 2022 में प्रावधान है
  - खरीदारों के लिए 100% पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स में छूट (पॉलिसी अवधि के दौरान)
  - 1 साल की अवधि में डीलरों के माध्यम से खरीदारों को शुरुआती प्रोत्साहन<sup>45</sup> के रूप में (एक बार) खरीद सब्सिडी - ई-माल वाहक: प्रति वाहन ₹ 1,00,000 तक पूर्व-फैक्ट्री लागत का 10 प्रतिशत; 2-व्हीलर EV: प्रति वाहन ₹5000 तक पूर्व-फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत; 3-व्हीलर EV: प्रति वाहन ₹12000 तक पूर्व-फैक्ट्री लागत का 15 प्रतिशत।
- ई-रिक्शों के लिए सब्सिडी का लाभ फास्टर एडॉप्शन एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया फेज II (फेम II) स्कीम के तहत भी लिया जा सकता है

## वित्त के अन्य स्रोत


- ग्राम पंचायत का रिसोर्स एनवलप और OSR
- सीएसआर के समर्थन से बैंकों एवं सूक्ष्म वित्त संस्थानों से ऋण

## प्रमुख विभाग

- अवसंरचना एवं औद्योगिक विकास विभाग
- परिवहन विभाग
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय योग्य ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीनेडा)

45 सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सब्सिडी में मात्रा और लाभार्थियों की संख्या दोनों के संदर्भ में आवधिक परिवर्तन किये जा सकते हैं। इसलिए, इस योजना के किसी भी हिस्से में उल्लिखित सब्सिडी केवल सांकेतिक हैं, और खरीद के समय इसकी पुष्टि की जानी चाहिए





## 6. स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच

### संदर्भ और मुद्दे

- बलीपट्टी रानी गांव ग्राम पंचायत ने 2022-23 में लगभग 1,56,067 यूनिट बिजली की खपत की। ग्राम पंचायत में लगभग 100% घरों में बिजली कनेक्शन है, लेकिन समुदाय के सदस्यों से मिली जानकारी के अनुसार बिजली की आपूर्ति 24\*7 नहीं है। ग्राम पंचायत में प्रतिदिन 11 घंटे तक बिजली कटौती होती है।<sup>46</sup>
- बिजली कटौती के कारण, पावर बैकअप के लिए ग्राम पंचायत में 10 डीजल जनरेटर चल रहे हैं<sup>47</sup> जो सालाना लगभग ~29 किलोलीटर ईंधन का उपयोग करते हैं।
- सिंचाई के लिए 210 डीजल पंपों का उपयोग किया जाता है<sup>48</sup> जो प्रतिवर्ष लगभग ~82 kL ईंधन की खपत करते हैं।
- कई घरों और सार्वजनिक उपयोगिताओं में सीएफएल (कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट) लाइट, अन्य कम दक्षता वाले इलेक्ट्रिकल फिक्चर और उपकरण इस्तेमाल में हैं। इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत ने 50 सोलर स्ट्रीट लाइट की आवश्यकता बतायी है।<sup>49</sup>
- बलीपट्टी रानी गांव में, लगभग 65% घरों में खाना पकाने के लिए एलपीजी का उपयोग किया जाता है, जबकि 220 से अधिक घरों में खाना पकाने के लिए गोबर और लकड़ी का उपयोग किया जाता है। इसलिए, खाना पकाने के लिये स्वच्छ ईंधन समाधानों की आवश्यकता है, जिससे न केवल उत्सर्जन में कमी आएगी, बल्कि यह घर के अंदर की वायु की गुणवत्ता में सुधार जैसे अतिरिक्त लाभ भी प्रदान करता है।
- बढ़ते तापमान के साथ, घरों में थर्मल सुविधा का स्तर कम हो रहा है और स्थायी स्थान शीतलन की आवश्यकता है।

ग्राम पंचायत की पहचानी गई ऊर्जा संबंधी समस्याओं/चिंताओं के आधार पर, केंद्र और राज्य सरकार के हाल ही में प्रारम्भ किए गए और साथ ही पूर्व से चल रहे कार्यक्रमों, जैसे कि अन्य के साथ पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त योजना, पीएम कुसुम योजना, यूपी राज्य सौर नीति 2022 को संयुक्त रूप से जोड़ते हुए, बलीपट्टी रानी गांव में कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित समाधान/गतिविधियां प्रस्तावित हैं। प्रस्तावित गतिविधियों का उद्देश्य ग्राम पंचायत में समुदायों के लिए स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इससे न केवल उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा बल्कि ऊर्जा के उत्पादक उपयोग के माध्यम से आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

46 जैसा कि फ़ील्ड सर्वेक्षण में समुदाय द्वारा साझा किया गया है

47 जैसा कि फ़ील्ड सर्वेक्षणों के दौरान बताया गया

48 फ़ील्ड सर्वेक्षण के दौरान समुदाय से प्राप्त जानकारी के आधार पर

49 ग्राम प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर



## सोलर रूफटॉप की स्थापना

चरण

I

2024-25 से 2026-27

सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर पैनलों की स्थापना<sup>50</sup>

II

2027-28 से 2029-30

1. पक्के घरों पर रूफटॉप सोलर पैनलों की स्थापना
2. सभी नई इमारतों (चरण II के दौरान निर्मित) पर रूफटॉप सोलर पैनलों की स्थापना
3. सोलर रूफटॉप का नियमित रखरखाव

III

2030-31 से 2034-35

1. पक्के घरों में रूफटॉप सोलर पैनलों की स्थापना को बढ़ाना
2. सभी नई इमारतों (चरण III के दौरान निर्मित) पर रूफटॉप सोलर पैनलों की स्थापना
3. सोलर रूफटॉप का नियमित रखरखाव

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

1. पंचायत भवन: 66 वर्ग मीटर; 10 किलोवाट
2. प्राथमिक विद्यालय: 123 वर्ग मीटर; 10 kWp
3. प्राथमिक विद्यालय: 84 वर्ग मीटर; 10 kWp
4. आंगनवाड़ी केंद्र: 53 वर्ग मीटर; 10 kWp

इस चरण में स्थापित कुल सोलर रूफटॉप क्षमता: 40 kWp  
बिजली उत्पादन क्षमता: प्रति वर्ष 53,568 kWh (प्रति दिन 146 यूनिट)  
ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी: ~44 tCO<sub>2</sub>e प्रति वर्ष

हाल ही में शुरू की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के आवश्यक और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के मद्देनजर, यदि छतों पर सोलर PV स्थापना के इस चरण को शुरू किया जाता है तो घर भी इसका हिस्सा बन सकते हैं

1. 215 पक्के घरों (40% मौजूदा पक्के घर) की छतों पर सोलर पैनलों की स्थापना<sup>51</sup>

स्थापित की गई सोलर रूफटॉप क्षमता: 3 kWp  
इस चरण में स्थापित सोलर रूफटॉप क्षमता: 646 kWp  
बिजली उत्पादन क्षमता: 8,64,587 kWh<sup>52</sup>  
प्रति वर्ष (2,368 यूनिट प्रति दिन)  
ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी: 708 tCO<sub>2</sub>e प्रति वर्ष

2. सोलर रूफटॉप का रखरखाव

1. शेष 323 पक्के घरों की छतों पर सोलर पैनलों की स्थापना (मौजूदा पक्के घरों का 100%)  
इस चरण में स्थापित सोलर रूफटॉप क्षमता: 968 kWp  
बिजली उत्पादन क्षमता: प्रति वर्ष 12,96,881 kWh<sup>53</sup> (प्रति दिन 3,553 यूनिट)  
ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष 1,063<sup>54</sup> tCO<sub>2</sub>e
2. सोलर रूफटॉप का रखरखाव

लक्ष्य

50 4 पंचायती राज भवनों में सौर स्थापना जो 70% रूफटॉप क्षेत्रफल पर 10 kWh तक सीमित है

51 घरों का औसत क्षेत्रफल 130 वर्गमीटर माना जाता है

52 यह उत्पादन ग्राम पंचायत में मौजूदा बिजली खपत से 8 गुना अधिक है

53 यह उत्पादन ग्राम पंचायत में मौजूदा बिजली खपत से 12 गुना अधिक है

54 उत्सर्जन में कमी से ग्राम पंचायत को कार्बन तटस्थता की ओर ले जाने में मदद मिलेगी।

अनुमानित  
लागत

लागत: ₹20,00,000

कुल लागत: ₹20 लाख

लागत: ₹3,22,80,000

सांकेतिक सब्सिडी<sup>55</sup>: ~40% (राज्य + सीएफए)

प्रभावी लागत: ₹1.93 करोड़

लागत: ₹4,84,20,000

सांकेतिक सब्सिडी: ~40% (राज्य + सीएफए)

प्रभावी लागत: ₹2.9 करोड़



## कृषि फोटोवोल्टिक

चरण

I

2024-25 से 2026-27

II

2027-28 से 2029-30

III

2030-31 से 2034-35

सुझाई गई क्लाइमेट  
स्मार्ट गतिविधियाँ

किसान समूहों आदि के मध्य कृषि-फोटोवोल्टिक जागरूकता बढ़ाने का कार्य

बागवानी की सब्जियों वाले क्षेत्र में कृषि-फोटोवोल्टिक की स्थापना

बागवानी की सब्जियों वाले क्षेत्र में कृषि-फोटोवोल्टिक की स्थापना को बढ़ाना

लक्ष्य

किसानों के मध्य कृषि-फोटोवोल्टिक पहल को प्रोत्साहित करने हेतु जागरूकता अभियान और उन्मुखीकरण सत्रों का आयोजन करना

2 हेक्टेयर बागवानी पर कृषि-फोटोवोल्टिक की स्थापना  
स्थापित क्षमता: 500 kWp (250 किलोवाट प्रति हेक्टेयर)  
उत्पन्न बिजली: 6,69,600 kWh प्रति वर्ष; प्रति दिन 1,835  
GHG उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष 549 tCO<sub>2</sub>e

2 हेक्टेयर बागवानी पर कृषि-फोटोवोल्टिक की स्थापना  
स्थापित क्षमता: 500 kWp (250 किलोवाट प्रति हेक्टेयर)  
उत्पन्न बिजली: 6,69,600 kWh प्रति वर्ष; प्रति दिन 1,835  
GHG उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष 549 tCO<sub>2</sub>e

अनुमानित  
लागत

कुल लागत<sup>56</sup>: ₹5 करोड़

कुल लागत: ₹5 करोड़

<sup>55</sup> सब्सिडी परिवर्तनशील होती है और समय-समय पर राज्य और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न मापदंडों के अनुसार परिवर्तन के अधीन है, इसलिए अनुमानित सब्सिडी राशि पिछले रुझानों और औसत पर आधारित है और वर्तमान समय में सटीक नहीं हो सकती है

<sup>56</sup> प्रौद्योगिकी के विकास के साथ कृषि PV की लागत कम हो रही है। हालाँकि, इसकी लागत का एक रूढ़िवादी अनुमान उच्चतर स्तर पर लगाया गया है। इसके अलावा, यह माना गया है कि किसान बागवानी और अन्य समान फसलों के लिए निर्धारित भूमि क्षेत्रों में भी फसल चक्रण अपनाते हैं। इसलिए, बागवानी में उपलब्ध भूमि का केवल एक प्रतिशत ही कृषि-फोटोवोल्टिक की स्थापना के लिए ध्यान में रखा गया है।



## सोलर पंप

चरण

I

2024-25 से 2026-27

II

2027-28 से 2029-30

III

2030-31 से 2034-35

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

ग्राम पंचायत में मौजूदा डीजल पंप सेट को सोलर पंप से बदलना\*  
\* यदि सोलर पंप व्यवहार्य नहीं हैं, तो ऊर्जा कुशल पंप (EESL द्वारा किसान ऊर्जा डाक पंप) पर विचार किया जा सकता है

1. ग्राम पंचायत में और अधिक डीजल पम्प सेटों को सोलर पम्पों से बदलना
2. सभी नए पंप सेटों को सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए उनकी खरीद/उपयोग को प्रोत्साहित करना

1. ग्राम पंचायत में और अधिक डीजल पम्प सेटों को सोलर पम्पों से बदलना
2. सभी नए पंप सेटों को सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए उनकी खरीद/उपयोग को प्रोत्साहित करना

लक्ष्य

42 मौजूदा डीजल पंप सेटों को सोलर पंप से बदलना  
स्थापित क्षमता: 231 kW  
बिजली उत्पादन: प्रति वर्ष 3,09,355 kWh  
डीजल खपत में कमी : 16,380 लीटर/वर्ष  
GHG उत्सर्जन में कमी: 44 tCO<sub>2</sub>e प्रति वर्ष

63 और डीजल पंपों को सोलर पंपों से बदला जाएगा (यानि कि चरण I और II में बदले गए मौजूदा डीजल पंपों का 50%)  
स्थापित क्षमता: 347kW  
बिजली उत्पादन : प्रति वर्ष 4,64,032 kWh  
डीजल खपत में कमी: 24,570 लीटर/वर्ष  
GHG उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष 66 tCO<sub>2</sub>e

शेष 105 डीजल पंपों को सोलर पंपों से बदलना (अर्थात चरण I, II और III में 100% मौजूदा डीजल पंपों को बदलना)  
स्थापित क्षमता: 578 kW  
बिजली उत्पादन: प्रति वर्ष 7,73,388 kWh  
डीजल खपत में कमी: 40,950 लीटर/वर्ष  
GHG उत्सर्जन में कमी: प्रति वर्ष 110 tCO<sub>2</sub>e

अनुमानित लागत

कुल लागत: ₹1,26,00,000- ₹2,10,00,000  
सब्सिडी: ~60% (राज्य + सीएफए)  
प्रभावी लागत: 50 लाख - 84 लाख

कुल लागत: ₹1,89,00,000- ₹3,15,00,000  
सब्सिडी: ~60% (राज्य + सीएफए)  
प्रभावी लागत: 75 लाख - ₹1.2 करोड़

कुल लागत: ₹3,15,00,000- ₹5,25,00,000  
सब्सिडी: ~60% (राज्य + सीएफए)  
प्रभावी लागत: 75 लाख - ₹1.2 करोड़ - ₹2 करोड़



## रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग

चरण

I

2024-25 से 2026-27

परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + रसोई गैस(एलपीजी)  
 परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा से संचालित इंडक्शन कुकस्टोव्स + रसोई गैस(एलपीजी)  
 परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुक स्टोव्स + उन्नत चूल्हे + रसोई गैस(एलपीजी)

II

2027-28 से 2029-30

परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + रसोई गैस(एलपीजी)  
 परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा से संचालित इंडक्शन कुकस्टोव्स + रसोई गैस(एलपीजी)  
 परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुक स्टोव्स + उन्नत चूल्हे + रसोई गैस(एलपीजी)

III

2030-31 से 2034-35

परिदृश्य 1: घरेलू बायोगैस + रसोई गैस(एलपीजी)  
 परिदृश्य 2: सौर ऊर्जा से संचालित इंडक्शन कुकस्टोव्स + रसोई गैस(एलपीजी)  
 परिदृश्य 3: सौर ऊर्जा संचालित इंडक्शन कुक स्टोव्स + उन्नत चूल्हे + रसोई गैस(एलपीजी)

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

लक्ष्य

परिदृश्य 1: 113 परिवार बायोगैस संयंत्रों का उपयोग करते हैं (25% परिवार जिनके पास मवेशी हैं) + 498 घरेलू रसोई गैस(एलपीजी) का उपयोग करते हैं  
 परिदृश्य 2: 18 परिवार सौर ऊर्जा से चलने वाले इंडक्शन कुकस्टोव का उपयोग करते हैं (शीर्ष आय समूहों में 25% परिवार) + 596 रसोई गैस(एलपीजी) का उपयोग करते हैं  
 परिदृश्य 3: 14 परिवार सौर ऊर्जा से चलने वाले इंडक्शन कुकस्टोव का उपयोग करते हैं (शीर्ष आय समूहों में 25% परिवार) + 55 परिवार उन्नत चूल्हे का उपयोग करते हैं (50% परिवार जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं)  
 इसमें ग्राम पंचायत में रसोई गैस (LPG) का निरंतर उपयोग भी शामिल है

परिदृश्य 1: 113 और परिवार बायोगैस संयंत्रों का उपयोग करते हैं (संचयी 50% परिवार) + 385 परिवार रसोई गैस(एलपीजी) का उपयोग करते हैं  
 परिदृश्य 2: 14 और परिवार सौर ऊर्जा से चलने वाले इंडक्शन कुकस्टोव का उपयोग करते हैं (शीर्ष आय समूहों में अतिरिक्त 25% परिवार) + 582 परिवार रसोई गैस(एलपीजी) का उपयोग करते हैं  
 परिदृश्य 3: 14 और परिवार सौर ऊर्जा से चलने वाले इंडक्शन कुकस्टोव का उपयोग करते हैं (शीर्ष आय समूहों में अतिरिक्त 25% परिवार) + 55 और परिवार उन्नत चूल्हे का उपयोग करते हैं (शेष 50% परिवार जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं) इसमें ग्राम पंचायत में रसोई गैस (LPG) का निरंतर उपयोग भी शामिल है

परिदृश्य 1: अतिरिक्त 224 परिवार बायोगैस संयंत्रों का उपयोग करते हैं (100% परिवार जिनके पास मवेशी हैं) + 161 परिवार रसोई गैस(एलपीजी) का उपयोग करते हैं  
 परिदृश्य 2: 28 और परिवार सौर ऊर्जा से चलने वाले इंडक्शन कुकस्टोव का उपयोग करते हैं (शीर्ष आय समूहों में 100% परिवार) + 554 परिवार रसोई गैस(एलपीजी) का उपयोग करते हैं  
 परिदृश्य 3: 28 और परिवार सौर ऊर्जा से चलने वाले इंडक्शन कुकस्टोव का उपयोग करते हैं (शीर्ष आय समूहों में 100% परिवार) + 110 परिवार पहले से ही उन्नत चूल्हे का उपयोग कर रहे हैं (दूसरे चरण में) इसमें ग्राम पंचायत में रसोई गैस (LPG) का निरंतर उपयोग भी शामिल है

अनुमानित लागत

परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्रों के लिए ₹56,25,000  
 परिदृश्य 2: सोलर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹6,30,000  
 परिदृश्य 3: सोलर इंडक्शन कुकस्टोव + उन्नत चूल्हों के लिए ₹7,95,000  
 कुल लागत: ₹23.5 लाख

परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्रों के लिए ₹56,25,000  
 परिदृश्य 2: सोलर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹6,30,000  
 परिदृश्य 3: सोलर इंडक्शन कुकस्टोव + उन्नत चूल्हों के लिए ₹7,95,000  
 कुल लागत: ₹23.5 लाख

परिदृश्य 1: बायोगैस संयंत्रों के लिए ₹1,12,00,000  
 परिदृश्य 2: सोलर इंडक्शन कुकस्टोव के लिए ₹12,60,000  
 परिदृश्य 3: सोलर इंडक्शन कुकस्टोव + उन्नत चूल्हों के लिए ₹15,90,000  
 कुल लागत: ₹46 लाख



## ऊर्जा कुशल फिक्स्चर

### चरण

### सुझाई गई व्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

### लक्ष्य

### अनुमानित लागत

	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
	<ol style="list-style-type: none"><li>सभी PRI भवनों में सभी लाइट फिक्स्चर और पंखों को ऊर्जा कुशल फिक्स्चर से बदला जाना</li><li>कम से कम एक सीएफएल बल्ब को एलईडी बल्ब से बदलना</li><li>कम से कम 1 फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट को एलईडी ट्यूब लाइट से बदलना</li><li>ग्रामवासियों को अन्य घरेलू उपकरणों को ऊर्जा कुशल उपकरणों (बीईई द्वारा 4-5 स्टार रेटिंग) के साथ बदलने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>सीएफएल बल्बों के स्थान पर एलईडी बल्बों का उपयोग बढ़ाना</li><li>ट्यूब लाइटों के स्थान पर एलईडी ट्यूब लाइट से बदलने की योजना</li><li>घरों में 1 पारंपरिक पंखे के स्थान पर ऊर्जा दक्ष पंखे लगाना</li><li>ग्रामवासियों को अन्य घरेलू उपकरणों को ऊर्जा कुशल उपकरणों (बीईई द्वारा 4-5 स्टार रेटिंग) के साथ बदलने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना</li></ol>	घरों में पारंपरिक पंखे की जगह ऊर्जा कुशल पंखों का उपयोग बढ़ाना
	<ol style="list-style-type: none"><li>सभी PRI सरकारी भवनों में मौजूदा 100% फिक्चर्स को एलईडी ट्यूब लाइट और ऊर्जा कुशल पंखों से बदलना</li><li>सभी घरों में 262 मौजूदा सीएफएल को एलईडी ट्यूब लाइट से बदलना (प्रत्येक घर में 1)</li><li>सभी घरों में 15 मौजूदा ट्यूब लाइटों को एलईडी ट्यूब लाइटों से बदलना (प्रति घर 1)</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>सभी घरों में अतिरिक्त 262 मौजूदा सीएफएल को एलईडी ट्यूब लाइट से बदलना (प्रत्येक घर में 1)</li><li>सभी (100%) घरों में 233 पंखों को ऊर्जा कुशल पंखों से बदलना (प्रत्येक घर में 1)</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>सभी (100%) घरों में 233 पंखों को ऊर्जा कुशल पंखों से बदलना (प्रत्येक घर में 1)</li></ol>
	<ol style="list-style-type: none"><li>एलईडी बल्ब की लागत: ₹18,340</li><li>एलईडी ट्यूब लाइट की लागत: ₹3,300</li></ol> <p>कुल लागत: ₹21,640</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>एलईडी बल्ब की लागत: ₹18,340</li><li>ऊर्जा कुशल पंखों की लागत: ₹2,58,630</li></ol> <p>कुल लागत: ₹2,76,970</p>	ऊर्जा कुशल पंखों की लागत: ₹2,58,630  कुल लागत: ₹2,58,630



## सोलर स्ट्रीट लाइट<sup>57</sup>

चरण	I 2024-25 से 2026-27	II 2027-28 से 2029-30	III 2030-31 से 2034-35
सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ	<ol style="list-style-type: none"> <li>सड़कों, सार्वजनिक स्थानों और अन्य प्रमुख स्थानों पर सोलर एलईडी स्ट्रीटलाइटें स्थापित करना</li> <li>प्रमुख स्थानों पर 5 हाई-मास्ट सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट स्थापित करना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>आवश्यकता के अनुसार नई सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाना</li> <li>आवश्यकता के अनुसार हाई मास्ट सोलर एलईडी लगाना</li> </ol>	स्ट्रीट लाइटों का नियमित रखरखाव और आवश्यकतानुसार लगाना
लक्ष्य	<ol style="list-style-type: none"> <li>विशिष्ट स्थानों पर 50 सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट स्थापित करना</li> <li>10 हाई-मास्ट सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाना</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>अतिरिक्त सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाना</li> <li>अतिरिक्त 10 हाई-मास्ट सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट</li> </ol>	स्ट्रीट लाइटों का नियमित रखरखाव और आवश्यकतानुसार लगाना
अनुमानित लागत	<ol style="list-style-type: none"> <li>25 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट की स्थापना: ₹2,50,000</li> <li>10 हाई-मास्ट सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट: ₹5,00,000</li> </ol> <p>कुल लागत: ₹7,50,000</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>25 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट की स्थापना: ₹2,50,000</li> <li>10 हाई-मास्ट सोलर एलईडी स्ट्रीट लाइट: ₹5,00,000</li> </ol> <p>कुल लागत: ₹7,50,000</p>	आवश्यकतानुसार

## वर्तमान में संचालित योजनाएं और कार्यक्रम

- उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति, 2022<sup>58</sup> निम्नलिखित प्रदान करती है:
  - आवासीय क्षेत्र में सौर ऊर्जा की स्थापना पर सब्सिडी: एमएनआरई (एमएनआरई) द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त ₹15,000/किलोवाट से अधिकतम सीमा ₹ 30,000/- प्रति उपभोक्ता तक
  - स्वयं के द्वारा रेस्को<sup>59</sup> मोड में संस्थानों में या यूपीएनईडीए (यूपीनेडा ) के परामर्श के साथ संयंत्र की 3 प्रतिशत लागत के परामर्श शुल्क के साथ सौर ऊर्जा की स्थापना के प्रावधान
- ग्रिड कनेक्टेड सोलर रूफटॉप प्रोग्राम के माध्यम से एमएनआरई द्वारा केंद्रीय वित्तीय सहायता
  - 3 किलोवाट क्षमता तक के आरटीएस सिस्टम के लिए 40 प्रतिशत तक सीएफए दिया जाएगा। 3 किलोवाट से अधिक और 10 किलोवाट तक की क्षमता वाले आरटीएस सिस्टम के लिए, 40 प्रतिशत का सीएफए केवल पहले 3 किलोवाट की क्षमता के लिए लागू होगा और 3 किलोवाट से अधिक (10 किलोवाट तक) की क्षमता के लिए सीएफए 20 प्रतिशत तक ही होगा।
  - गुप हाउसिंग सोसायटी/आवासीय कल्याण संघों (जीएचएस/आरडब्ल्यूए (GHS/RWA ) के लिए सीएफए आम सुविधाओं को बिजली की आपूर्ति के लिए आरटीएस (RTS) संयंत्र की स्थापना के लिए 20 प्रतिशत तक सीमित है। जीएचएस/आरडब्ल्यूए के लिए सीएफए के लिए पात्र क्षमता प्रति घर 10 किलोवाट तक सीमित है और कुल 500 किलोवाट से अधिक नहीं होगी।

57 ग्राम प्रधान से प्राप्त सुझाव के आधार पर

58 [https://invest.up.gov.in/wp-content/uploads/2023/02/Uttar\\_Pradesh\\_Solar\\_Energy\\_Policy\\_2022.pdf](https://invest.up.gov.in/wp-content/uploads/2023/02/Uttar_Pradesh_Solar_Energy_Policy_2022.pdf)

59 तृतीय पक्ष (RESCO मोड) {नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति कंपनी}

- » गरीब परिवारों के लिए सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन पीएम-सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना<sup>60</sup> के तहत किये किए जा सकते हैं। यह योजना 2 किलोवाट क्षमता वाली प्रणालियों के लिए प्रणाली लागत का 60% तथा 2 से 3 किलोवाट क्षमता वाली प्रणालियों के लिए अतिरिक्त प्रणाली लागत का 40% सीएफए प्रदान करती है। केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) को 3 किलोवाट पर सीमित किया जाएगा। मौजूदा बेंचमार्क कीमतों पर, 1 किलोवाट सिस्टम के लिए ₹ 30,000, 2 किलोवाट सिस्टम के लिए ₹60,000 और 3 किलोवाट सिस्टम या उससे अधिक के लिए ₹78,000 की सब्सिडी होगी।
- प्रधानमंत्री कुसुम योजना निम्नलिखित प्रदान करती है:
  - » प्रधानमंत्री कुसुम योजना का घटक A, कृषि भूमि पर 500 किलोवाट और बड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने को बढ़ावा देती है।
  - » प्रधानमंत्री कुसुम योजना के घटक B और C के तहत, केंद्र और राज्य सरकार प्रति पंप के आधार पर 30 प्रतिशत की सब्सिडी प्रदान करेगी। किसानों को केवल 10 प्रतिशत की अग्रिम लागत का भुगतान करना होगा और बाकी का भुगतान बैंक को किश्तों में किया जा सकता है।
- प्रधानमंत्री कुसुम योजना में उत्तर प्रदेश सरकार का योगदान:
  - » घटक C -1 के तहत: किसानों को 60 प्रतिशत तक की सब्सिडी (अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया और मुसहर जाति के किसानों को 70 प्रतिशत सब्सिडी) के साथ स्थापित ऑन-ग्रिड पंपों का सोलरइजेशन; यह एमएनआरई की प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार से उपलब्ध सब्सिडी के अतिरिक्त है
  - » घटक C-2 के तहत: एमएनआरई (MNRE) की प्रधानमंत्री कुसुम योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सब्सिडी के अलावा राज्य सरकार द्वारा ₹50 लाख प्रति मेगावाट की वाईएबिलिटी गैप फंडिंग (वीजीएफ ) प्रदान करके अलग-अलग कृषि फीडरों का सोलरइजेशन
- ग्राम पंचायतों<sup>61</sup> में एलईडी स्ट्रीट लाइटिंग की परियोजनाएं:
  - » EESL पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को अपनी स्वयं की लागत पर एलईडी स्ट्रीट लाइटों से बदलता है और 7 वर्षों तक एलईडी बल्बों को मुफ्त बदलता है और रखरखाव करता है।
  - » अटल ज्योति योजना और MNRE सोलर स्ट्रीटलाइट प्रोग्राम 12 वाट एलईडी और 3 दिनों की बैटरी बैक-अप के साथ सौर स्ट्रीट लाइट की स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान करते हैं।
- ग्राम उजाला योजना<sup>62</sup>:
  - » ₹10 प्रति बल्ब की सस्ती कीमत पर एलईडी बल्ब उपलब्ध है। ग्रामीण ग्राहकों को काम कर रहे इन्कन्डेसन्ट बल्बों के बदले में तीन साल की वारंटी के साथ 7-वाट और 12-वाट के एलईडी बल्ब दिए जाएंगे।
- कोल्ड स्टोरेज सेट-अप के लिए सब्सिडी:
  - » परियोजना लागत का 35 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडेड सब्सिडी के रूप में सरकारी सहायता 2 योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध है
    1. कृषि सहयोग और किसान कल्याण विभाग (DAC&FW) एकीकृत बागवानी के लिए विकास मिशन (MIDH) कार्यान्वित कर रहा है।
    2. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB) बागवानी के उत्पादों के लिए कोल्ड स्टोरेज और स्टोरेज के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत निवेश सब्सिडी नामक योजना कार्यान्वित कर रहा है।
  - » प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के अंतर्गत, एकीकृत कोल्ड चैन, मूल्य संवर्धन और संरक्षण अवसंरचना पर घटक 35 प्रतिशत की दर से अनुदान-सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिसे गैर-बागवानी, बागवानी, डेयरी, मांस और पोल्ट्री के वितरण की सुविधा के लिए संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला<sup>63</sup> के साथ बुनियादी ढांचे की सुविधा के निर्माण हेतु प्राप्त किया जा सकता है। यह योजना खेत स्तर पर कोल्ड चैन के बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विशेष जोर देने के साथ-साथ परियोजना नियोजन में लचीलेपन की अनुमति देती है।
- EESL कार्बन फाइनेंसिंग का लाभ उठाकर सौर ऊर्जा आधारित इंडक्शन कुकिंग सलूशन के लिए बाजार आधारित हस्तक्षेपों को शुरू करने की योजना बना रहा है
- 15वें वित्त आयोग और स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (SBM-G) के अंतर्गत गोबरधन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सिंग धन) योजना

60 <https://pmsuryaghar.gov.in/>

61 ईईएसएल (EESL) द्वारा स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम। लिंक

62 ग्राम उजाला योजना ग्रामीण क्षेत्रों में एक करोड़ एलईडी बल्ब वितरित करती है (फरवरी 2023), PIB। लिंक

63 यानी फार्म स्तर पर प्री-कूलिंग, वजन करना, छंटवाई, ग्रेडिंग, वैक्सिंग सुविधाएं, बहु उत्पाद/बहु तापमान वाला कोल्ड स्टोरेज, CA स्टोरेज, पैकिंग सुविधा, IQF, वितरण केंद्र और रीफर वैन में ब्लास्ट फ्रीजिंग, मोबाइल कूलिंग यूनिट्स



जैसी योजनाओं के माध्यम से धन का लाभ उठाना।

- » SBM-G के अंतर्गत गोबरधन योजना 2020-21 से 2024-25 की अवधि के लिए क्लस्टर/सामुदायिक स्तर के बायोगैस संयंत्रों की स्थापना हेतु प्रति जिला ₹50 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।<sup>64</sup>
- उत्तर प्रदेश जैव-ऊर्जा नीति 2022<sup>65</sup> गोबरधन योजना के अंतर्गत भारत सरकार से उपलब्ध प्रोत्साहन के अतिरिक्त CBG संयंत्रों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है:
  - » कंप्रेसड बायोगैस (CBG) उत्पादन संयंत्र की स्थापना पर ₹75 लाख प्रति टन से अधिकतम ₹20 करोड़ तक का प्रोत्साहन
  - » विकास प्राधिकरणों द्वारा प्रभारित विकास शुल्क पर छूट
  - » स्टांप ड्यूटी और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 100 प्रतिशत की छूट।
- MNRE ने राष्ट्रीय जैव-ऊर्जा कार्यक्रम के अन्तर्गत अपशिष्ट से ऊर्जा (WTE) कार्यक्रम लागू किया है:
  - » यह कार्यक्रम शहरी, औद्योगिक और कृषि अपशिष्ट से बायोगैस के उत्पादन के लिए संयंत्रों की स्थापना का समर्थन करता है।
  - » छोटे बायोगैस संयंत्रों (1-25 घन मीटर/दिन संयंत्र क्षमता) के लिए वित्तीय सहायता संयंत्र के साइज़ के आधार पर रुपये 9800/- - रुपये 70,400/- प्रति संयंत्र है।
  - » बायोगैस उत्पादन के लिए उपलब्ध वित्तीय सहायता ₹0.25 करोड़ प्रति 12000 मीटर<sup>3</sup>/दिन है<sup>66</sup>।

## वित्त के अन्य स्रोत

- सोलर रूफटॉप, सोलर पंप आदि की खरीद हेतु ऋण के लिए स्थानीय बैंकों, सूक्ष्म वित्त संस्थानों और सहकारी बैंकों के साथ संबंध का पता लगाना।
- कृषि-फोटोवोल्टिक के लिए सोलर डेवलपर्स के साथ साझेदारों का पता लगाना।
- सीएसआर निधियों का इस्तेमाल निम्नलिखित के लिया जा सकता है:
  - » सूक्ष्म-वित्त संस्थानों द्वारा दिए गए परिक्रामी निधि मॉडल के माध्यम से योजना/कार्यक्रम हेतु सब्सिडी के अतिरिक्त सोलर रूफटॉप/एग्रो-फोटोवोल्टिक्स/सोलर पंप की स्थापना हेतु पूंजीगत लागत सुरक्षित करना
  - » ग्राम पंचायत में अपनाई गई विभिन्न स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के लिए ग्राम समुदाय के सदस्यों/SHG के सदस्यों को संचालन एवं रखरखाव का प्रशिक्षण प्रदान करना।
  - » रूफटॉप सोलर (उत्तर प्रदेश सौर नीति, 2022) और सौर सिंचाई (प्रधानमंत्री-कुसुम, उत्तर प्रदेश सौर सिंचाई योजना) को बढ़ावा देने वाली वर्तमान सरकारी योजनाओं/ कार्यक्रमों पर जागरूकता अभियान का आयोजन करना।

## प्रमुख विभाग

- उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी (यूपीनेडा)
- उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल)
- दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
- पंचायती राज विभाग
- ग्राम्य विकास विभाग
- कृषि विभाग
- शिक्षा विभाग

64 <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1883926>

65 <https://invest.up.gov.in/bio-energy-enterprises-promotion-programme-2022/>

66 <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1896067>



## 7. आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

पशुपालन और कृषि ग्राम पंचायत के मुख्य आधार हैं और 65% से अधिक परिवार इन गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। दोनों क्षेत्र, विशेष रूप से बार-बार पड़ने वाले सूखे, बदलती जलवायु और पशुपालन में वर्तमान अस्थिर उत्पादन प्रक्रियाओं के कारण आजीविका संबंधी असुरक्षाओं से भरे हुए हैं। इसलिए, आबादी के एक बड़े हिस्से की आजीविका अनिश्चित है। ग्राम पंचायत में आय के अन्य प्रमुख स्रोत कृषि आधारित और/या स्थानीय व्यवसाय/दुकानें चलाना हैं। पिछले 5 वर्षों में लगभग 70 व्यक्ति बेहतर आजीविका की तलाश में ग्राम पंचायत से पास के शहरों में पलायन कर गए हैं। यह प्रवृत्ति अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती है।

वर्तमान में, बताई गई गतिविधियों के अलावा, ग्राम पंचायत के भीतर नौकरियों के अवसर सीमित हैं। इस कार्य योजना में बताए गए सुझाव आने वाले वर्षों में नए व्यवसायों और नौकरी के अवसरों के लिए दिशा प्रदान करती हैं। इनका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:



### सतत उत्पादों के विनिर्माण में मौजूदा स्वयं सहायता समूहों को शामिल करना

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

1. सतत उत्पादों (बैग, घर के सजावटी सामान, कटलरी, स्टेशनरी आइटम, फर्नीचर, आदि) के निर्माण के लिए महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को शामिल करना।)
2. निम्न के लिए क्षमता निर्माण:
  - » उत्पाद श्रेणी का विविधीकरण
  - » ग्राम पंचायत के भीतर और बाहर उत्पादों का विपणन/बिक्री

लक्ष्य

1. निम्न का प्रारंभिक जुड़ाव:
  - » 100 महिलाएं
  - » 2 स्वयं सहायता समूह
  - » स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल का उपयोग करना
2. इस ग्राम पंचायत और आसपास के गांवों से दीर्घकालिक जुड़ाव:
  - » अतिरिक्त 200 महिलाएं
  - » अतिरिक्त SHG, MSME और व्यक्तिगत उद्यमी



## जैविक कचरे से खाद बनाना और उसे उर्वरक के रूप में बेचना

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

1. खाद के उत्पादन और बिक्री के लिए पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच भागीदारी मॉडल
2. समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों की क्षमता निर्माण
  - » कंपोस्टिंग और वर्मी-कंपोस्टिंग तकनीक
  - » ग्राम पंचायत के भीतर और बाहर खाद का विपणन और बिक्री

लक्ष्य

### तत्काल लक्ष्य:

घरेलू कचरे (जैविक) से उत्पन्न खाद: प्रति दिन ~56 किलोग्राम; प्रति माह 1,680 किलोग्राम (वर्तमान अपशिष्ट उत्पादन के अनुसार)

### दीर्घकालिक लक्ष्य:

जैविक अपशिष्ट उत्पादन के अनुसार खाद उत्पादन को बढ़ाना (जनसंख्या वृद्धि के आधार पर)



## जलीय कृषि के माध्यम से आजीविका में सुधार (ग्राम पंचायत में पर्याप्त सतही जल संसाधन हैं)

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

1. सतत जलीय कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना<sup>67</sup> (एक्वाकल्चर को मछली और अन्य जलीय पौधों के प्रजनन, बढ़ने और कटाई के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है)
2. सतत जलीय कृषि प्रथाओं को अपनाने के लिए किसानों/स्वयं सहायता समूह/FPO का क्षमता निर्माण

लक्ष्य

### तत्काल लक्ष्य:

सतत जलीय कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देना

### दीर्घकालिक लक्ष्य:

मत्स्य सहकारी समितियों, स्वयं सहायता समूहों, राज्य मत्स्य विकास बोर्ड, मत्स्य कृषक उत्पादक संगठनों आदि के माध्यम से विपणन संपर्क स्थापित करना।

<sup>67</sup> उत्पादकता वृद्धि, प्राकृतिक आहार का उपयोग और प्लवकों की उपलब्धता बनाए रखने के लिए प्रभावी सूक्ष्मजीवों का उपयोग जैसी प्रथाएं बिना इनपुट लागत को बढ़ाए मछली उत्पादन बढ़ाने में सहायक होती हैं।



## ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेने की सुविधा

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

1. ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर को व्यवसायिक रूप से किराए पर लेना (किराये के आधार पर) उत्तर प्रदेश EV नीति 2022 और फेम-इंडिया स्कीम फेज- II के अंतर्गत प्रोत्साहन के माध्यम से हरित उद्यमिता के अवसर प्रस्तुत करता है।
2. ई-ट्रैक्टरों एवं ई-गुड्स कैरियर्स के इस्तेमाल के प्रति उपयोगकर्ता समूहों (किसानों/लॉजिस्टिक स्वामियों) को संवेदनशील बनाना

लक्ष्य

### तत्काल लक्ष्य:

1. 2 या 3 ई-ट्रैक्टर (अनुमानित लागत: ₹6 लाख प्रति ई-ट्रैक्टर)
2. 2 या 3 ईवी मिनी गुड्स ट्रांसपोर्ट ट्रक (मिनी गुड्स ईवी ट्रांसपोर्ट ट्रक की अनुमानित लागत: लगभग ₹9.2 लाख)

### मध्यावधि लक्ष्य:

2/3 ई-ट्रैक्टर, 2/3 ईवी मिनी माल परिवहन ट्रकों की अतिरिक्त खरीद

(नोट: यह माना गया है कि बलीपट्टी रानी गांव में आमतौर पर 35 एचपी ई-ट्रैक्टर की आवश्यकता है जिसकी लागत लगभग ₹6 लाख रुपये है)



## सौर ऊर्जा से चलने वाले कोल्ड स्टोरेज के उपयोग के माध्यम से आजीविका में सुधार

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

1. फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के लिए छोटे और मध्यम किसानों (ग्राम पंचायत और आसपास के गांवों के भीतर) को सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज में जगह किराए पर देकर उद्यमिता के अवसर
2. फलों, सब्जियों, दूध और दूध उत्पादों के भंडारण के लिए उद्यमियों, किसान समूहों, सहकारी समितियों (जैसे पारस) और अन्य संस्थागत खरीदारों के बीच बिजनेस/व्यवसाय मॉडल/गठजोड़

लक्ष्य

5 से 10 MT क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज की स्थापना (सब्जियों और फलों/ और/या दुग्ध उत्पादों के उत्पादन के आधार पर टन) लागत: लगभग ₹8,00,000 से ₹15,00,000



## प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए आरोग्य वन

सुझाई गई क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियाँ

1. विकास के माध्यम से समुदायों के लिए आजीविका सृजन और प्राकृतिक औषधियों एवं अनुपूरकों के उत्पादन के लिए आरोग्य वन का रखरखाव
2. कौशल विकास एवं प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय औषधीय एवं संगंध पौध संस्थान, लखनऊ के साथ साझेदारी



## विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों (सौर और जैव-गैस) का प्रचालन एवं रखरखाव

1. नवीकरणीय ऊर्जा रखरखाव पर कौशल विकास के लिए समुदाय के सदस्यों विशेष रूप से स्नातकों, युवा समूहों और किसान समूहों का प्रशिक्षण और क्षमता विकास।
2. ग्राम पंचायत के भीतर सोलर और बायो-गैस स्थापना तथा संचालन एवं रखरखाव व्यवसायों की स्थापना में सीएसआर, केंद्र और राज्य सरकार की कौशल योजनाओं से सहायता।

## वित्त पोषण एवं कौशल विकास

- हरित उद्यमशीलता और आजीविका का समर्थन करने के लिए बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों को संवेदनशील बनाना (विभिन्न क्रेडिट योजनाओं, साझेदारी/राजस्व मॉडल के माध्यम से); सरकारी ऋण योजनाएं जैसे मुद्रा ऋण, स्त्री शक्ति योजना आदि महिला उद्यमियों का समर्थन कर सकती हैं।
- आवश्यक कौशल विकास सहायक सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से प्रदान किया जाता है जैसे: मेक इन इंडिया, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST), राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन और अटल इनोवेशन मिशन द्वारा संचालित उद्यमी विकास कार्यक्रम।

इस अनुभाग में ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त विचार के लिए संभावित संस्तुतियों की एक सूची दी गई है। इन संस्तुतियों को भारत के विभिन्न हिस्सों और भौगोलिक क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है जिनमें उत्तर प्रदेश के साथ बहुत समानताएं हो सकती हैं।

इन्हें मुख्य अनुशंसाओं में शामिल न करने का कारण यह है कि यह संस्तुतियां/परियोजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार की किसी भी वर्तमान योजना या कार्यक्रम या केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के दायरे में नहीं आती हैं। इसलिए इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन वैकल्पिक वित्तपोषण विकल्पों, जैसे स्व-वित्तपोषण, CSR या ऐसे अन्य स्रोतों के माध्यम से करना होगा।

यदि यह परियोजनाएं लागू की जाती हैं, तो इनके माध्यम से समुदायों की अनुकूलन क्षमताओं को और मजबूत करने की संभावना हो सकती है एवं इनके परिणामस्वरूप आजीविका में वृद्धि भी हो सकती है।

## 1. सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज इकाई (एफपीओ, एसएचजी व किसान):

- फसल कटाई के बाद की दक्षता बढ़ाने और नुकसान को कम करने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली कोल्ड स्टोरेज इकाई हैं।
- यह किसानों को संकटपूर्ण बिक्री से बचने में मदद करता है और किसानों की आय में सुधार करता है।

ये गतिविधि "आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ाना" अनुभाग में चर्चा की गई पहलों को मजबूत करने में सहायता करेगी

**सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण : 68,69,70**

- हैदराबाद, तेलंगाना में कट्टनगुर फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड।
- घुम्मर किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) राजस्थान के पाली जिले की बाली तहसील के नाना गांव में स्थित है।

## 2. सौर निष्क्रिय डिजाइन और निष्क्रिय शीतलन:

नए निर्माण और रेट्रोफिटिंग के लिए (जहां भी संभव हो): ऊर्जा की मांग को कम करने और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए आवासीय घरों और प्रशासनिक भवनों में सतत डिजाइन के साथ स्थानीय और पारंपरिक सामग्री को बढ़ावा देना चाहिए:

- घरों में सौर ज्यामिति के अनुसार भवन का अभिविन्यास करना चाहिए ।
- घरों में प्राकृतिक वायु का कुशल संचलन होना चाहिए ।
- घरों में सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर का उपयोग करना चाहिए ।
- घरों में प्राकृतिक प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए (पारंपरिक प्रकाश यानी बिजली से चलने वाले बल्ब, ट्युबलाइट आदि को कम करना) ।
- घरों में ऊर्जा संरक्षण गतिविधियाँ करनी चाहिए ।
- हरित जल निकाय और डिजाइन किए गए परिदृश्य (वृक्षारोपण/बागवानी) ।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" अनुभाग में चर्चित पहलों को मजबूत करेगी।

68 [https://selcofoundation.org/wp-content/uploads/2023/08/Compendium\\_Updated\\_20230922.pdf](https://selcofoundation.org/wp-content/uploads/2023/08/Compendium_Updated_20230922.pdf)

69 <https://www.opportunityindia.com/article/empowering-women-fpo-through-solar-power-ghummar-fpo-34521>

70 <https://www.ecozensolutions.com/ecofrost/fpos-leverage-agri-infra-funds-for-ecofrost.html>

### सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

राजकुमारी रत्नावती बालिका विद्यालय<sup>71</sup>, थार रेगिस्तान, राजस्थान का गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली 400 से अधिक लड़कियों के लिए निर्माण किया गया है: जिसमें प्रमुख रूप से निम्नलिखित उपायों का उपयोग किया गया है:

- थर्मल आराम को अधिकतम करने के लिए बिल्डिंग ओरिएंटेशन पर ध्यान दिया गया है।
- प्रकाश और पंखे चलाने के लिए स्कूल के छतों पर सौर पैनल लगाये गए हैं।
- सोलर पैनल कैनोपी और स्क्रीन स्कूल के कमरों में ज्यादा गर्मी होने से बचाते हैं।
- छत का अण्डाकार आकार शीतलता (वायुप्रवाह) उत्पन्न करता है।
- इमारत की दीवारें हवा के प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती हैं और धूप व रेत को स्कूल के कमरों में आने से रोकती हैं।
- निर्माण के लिए स्थानीय सामग्री का उपयोग किया गया है।

### सोलर पैसिव कॉम्प्लेक्स, पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (PEDA), चंडीगढ़<sup>72</sup> :

- भवन में एकीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र से 25 किलोवाट की बिजली का उत्पादन किया जाता है।
- सौर ज्यामिति के अनुसार अभिविन्यास किया गए हैं।
- भवन की छत (डिज़ाइन+सामग्री) गर्मी से रहत देने के उद्देश्य से बनाई गई।
- सौर ऊर्जा से कमरों में एयर कंडीशनर और प्रकाश की जरूरत को पूरा किया जाता है (उदाहरण के लिए, लाइट वॉल्ट, सौर चिमनी के साथ पवन टॉवर)।
- शीतलन और वायु शोधन के लिए छोटे तालाब और वृक्षारोपण (पेड़, झाड़ियाँ और घास)

## 3. सौर ऊर्जा संचालित RO जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियोस्क का निर्माण:

सौर-आधारित आरओ (RO) जल शोधन प्रणाली स्वच्छ पेयजल की समस्या के लिए एक सतत और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करती है। यह पानी के पुनः उपयोग को बढ़ावा देते हुए समुदाय को सुरक्षित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करता है। पेयजल की गुणवत्ता की समस्या से जूझ रही ग्राम पंचायत के लिए यह पहल लाभदायक हो सकती है।

### सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

#### हिवरा लाहे गांव, जिला-वाशिम, राज्य-महाराष्ट्र<sup>73</sup>:

- सीएसआर समर्थन से सौर ऊर्जा संचालित जल शोधन प्रणाली/ जल एटीएम कियोस्क (समुदाय आधारित) को स्थापित किया गया।
- समुदाय की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार देखा गया।
- प्रणाली के संचालन और प्रबंधन के लिए ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को सक्षम बनाया गया।
- इसी तरह की पहल गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान आदि राज्यों में भी की गई है।

71 <https://www.avontuura.com/rajkumari-ratnavati-girls-school-diana-kellogg-architects>

72 <https://peda.gov.in/solar-passive-complex>

73 <https://yraindia.org/wp-content/uploads/2019/12/RO-plant-Success-story-in-Village-Hiwara-HDB-project.pdf>

## 4. सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड का निर्माण:

पशु शेड मवेशियों को तीव्र गर्मी और शीतलहर से बचाने के लिए सौर ऊर्जा संचालित अनुकूली उपाय हैं। इस पहल में पशु शेड की छतों पर सौर ऊर्जा पैनलों लगाना जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का शमन करने में सहायक हैं। यह सौर ऊर्जा संचालित पशु शेड बिजली की मांग की भी पूर्ति कर सकते हैं। यह ऊर्जा की मांग में कमी और निष्क्रिय शीतलन और वेंटिलेशन प्रदान करने में सहायक हैं, इसके अलावा पशु शेड अन्य ऊर्जा की जरूरत को पूरा करते हैं जैसे की चारे की तैयारी और शेड संचालन करने में ऊर्जा की ज़रूरत। अतिरिक्त उत्पादित बिजली को ग्रिड में डाला जा सकता है जिससे किसानों को अतिरिक्त आय उत्पन्न करने का स्रोत मिल सकता है।

इस तरह के पशु शेड बायोगैस उत्पादन और पशु अपशिष्ट (गोबर) से उर्वरक तैयार करने में भी मदद करेंगे। ये पशु शेड उचित पृथक और पशुओं को सुरक्षित स्थान प्रदान करके पशुओं में फैलने वाले रोगों के संचरण को कम करने में भी मदद का सकते हैं।

यह गतिविधि संस्त्रुतियों के " सतत कृषि" खंड में सतत पशुधन प्रबंधन सुझावों को मजबूत कर सकती है।

### सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

**जिले: लुधियाना, बठिंडा और तरनतारन, पंजाब<sup>74,75</sup>**

- यह परियोजना 3 जिलों में 1-2 हेक्टेयर भूमि और 5-15 डेयरी पशुओं वाले छोटे और सीमांत किसानों के 3000 परिवारों के लिए कार्यान्वित की गई
- पशु शेड जलवायु को सुरक्षित करने और छोटे और सीमांत पशुधन किसानों की स्थायी आजीविका को बढ़ावा देते हैं

**निर्मल गुजरात अभियान<sup>76</sup>**

- गुजरात के हिममतनगर में पशु छात्रावास गांवों को साफ रखने में मदद करते हैं।
- ऐसे पशु आश्रय स्थल में बायोगैस और वर्मीकम्पोस्ट उत्पन्न करने के लिए गोबर एकत्र करने में भी प्रभावी हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम कल्याण के लिए धन जुटाने के लिए वर्मीकम्पोस्ट बेचा जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, एक "अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी)<sup>77</sup>" के तहत पशु शेड सब्सिडी योजना" है, जिसे गुजरात सरकार के पशुपालन, कृषि, किसान कल्याण और सहयोग विभाग निर्देशल्य द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना के तहत, अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को 2 जानवरों के लिए मवेशी शेड के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता (या तो ₹30,000/- या मवेशी शेड की लागत का 50%, जो भी कम हो) दी जाती है।

## 5. कूल रूफ/ठंडी छतें

घरों, सार्वजनिक इमारतों और सरकारी भवनों की छतों को सौर-परावर्तक पेंट से रंगना।

### सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

जोधपुर, भोपाल, सूरत और अहमदाबाद में झुग्गी-झोपड़ी वाले घर<sup>78</sup>

- स्थानीय सामुदायिक कार्यकर्ताओं ने परिवारों को अपनी खुद की ठंडी छत को पेंट करने के लिए प्रशिक्षित किया।
- प्रदर्शन आउटरीच: 460 से अधिक छतों पर पेंट किया गया।
- पारंपरिक छतों की तुलना में घर के अंदर का तापमान 2 - 5°C कम पाया गया।

यह गतिविधि "स्वच्छ, सतत, किफायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच" अनुभाग से जुड़ी है।

74 <https://pscst.punjab.gov.in/en/climate-resilient-livestock-production-system>

75 <https://moef.gov.in/wp-content/uploads/2017/08/Punjab.pdf>

76 <https://jayshaktiengg.com/gujarat-government-launches-solar-scheme-for-farmers/>

77 <https://www.myscheme.gov.in/schemes/cssscscpscc>

78 <https://www.nrdc.org/bio/anjali-jaiswal/cool-roofs-community-एलईडी-initiatives-four-indian-cities>



## 6. चारे की संपूरक के उपयोग से मवेशियों से मीथेन उत्सर्जन को कम करना :

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)<sup>12</sup>-राष्ट्रीय पशु पोषण और फिजियोलॉजी संस्थान ने पशुधन से मीथेन उत्सर्जन को कम करने में मदद के लिए फ्रीड सप्लीमेंट (हरित धारा और टैमरिन प्लस) विकसित किए हैं।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ी है।

### सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण

- इन सम्पूरको के उपयोग से आंत्रिय मीथेन उत्सर्जन में 17-20% तक कम हो सकता है<sup>79</sup>।
- आईसीएआर की रिपोर्ट के अनुसार इन पूरक आहार की कीमत ₹ 6 प्रति किलोग्राम है।

## 7. सौर ऊर्जा संचालित ऊर्ध्वाधर चारा उगाने वाली इकाइयों (घरेलू स्तर/ सामुदायिक स्तर) का निर्माण:

सौर ऊर्जा से संचालित, माइक्रोकलाइमेट-नियंत्रित, ऊर्ध्वाधर चारा उगाने वाली इकाई उपयोगकर्ताओं को प्रतिदिन एक बाल्टी से भी कम पानी के साथ ताजा चारा काटने में सक्षम बनाती है। ऐसी इकाइयाँ सूखे की स्थिति में भी पशुओं के लिए चारे की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगी।

यह गतिविधि "सतत कृषि" अनुभाग से जुड़ा है।

### सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और बिहार राज्यों में<sup>80</sup>

- चारा उत्पादक इकाइयों को अपनाने से पशुधन के लिए हरे चारे की उपलब्धता में वृद्धि।
- इससे किसानों की आय में वृद्धि होती है।

## 8. पंचायत स्तरीय जल बजटिंग

जलवायु-अनुकूल कृषि-आधारित आजीविका के लिए जल प्रबंधन और 'जल बजटिंग'

- वार्षिक/त्रैमासिक जल बजट की गणना।
- ग्राम स्तर पर "जल की कमी" और "जल अधिशेष" की गणना।
- पानी की उपलब्धता के आधार पर वार्षिक फसल उत्पादन योजना।
- जल बर्बादी को रोकने के लिए जल ऑडिट।

यह गतिविधि कार्ययोजना के सतत कृषि और जल संसाधन प्रबंधन अनुभागों से जुड़ी है। यह पहल फसल चयन/योजना, खेत तालाब, बेहतर सिंचाई विधियों, जल पुनर्भरण आदि जैसे कई हस्तक्षेपों को सुदृढ़ बनाएगी।

79 भारतीय कृषि परिषद की रिपोर्ट के अनुसार <https://testicar.icar.gov.in/content/icar-nianp-commercializes-anti-methanogenic-feed-supplement-%E2%80%9Charit-dhara%E2%80%9D>

80 <https://india.mongabay.com/2024/04/amid-fodder-crisis-hydroponics-offers-new-hope-for-indian-farmers/>

## सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

7 ग्राम पंचायतें (जीपी) और पड़ोसी बस्तियां, रंगारेड्डी और नागौरकुर्नूल जिले, तेलंगाना <sup>81</sup>

- यह गतिविधि पानी की खपत की वर्तमान स्थिति व खपत को अनुकूलित करने के उपाय दोनों को पहचानने में मदद करेगी।
- इस गतिविधि के द्वारा प्रत्येक कृषि मौसम यानी खरीफ़ (मानसून), रबी (सर्दी), और ज़ैद (गर्मी) के लिए योजना बनाने में भी सहायता मिल सकती है।

## 9. जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में ग्रामीण महिला उद्यमियों को सक्षम बनाना

गांवों में महिलाओं के नेतृत्व वाली जमीनी स्तर की उद्यमिता सहायता पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण:

- महिलाएं स्वच्छ/हरित प्रौद्योगिकी-आधारित उत्पाद की बिक्री करें।
- महिलाएं समुदायों को स्वच्छ-प्रौद्योगिकियों के महत्व पर शिक्षित करें।
- उदाहरण के लिए, स्वच्छ खाना पकाने (सौर कुकस्टोव), पोर्टेबल सौर जल शोधक, एनर्जी एफ़िसिएंट लाइट, आदि।
- महिलाओं को व्यवसाय विस्तार ऋण उपलब्ध कराया जाए।
- ग्रामीण विपणन और वितरण संबंधों को सुविधाजनक बनाया जाए।

ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता पारिस्थितिकी तंत्र में सक्षम बनाने के लिए व्यावसायिक कौशल विकास, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण।

इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और जलवायु प्रभाव क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका और भागीदारी को मजबूत करना है। यह कार्य योजना के आजीविका और हरित उद्यमिता को बढ़ाने वाले अनुभाग से जुड़ता है।

## सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

4 राज्यों (महाराष्ट्र, बिहार, गुजरात और तमिलनाडु) में 14 जिले<sup>82</sup>

स्वयं शिशन प्रयोग (एसएसपी) महिलाओं को उनके ग्रामीण समुदायों में स्वच्छ ऊर्जा उद्यमियों और जलवायु परिवर्तन नेताओं के रूप में सक्षम बनाता है:

- 60,000 से अधिक ग्रामीण महिला उद्यमियों को स्वच्छ ऊर्जा, सतत कृषि, स्वास्थ्य और पोषण, और सुरक्षित पानी और स्वच्छता में सक्षम बनाया गया।
- 1,000 से अधिक महिला उद्यमियों ने स्वच्छ-ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में प्रशिक्षण लिया और व्यवसाय शुरू किया।

## 10. सामुदायिक बीज बैंक

- सामुदायिक बीज बैंक क्षेत्र में फसल विविधीकरण और स्थिरता को बढ़ावा देंगे एवं स्थानीय बीज प्रणालियों को मुख्यधारा में लाएंगे, तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति सुदृढ़ बनाएंगे।
- ऐसे बीज बैंक किसानों को सूखा-सहिष्णु और जलवायु परिवर्तन अनुरोधक फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
- किसानों के लिए सुरक्षा जाल सुनिश्चित करें, विशेष रूप से प्रतिकूल मौसम की स्थिति और भोजन की कमी के दौरान।

<sup>81</sup> <https://wotr.org/2018/03/31/water-budgeting-in-telangana-the-need-and-the-objective-of-the-campaign/>

<sup>82</sup> <https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/women-for-results/rural-community-leaders-combatting-climate-change>

## सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

सामुदायिक बीज बैंक, डंगधोरा, जोरहाट, असम (UNEP-GEF परियोजना)<sup>83</sup>

- बीज बैंक से जुड़े किसानों को स्थानीय बाजार में उपलब्ध बीजों की तुलना में बेहतर गुणवत्ता वाले बीजों की कटाई, उपचार, भंडारण और गुणा करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।
- बीज बैंक की पहल सहभागी फसल सुधार और ज्ञान-साझाकरण रणनीतियों को बढ़ावा देती है।
- किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीजों तक सस्ते और आसान पहुंच प्रदान की जाती है व किसानों को बाजार से भी जोड़ती है।
- यह बीज प्रणालियाँ व इनकी मूल्य श्रृंखलाएँ स्थिरता और खाद्य सुरक्षा दोनों की रक्षा करती हैं।

## 11. जैव-संसाधन केंद्र (बीआरसी) की स्थापना

जैव-इनपुट संसाधन केंद्र (बीआरसी) प्राकृतिक खेती को अपनाने की सुविधा के लिए जैव-इनपुट तैयार करते हैं और आपूर्ति करते हैं। बीआरसी से किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए जैव-इनपुट स्वयं तैयार करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जैव-इनपुट तैयार करना एक समय लेने वाली और श्रम-गहन गतिविधि है।

- मिट्टी के स्वास्थ्य, फसल उपज की वृद्धि, कीट या रोग प्रबंधन में सुधार के लिए उपयोगी जैविक संस्थाओं या जैविक रूप से व्युत्पन्न इनपुट का उपयोग करने वाले स्थानीय रूप से तैयार उत्पाद किसानों द्वारा खरीद के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं।
- बीआरसी क्षेत्र के किसानों की सभी जैव इनपुट आवश्यकताओं के लिए सिंगल-स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करता है।

## सर्वोत्तम प्रथाएं/ उदाहरण:

आंध्र प्रदेश राज्य में<sup>84</sup>

- सतत जलवायु-अनुकूल कृषि में योगदान देता है।
- किसानों को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलने में मदद मिलती है क्योंकि उच्च कार्बनिक पदार्थ की मात्रा मिट्टी को बाढ़, सूखे और भूमि क्षरण प्रक्रियाओं के प्रति अधिक लचीला बनाती है।
- कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र और पैदावार में स्थिरता होने के परिणामस्वरूप जोखिम कम हो जाता है, और उत्पादन लागत भी कम हो जाती है।




83 <https://alliancebioiversityciat.org/stories/community-seed-banks-empower-farmers-address-climate-risk-india>

84 <https://www.apmas.org/pdf/csv/casestudy-1.pdf>



# अनुकूलन, सह-लाभ और सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ाव




## जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

प्रस्तावित क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियां	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया <sup>85</sup>
<p>a. जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>प्रकृति-आधारित समाधान (एनबीएस) पानी की कमी और पानी के तनाव से निपटने की क्षमता को बढ़ाता है</li> <li>बेहतर भूजल पुनर्भरण</li> <li>पानी की गुणवत्ता में वृद्धि</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</b></p> <p>लक्ष्य 6.1 लक्ष्य 6.3 लक्ष्य 6.4 लक्ष्य 6.5</p>
<p>b. जल निकायों का रखरखाव</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>सूखा, लू जैसी आपदाओं के प्रति लचीलापन बढ़ाना</li> <li>कृषि एवं पशुधन उत्पादकता में सुधार</li> <li>स्थानीय जैवविविधता को बढ़ावा</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय</b></p> <p>लक्ष्य 11.4</p> <p><b>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना</b></p> <p>लक्ष्य 12.2</p>
<p>c. वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाएं</p> 		<p><b>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही</b></p> <p>लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2</p> <p><b>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</b></p> <p>लक्ष्य 15.1 लक्ष्य 15.5</p>



85 संलग्नक III में एसडीजी और उनके लक्ष्यों की विस्तृत सूची है

## सतत कृषि

प्रस्तावित क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियां	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
a. कृषि में जलवायु लचीलेपन का निर्माण 	<ul style="list-style-type: none"> <li>कृषि उत्पादकता एवं लाभ में वृद्धि<sup>86</sup></li> <li>मृदा स्वास्थ्य में सुधार</li> <li>रासायनिक आदानों के कम उपयोग के कारण पानी की गुणवत्ता में सुधार</li> </ul>	<b>एसडीजी 2: शून्य भूख</b> लक्ष्य 2.3 लक्ष्य 2.4 लक्ष्य 2.ए; अनुच्छेद 10.3.ई
b. प्राकृतिक खेती अपनाना 	<ul style="list-style-type: none"> <li>कृषि जल सुरक्षा में सुधार</li> <li>शीत लहर और गर्मी की लहर के दौरान पशुधन की हानि कम हुई और उत्पादकता में वृद्धि हुई</li> </ul>	<b>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता</b> लक्ष्य 6.4 लक्ष्य 13.1
c. सतत पशुधन प्रबंधन 	<ul style="list-style-type: none"> <li>वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ और उत्सर्जन में कमी आई</li> </ul>	<b>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही</b> लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3



## हरित स्थानों और जैवविविधता को बढ़ाना








प्रस्तावित क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियां	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
a. हरित आवरण में सुधार 	<ul style="list-style-type: none"> <li>जलवायु घटनाओं/आपदाओं से प्राकृतिक बफ़र</li> <li>सूक्ष्म-जलवायु को विनियमित करने से हीटवेव और तीव्र गर्मी के तनाव से अनुकूलन में सहायता मिलेगी</li> </ul>	<b>एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय</b> लक्ष्य 11.7 लक्ष्य 11.4
b. नर्सरी की स्थापना 	<ul style="list-style-type: none"> <li>औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ होगा</li> <li>बेहतर मृदा स्थिरता, जल संरक्षण और संबंधित कृषि लाभों के लिए प्राकृति-आधारित समाधान (एनबीएस)</li> </ul>	<b>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना</b> लक्ष्य 12.2 <b>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही</b> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3
c. जन जैवविविधता रजिस्टर 	<ul style="list-style-type: none"> <li>पशुधन उत्पादकता में सुधार</li> <li>कृषि वानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन</li> <li>जैवविविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास; पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार</li> </ul>	<b>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</b> लक्ष्य 15.1 लक्ष्य 15.2 लक्ष्य 15.3 लक्ष्य 15.5 लक्ष्य 15.9






## सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

प्रस्तावित क्लाउडमेट स्मार्ट गतिविधियां	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
a. अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना 	<ul style="list-style-type: none"> <li>जलभराव में कमी</li> <li>जल और भूमि प्रदूषण में कमी/बेहतर स्वच्छता</li> <li>100% कुशल अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग मुक्त वातावरण</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली</b> लक्ष्य 3.3 लक्ष्य 3.9</p> <p><b>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छ ता</b> लक्ष्य 6.3 लक्ष्य 6.8</p> <p><b>एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास</b> लक्ष्य 8.3</p> <p><b>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</b> लक्ष्य 9.1</p> <p><b>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना</b> लक्ष्य 12.4 लक्ष्य 12.5 लक्ष्य 12.8</p> <p><b>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही</b> लक्ष्य 13.1 लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3</p> <p><b>एसडीजी 15: भूमि पर जीवन</b> लक्ष्य 15.1</p>
b. जैविक अपशिष्ट का सतत प्रबंधन 	<ul style="list-style-type: none"> <li>आजीविका और आय सृजन</li> </ul>	<p><b>3 GOOD HEALTH AND WELLBEING</b> </p> <p><b>6 CLEAN WATER AND SANITATION</b> </p> <p><b>8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH</b> </p> <p><b>9 INDUSTRY INNOVATION AND INFRASTRUCTURE</b> </p> <p><b>12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION</b> </p> <p><b>13 CLIMATE ACTION</b> </p> <p><b>15 LIFE ON LAND</b> </p>
c. स्वच्छता बुनियादी ढांचे को बढ़ाना 	<ul style="list-style-type: none"> <li>राजस्व और लाभ सृजन</li> <li>सतत कृषि के लिए उन्नत आदान</li> <li>अपशिष्ट आधारित कृषि सर्कुलर अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देना</li> </ul>	
d. एकल - उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध 		

## सतत एवं उन्नत गतिशीलता

प्रस्तावित क्लाउडमेट स्मार्ट गतिविधियां	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
a. मौजूदा सड़क के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना 	<ul style="list-style-type: none"> <li>स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार</li> <li>जोखिम वाले और कमजोर व्यक्तियों के लिए बेहतर पहुंच</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 7: किफायती और स्वच्छ ऊर्जा</b> लक्ष्य 7.2</p> <p><b>एसडीजी 11: स्थायी शहर और समुदाय</b> लक्ष्य 11.2</p> <p><b>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</b> लक्ष्य 9.1</p> <p><b>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही</b> लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3</p>
b. मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाना 	<ul style="list-style-type: none"> <li>अतिरिक्त राजस्व सृजन</li> <li>वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि</li> </ul>	<p><b>7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY</b> </p> <p><b>11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES</b> </p> <p><b>9 INDUSTRY INNOVATION AND INFRASTRUCTURE</b> </p> <p><b>13 CLIMATE ACTION</b> </p>
c. ई-वाहनों और ई-ट्रैक्टर को अपनाने हेतु बढ़ावा देना 	<ul style="list-style-type: none"> <li>जलभराव कम करने जैसे सह-लाभों के साथ सड़क बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने के माध्यम से लचीलेपान में सुधार</li> </ul>	

## स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच

प्रस्तावित क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियां	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
a. सोलर रूफटॉप की स्थापना 	<ul style="list-style-type: none"> <li>ऊर्जा सुरक्षा</li> <li>उष्ण आराम</li> <li>आजीविका के उन्नत विकल्प</li> <li>तिरिक्त राजस्व सृजन</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छ ता</b> लक्ष्य 6.4</p> <p><b>एसडीजी 7: किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा</b> लक्ष्य 7.1 लक्ष्य 7.2 लक्ष्य 7.3 लक्ष्य 7.a लक्ष्य 7.b</p>
b. कृषि-फोटोवोल्टिक 	<ul style="list-style-type: none"> <li>उच्च तापमान/धूप के संपर्क से राहत प्रदान करता है जिसके परिणामस्वरूप उपज स्थिरता और उत्पादकता में वृद्धि होती है</li> <li>विषैले उत्सर्जन/स्थानीय वायु प्रदूषण में कमी</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा</b> लक्ष्य 9.1</p> <p><b>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही</b> लक्ष्य 13.2 लक्ष्य 13.3</p>
c. सोलर पंप 	<ul style="list-style-type: none"> <li>चुकौती/पे-बैक अवधि के बाद आर्थिक लाभ</li> <li>घरों के अंदर वायु प्रदूषण में कमी</li> <li>सभी के स्वास्थ्य, मुख्य रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार</li> </ul>	
d. रसोई में स्वच्छ ईंधन का उपयोग 	<ul style="list-style-type: none"> <li>ईंधन की लकड़ी एकत्र करने के कठिन परिश्रम/शारीरिक श्रम को समाप्त करता है</li> <li>आपदाओं के दौरान ग्रिड विफलताओं से निपटने की क्षमता में वृद्धि</li> </ul>	
e. ऊर्जा कुशल फिक्स्चर 		
f. सोलर स्ट्रीटलाइट 		



# आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

प्रस्तावित क्लाइमेट स्मार्ट गतिविधियां	अनुकूलन क्षमता और सह-लाभ	एसडीजी और संबंधित लक्ष्यों को संबोधित किया गया
<p>a. सतत उत्पादों के निर्माण में पूर्व से गठित स्वयं सहायता समूहों को सम्मिलित करना</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>स्थानीय स्रोतों से प्राप्त कच्चे माल के माध्यम से आजीविका के उन्नत विकल्प</li> <li>जल और भूमि प्रदूषण में कमी</li> <li>सतत कृषि के लिए उन्नत आदान</li> <li>100% कुशल अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों और महामारी की घटनाओं में कमी के कारण अच्छा स्वास्थ्य और अपेक्षाकृत रोग मुक्त वातावरण</li> <li>औषधीय पौधों तक पहुंच से स्वास्थ्य लाभ होगा</li> <li>कृषि वानिकी, प्राकृतिक औषधियों के उत्पादन आदि से राजस्व सृजन</li> <li>जैव विविधता के लिए बेहतर पर्यावरण और आवास; पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार</li> <li>स्थानीय वायु प्रदूषण में गिरावट से मानव और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार</li> <li>वस्तुओं और सेवाओं की अंतिम-मील कनेक्टिविटी में वृद्धि</li> </ul>	<p><b>एसडीजी 5: लैंगिक समानता का लक्ष्य प्राप्त करना और सभी महिलाओं और लड़कियों का सशक्तिकरण</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 5.5</li> </ul> <p><b>एसडीजी 8: सभ्य कार्य और आर्थिक विकास</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 8.3</li> </ul> <p><b>एसडीजी 12: सतत उपभोग और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 12.2</li> <li>लक्ष्य 12.4</li> <li>लक्ष्य 12.5</li> <li>लक्ष्य 12.8</li> </ul> <p><b>एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्यवाही</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>लक्ष्य 13.1</li> <li>लक्ष्य 13.2</li> <li>लक्ष्य 13.3</li> </ul>
<p>b. जैविक कचरे से खाद बनाकर उसे उर्वरक के रूप में बेचना</p> 		
<p>c. जलीय कृषि के माध्यम से आजीविका में सुधार</p> 		
<p>d. ई-माल वाहक और ई-ट्रैक्टर किराए पर लेने की सुविधा</p> 		
<p>e. सौर ऊर्जा संचालित कोल्ड स्टोरेज के उपयोग के माध्यम से आजीविका में सुधार</p> 		
<p>f. प्राकृतिक औषधियों और पूरकों के उत्पादन और बिक्री के लिए आरोग्य वन</p> 		
<p>g. विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों (सोलर और बायो-गैस) का संचालन एवं रखरखाव</p> 		





**का**र्यान्वयन में प्रस्तावित सुझाव से बलीपट्टी रानी गांव के ग्रीनहाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन को कम करने में ही नहीं बल्कि ऊर्जा, खाद्य और जल सुरक्षा प्राप्त करने में भी सहायता होगी, जिससे ग्राम पंचायत क्लाइमेट स्मार्ट, लचीली और सतत बनेगी। इससे गांव के निवासियों की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए ग्राम पंचायत के समग्र और निरंतर विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, ये संस्तुतियां प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व को बढ़ावा देते हुए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करेंगी। बलीपट्टी रानी गांव के लिए यह क्लाइमेट स्मार्ट कार्ययोजना ऊर्जा, कृषि निवेश, पानी, आदि पर व्यय में कमी लाकर बलीपट्टी रानी गांव को 'आत्मनिर्भर' बनाएगी जिससे आर्थिक विकास के नए मार्ग खुलेंगे।

इसके अतिरिक्त, प्रस्तावित हस्तक्षेपों के कार्यान्वयन से जलवायु परिवर्तन पर उत्तर प्रदेश राज्य कार्ययोजना II, 2022 में परिकल्पित के अनुसार, बलीपट्टी रानी गांव जलवायु कार्ययोजना पर राज्य के दृष्टिकोण और लक्ष्यों में भी योगदान देगा, जो बदले में, जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए देश के प्रयासों को सशक्त करेगा, जिससे एनडीसी, 2015 और इसके अद्यतन संस्करण, 2022 में सूचीबद्ध योगदान और 2030 तक सतत विकास लक्ष्य भी प्राप्त होंगे।

जलवायु संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए स्थानीय स्तर पर विशेष रूप से तैयार किए गए समाधानों की आवश्यकता है, जो पर्याप्त जलवायु वित्त और कार्यान्वयन के अन्य माध्यमों की उपलब्धता से ही सफल हो सकते हैं। इसे राज्य और केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत समर्थित ग्राम पंचायत विकास योजना में परिकल्पित जारी गतिविधियों में न्यूनीकरण और अनुकूलन दोनों जलवायु कार्यवाही को मिलाकर और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाकर प्राप्त किया जा सकता है। इससे सभी प्रासंगिक हितधारकों: समुदाय, सरकारी प्रशासन, निर्वाचित प्रतिनिधियों और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग में वृद्धि होगी। कार्ययोजना के कार्यान्वयन के बाद, नई अवसंरचना/प्रौद्योगिकी के कुशल प्रबंधन के रूप में निरंतर कार्यवाही बलीपट्टी रानी गांव को एक मॉडल क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बनना सुनिश्चित करेगी। वर्तमान योजना की सफलता से संभवतः दूसरे ग्राम पंचायत भी कुशल, लचीले और सतत बनाने की प्रक्रिया का पालन करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इस दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए, यह महत्वपूर्ण होगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित लाइफ़ मिशन के समान एक संवहनीय जीवन शैली को अपनाने के लिए सामुदायिक स्वामित्व की भावना और व्यवहार परिवर्तन को प्रेरित किया जाए।

## अनुलग्नक I: पृष्ठभूमि और कार्यप्रणाली

### पृष्ठभूमि

उत्तर प्रदेश राज्य जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध उन्नत और नवीन गतिविधियां अपना रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी और प्रेरणादायक मार्गदर्शन के अंतर्गत राज्य ने शासन के विभिन्न स्तरों पर जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों के विरुद्ध विस्तृत गतिविधियां प्रारंभ की हैं। इनमें से एक है 'क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत' के निर्माण के लिए कार्ययोजनाओं का निर्माण करना। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने इस अवधारणा की परिकल्पना जून, 2022 में की थी। उनकी इस परिकल्पना को वास्तविक रूप देने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के 39 संवेदनशील जिलों में जलवायु अनुकूल ग्राम पंचायतों की पहचान करने के लिए एक त्वरित बहु-मानदंड मूल्यांकन संचालित किया गया<sup>87</sup>। 5 जून, 2022 को आयोजित 'पंचायत सम्मेलन' (सीओपी) में इन चयनित ग्राम पंचायतों के नामों की घोषणा की गई और इनमें से कई पंचायतों को सम्मानित भी किया गया।

बलीपट्टी रानी गांव के लिए क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना<sup>88</sup> का विकास उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा वसुधा फाउंडेशन और गोरखपुर एनवायरनमेंटल एक्शन ग्रुप के सहयोग से किया गया है। इस कार्ययोजना का लक्ष्य ग्राम पंचायत स्तर पर जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध गतिविधियों को मुख्यधारा में सम्मिलित करने के लिए ग्राम पंचायत विशिष्ट ब्लूप्रिंट प्रदान करना है। यह न केवल स्थानीय जलवायु अभियानों को सुदृढ़ता प्रदान कर ग्राम पंचायत को जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सहनशील बनाएगा बल्कि वर्ष 2030 तक शून्य कार्बन/कार्बन तटस्थ के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उत्सर्जनों में कमी भी लाएगा।

इस कार्ययोजना के निर्माण में भागीदारी दृष्टिकोण अपनाया गया है जो कि ऊर्ध्वगामी (बॉटम अप) योजना निर्माण की अवधारणा के अनुरूप है। इस कार्ययोजना की प्रस्तावित संस्तुतियों को व्यक्तिगत परियोजनाओं के रूप में किया जा सकता है जिन्हें पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व में जुटी कंपनियों, राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं, उन्नत सार्वजनिक-निजी साझेदारियों, कार्बन वित्त और निजी निवेशों से धनराशि की व्यवस्था की जा सकती है।

इसे व्यवहार्य बनाने के लक्ष्य से यह कार्ययोजना पंचायत-निजी-साझेदारी (पीपीपी) के निर्माण के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है और साथ ही, इसके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य और गैर-राज्य सक्रियकों के बीच सहयोग बढ़ाने की रूपरेखा भी प्रदान करती है।

### कार्यप्रणाली

इस रिपोर्ट में मुख्य क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के सहित भरी हुए प्रश्नावली, एचआरवीसीए (HRVCA) रिपोर्ट, ग्राम पंचायत के सामाजिक और संसाधन मानचित्र के रूप में फ़्रील्ड से मिली जानकारी संलग्नक के रूप में सम्मिलित है।

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए:

- **सर्वेक्षण प्रश्नावली की तैयारी:** : मूलभूत स्थिति को समझने और ग्राम पंचायत के आधारभूत परिदृश्य का विकास करने के लिए मुख्य हितधारकों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों के विचारों के आधार पर एक प्रश्नावली तैयार की गई। प्रश्नावली में विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित किया गया, जैसे कि जनसांख्यिकी, सामाजिक-आर्थिक संकेतक, जलवायु परिवर्तनशीलता, जलवायु धारणा (पिछले 5 वर्ष की), ऊर्जा, कृषि और पशुधन, भूमि संसाधन, स्वच्छता और स्वास्थ्य। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य ग्राम पंचायत में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की पहचान को समझना भी था।

87 उत्तर प्रदेश के 39 अत्यधिक संवेदनशील जिलों की पहचान उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्ययोजना 2.0 और डीओईएफसीसी (DoEFCC), उत्तर प्रदेश सरकार (GoUP) द्वारा विकसित जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजना हेतु स्कोपिंग आकलन से की गई।

88 इस आलेख में मुख्य क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना सहित निम्न आलेख संलग्नक के रूप में सम्मिलित हैं: विस्तृत कार्यप्रणाली; उत्तर सहित प्रश्नावली; खतरा, जोखिम, भेद्यता और क्षमता आकलन (एचआरवीसीए) रिपोर्ट, और ग्राम पंचायत का सामाजिक और संसाधन मानचित्र।

- **हितधारकों के लिए परामर्श सत्र और क्षमता निर्माण:** स्थानीय गैर-सरकारी साझेदारों, ग्राम प्रधानों, पंचायत सचिवों के लिए परामर्श और क्षमता-निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। हितधारकों को जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना के उद्देश्यों और घटकों, इन कार्य योजनाओं के विकास और उनकी व्यक्तिगत भूमिकाओं के विषय में जानकारी प्रदान की गई।
- साथ ही, गैर-सरकारी साझेदारों को मुख्य जलवायु परिवर्तन अवधारणाओं, अपनाने जाने वाली सर्वेक्षण प्रक्रियाओं और समूह केन्द्रित चर्चाओं के लिए विकसित प्रश्नावली के बारे में प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।
- **क्षेत्र सर्वेक्षण:** समुदाय से अधिकतम सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए, ग्राम सभा और समूह केन्द्रित चर्चा के कुछ दौरों का आयोजन किया गया था जिसके माध्यम से प्राथमिक डेटा संग्रह किया गया।
  - a. क्षेत्र सर्वेक्षण में ग्राम पंचायत का दौरा (ट्रांसेक्ट वाक) किया गया और उसके आधार पर सामाजिक और संसाधन मानचित्र तैयार किए गए।
  - b. ग्राम पंचायत की विभिन्न समस्याओं को समझने के लिए खतरा, जोखिम, नाजुकता और क्षमता विश्लेषण (एचआरवीसीए) भी किया गया।
  - c. बलीपट्टी रानी गांव ग्राम पंचायत की जलवायु संबंधित समस्याओं को और उसके विकास लक्ष्यों को समझने के लिए समूह केन्द्रित चर्चाओं का भी आयोजन किया गया।
- प्राप्त आदानों के आधार पर, ग्राम पंचायत के लिए कार्ययोजना विकसित की गई और बेसलाइन मूल्यांकन का संचालन किया गया। इसमें जलवायु-स्मार्ट गतिविधियों की पहचान करना सम्मिलित था जो न केवल पहचानी गई पर्यावरणीय और जलवायु संबंधी समस्याओं को संबोधित करती हैं बल्कि ग्राम पंचायत में प्रचलित कृषि-जलवायु विशेषताओं को भी ध्यान में रखती हैं। जानकारियों में कमी और उनमें अधूरेपन की पहचान की गई और ग्राम प्रधान, समुदाय और पंचायत सचिव के साथ चर्चाओं द्वारा जानकारियों को संपूर्ण किया गया।
- जानकारियों में कमी और उनमें अधूरेपन की पहचान की गई और ग्राम प्रधान, समुदाय और पंचायत सचिव के साथ चर्चाओं द्वारा जानकारियों को संपूर्ण किया गया।
- ड्राफ्ट योजना को समीक्षा के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया।
- ग्राम पंचायत से प्राप्त अपडेट को सम्मिलित करने के पश्चात, कार्ययोजना को अंतिम रूप प्रदान किया गया और समर्थन के लिए ग्राम पंचायत को प्रस्तुत किया गया।

## अनुलग्नक II: प्रश्नावली



### उत्तरप्रदेश क्लाइमेट स्मार्ट ग्रामपंचायत की सर्वे प्रश्नावली

ग्रामपंचायत : बलीपटटीरानीगांव      विकासखण्ड : राजेपुर      जनपद : फर्रुखाबाद

#### I. गाँव की रूपरेखा

	विवरण	संख्या (सूचना का स्रोत-समुदाय के सदस्य)
1	राजस्वगाँव की संख्या	5 (2 आबद 3 गैर आबाद)
2	टोलों की संख्या	2
3	a कुलजनसंख्या	2445
	b कुलपुरुषों की जनसंख्या	1287
	c कुलमहिलाओं की जनसंख्या	1158
	d विकलांगजन की जनसंख्या	16
	e कुलबच्चों की जनसंख्या	416
	f वरिष्ठनागरिक (60 वर्ष से अधिकआयु वर्ग)	66
4	कुलपरिवार की संख्या	610
a	गरीबीरेखा से नीचे जीवन यापनकरनेवालेपरिवार की संख्या	73
5	कुलभौगोलिक क्षेत्रफल	540.95 Hct.
6 a	साक्षरतादर	92%
7 a	पक्का घरों की संख्या	538
b	कच्चा घरों की संख्या (मुख्य रूप से उपयोग की गईसामग्री का उल्लेख करें)	72 मिट्टी की गोंदी से एवं बांस और फूस से निर्मित





## II. सामाजिकआर्थिक

8	ग्रामपंचायतमेंकेवलकृषि (प्रकार) परआश्रितपरिवार	कुलपरिवारों की संख्या	
	निजीभूमि / स्वयं की भूमि	418	
	किराए की भूमि (हुण्डा)	78	
	अनुबंध खेती	Nil	
	दिहाड़ी मजदूर	298	
	अन्य व्यवस्था (रेहन, अधिया आदि)	55	
	अन्य सूचनाएं/जानकारी (एक से अधिककृषिगतिविधि में शामिलपरिवार, उल्लेख करें)	Nil	
9	ग्रामपंचायतमेंआय के स्रोत	कुलपरिवारों की संख्या	
	सेवा क्षेत्र (उदाहरण: अध्यापन, बैंक, सरकारीनौकरी आदि)	65	
	कुटीरउद्योग	10	
	कृषि	418	
	कला/हस्तकला	Nil	
	पशुपालन	450	
	व्यवसाय (स्थानीय दुकान)	25	
	व्यवसाय/उद्यम	Nil	
	दैनिक/दिहाड़ीमजदूर (अकृषिगत)	298	
	अन्य	42	
10	पलायन	हां	नहीं
A	क्यापिछलेपांचवर्षोंमेंआप के ग्रामपंचायत से ग्रामीणों ने पलायनकियाहै?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B	पलायनकरनेवालेस्थान	पिछलेपांचवर्षोंमेंपलायनकरनेवालेपरिवार/व्यक्तिगत की संख्या	
	अन्य गांव	Nil	
	निकट के शहर	Nil	
	राज्य के प्रमुख शहर	Nil	
	देश के प्रमुख महानगर	70 व्यक्ति	
C	क्यापिछलेपांचवर्षोंमेंआप के ग्रामपंचायतमेंपरिवार/व्यक्ति ने प्रवासकिए है?	हां	नहीं
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D	पिछलेपांचवर्षोंमेंआप केग्रामपंचायतमेंकितने	5 परिवारों ने जमीन लेकर प्रवास किया। गंगा किनारे स्थित खेती के पर्याप्त साधन एवं खेती का मूल्य कम होने के कारण।	





	नेपरिवारप्रवासकिए हैं? मुख्य कारणस्पष्टकरें।	
--	--	--

11 महिलाओं की स्थिति		
A	महिलाप्रमुख परिवारों की संख्या (आय का मुख्य स्रोत- महिला)	60
B	खेतीमेंकार्यरतमहिला	कुलसंख्या
	निजीभूमि/स्वयं की भूमि	40
	किराएकी भूमि/हुण्डा	Nil
	अनुबंध खेती	Nil
	दिहाड़ीमजदूर	20
	अन्य व्यवस्था	Nil
	अन्य सूचनाएं/जानकारी (एक से अधिककृषिगतिविधि मेंसंलग्नमहिलाएं, उल्लेख करें)	अधिकांशमहिलाएं अपनी खेती से सम्बन्धितकार्यकरतीहै।
C	नौकरी/अन्य क्षेत्र मेंकार्यरतमहिलाएं	कुलसंख्या
	सेवा क्षेत्र (उदाहरण: अध्यापन, बैंक, सरकारीनौकरी आदि)	2
	कुटीरउद्योग	Nil
	कृषि	40
	कला/हस्तकला	Nil
	पशुपालन	380 डेयरी व्यवसाय से जुड़ी है।
	व्यवसाय (स्थानीय दुकान)	Nil
	दैनिक/दिहाड़ीमजदूर (अकृषिगत)	Nil
	अन्य	42 सिलाई कढ़ाई

12	स्वयं सहायता समूहों
----	---------------------





स्वयं सहायता समूह का नाम	सदस्यों की संख्या	अपनायी गई गतिविधियाँ	वार्षिक बचत (रु०)	बैंकों से जुड़ाव/अजुड़ाव
गंगा महिला स्वयं सहायता समूह	11	कढ़ाईबुनाई	3000 रूपए वार्षिक बचत	अभी बैंक से जुड़ाव है।

13	कृषकउत्पादकसंगठन(एफ०पी०ओ०)					
एफ०पी०ओ० का नाम	क्या इस संगठन की प्रमुख महिलाएँ?	प्रत्येक एफ०पी०ओ० मेंसदस्यों की संख्या	एफ०पी०ओ० से प्राप्तवार्षिकराजस्व/ बचत	कृषिउत्पाद	पोस्टहार्वेस्ट की गतिविधियाँ/ गतिविधियों का क्षेत्र	
Nil	<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/>					
	<input type="checkbox"/>					

14 अन्य समुदाय आधारितसंगठन/





सामाजिकसंगठन / समितियों के नाम	क्यामहिलाप्रमुख संगठन/समितियाँ हैं ?	सदस्यों की संख्या	प्राप्तवार्षिकराजस्व/बचत	उत्पाद/सेवा	विपणन/लक्षितउपभोगकर्ता
Nil	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>				

15	योजनाएं					
a	योजना के नाम	पंजीकृतलाभार्थियों की संख्या	लाभप्राप्तलाभार्थियों की संख्या	विगतवर्षग्रामपंचायतमेंप्राप्तकुलभगतान (₹0)	अन्य कोईबकाया (₹0)	की गईगतिविधियाँ/कार्य
	मनरेगा	824	298	45.47 (lakh)		इंटरलाकिंग एंवमिटटी का कार्य
	प्रधानमंत्री गरीबकल्याणअन्न योजना / एन.एफ.एस.ए.	286	286			
	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना	275	275			गैसचूल्हा एंवसिलेण्डर
	प्रधानमंत्री कृषिसिंचाई योजना	Nil				
	प्रधानमंत्री कुसुम योजना	6	6			3 KW सोलरपैनलसिंचाई के लिए मिले
b	अन्य योजनाएं	Nil				
	ग्रामउज्ज्वला योजना	Nil				
	ऊर्जादक्षता योजना	Nil				
	प्रधानमंत्री रोजगारसृजनकार्यक्रम	Nil				
	प्रधानमंत्री आवास योजना	5	5	6 Lakh		लाभार्थियों के आवास बन गये
	सार्वजनिकवितरणप्रणाली (पीडीडीएस)	286	286			5किलो प्रति युनिट







						35 किलोप्रतिकार्डअन्तयोदि
	कम्प्यूटरप्रशिक्षणकार्यक्रम	0				
	उत्तरप्रदेशकौशलविकासमिशन	0				
	राष्ट्रीय कौशलविकास योजना (RKVY)	0				
	मौसमआधारितफसलबीमा	0				
	प्रधानमंत्री फसलबीमा योजना (PMFBY)	366				फसलबीमाहैलेकिनलाभन हीमिलताहै।
	मृदास्वास्थ्य कार्ड	180				
	किसानक्रेडिटकार्ड	366				
	स्वच्छभारतमिशन	17	17	2 लाख 4 हजार		षौचालय बन गये
	सौरसिंचाईपम्प योजना	6	6	463704		सोलरपैनललगगये
	नई/नवीनभारतीय बायोगैस व कार्बनिक खादकार्यक्रम	1	1	स्वयं का		कार्यरतहै
	विकेन्द्रितअनाज क्रय केन्द्र योजना	Nil				
	गोवर्धन योजना	0				
	जल पुनर्भरण योजना	0				
	रेनवाटरहार्वेस्टिंग	3				2 विद्यालय 1 सामुदायिक शौचालाय
	समन्वितवाटरशेडविकासकार्यक्रम	0				
	अन्य वाटरशेडविकास योजनाएं	0				
	अन्य (एकजिला-एक उत्पाद, मेकइनइण्डिया, अन्य)	0				
	उद्यमिततासहायतित योजनाएंआदि	0				





16	सक्रिय बैंक खाताधारकोंकीसंख्या	2050
17	ई-बैंकिंग / डिजीटलभुगतान एप / यू.पी.आई आदिसे भुगतानकरनेवाले खाताधारकों की संख्या	450

8	निकटकृषिबाजार / क्रय केन्द्र / सरकारीकेंद्र	क्याग्रामपंचायत द्वाराबाजार / क्रय केन्द्र का उपयोगहोताहै		यदि नहीं, तोबाजार / केन्द्र का उपयोगक्यों नहीं कियाजाता	उत्पादित फसल(कु 0)	बिक्रीहुईफस ल (कु0)	ग्रामपंचायत से दूरी(यदि ग्रामपंचायत से दूर है) (कि0मी0)
		हां	नहीं				
	साधनसहकारीसमितिअमृतपुर	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		3800 गेहूं	1500 QTL	1 KM
	बाजारअमृतपुर	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1150 धान	550 QTL	1 K
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		1350 गेहूं	600 QTL	1 K
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				

19		शिक्षा (केवल ग्रामपंचायत में)				
	प्रकार / स्तर	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	कुलनामांकितविद्यार्थियों की संख्या	विगतवर्षमेंकुलड्रापआऊटविद्यार्थियों की संख्या	ड्रापआऊट के मुख्यकारण(स्वास्थ्य (1), पहुँच / उपलब्धता-(2), आर्थिक समस्या-(3), अन्य-(4) उल्लेख करें)	
a	प्राथमिकविद्यालय					
	बलीपटटीरा नीगांव	176 M <sup>2</sup>	128	0	ड्रापआऊट नहीं है, किन्तु अधिक ठण्डी एवं बरसात होने पर बच्चों की संख्या कम हो जाती है।	
	रतनपुररम्हो आ	120 M <sup>2</sup>	53	0	ड्रापआऊट नहीं है, किन्तु अधिक ठण्डी एवं बरसात होने पर बच्चों की संख्या कम हो जाती है।	
b	जू0 हाईस्कूल					





	c	हाईस्कूल	Nil			
	d	अन्य संस्थान	Nil			

20	कौशलविकास/व्यवसायिकप्रशिक्षण/पुनः कौशलसंस्थान(केवल ग्रामपंचायत में)	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्ग मी0)	संस्थान के प्रकार (सरकारी 1, निजी 2)	नामांकितव्यक्तियों की संख्या	नामांकितव्यक्तियों की आयु
	Nil				

21	राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग की उपलब्धता			
	राजमार्ग का नाम	राज्यमार्ग 1, राष्ट्रीय राजमार्ग 2	ग्रामपंचायत से दूरी	सम्पर्कमार्ग की स्थितिअच्छा (1), खराब (2), घटिया (3), सबसे घटिया (4)
	फर्रुखाबाद मुरादाबादमार्ग एसएच43	1	500 M	2





--	--	--	--	--

### III. भूमिसंसाधनोंसंबंधितसूचनाएं/ जानकारी

22	वनभूमि का विवरण	
A	वन का क्षेत्र	Nil
B	वनविभाग द्वारा अधिसूचित क्षेत्र	Nil
C	सार्वजनिक उपयोग हेतु उपलब्ध वन क्षेत्र	Nil
D	कितने क्षेत्र परअतिक्रमणहै?	Nil
E	विगत पांच वर्षों में कोई वनउन्मूलन/वनकटाई की गतिविधियां	Nil
F	अनुमानितवनउन्मूलन/वनकटाई का क्षेत्रफल(एकड़)	Nil

23	अन्य भूमि का वर्गीकरण			
A	ग्रामपंचायत के पासग्रामसभा की कितनीभूमिउपलब्ध है?	101.425 एकड़		
B	कितनीभूमिपरअतिक्रमणहै? (एकड़)	30 एकड़		
C	ग्रामपंचायतमें खननगतिविधियां	हां <input type="checkbox"/>	नहीं <input checked="" type="checkbox"/>	आच्छादित क्षेत्रफल
	खनन के प्रकार बालू खनन 1, खनिज खनन-(उल्लेख करें) 2, अन्य (उल्लेख करें) 3	Nil		
	अतिरिक्तसूचनाएं	Nil		

24	जल निकाय क्षेत्र		
	विवरण	हां	नहीं
a	क्याआप के ग्रामपंचायतमें जल निकाय क्षेत्र है?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	ग्रामपंचायतमेंकुल जल निकाय क्षेत्रों की संख्या	2	
c	क्या जल निकाय क्षेत्र मेंअतिक्रमणहै?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
d	जल निकाय क्षेत्र मेंअतिक्रमण कब से है?	10 Yaers	





E	क्या जल निकाय क्षेत्र के आस-पास के भूमिपरअतिक्रमणकियागयाहै?	Yes
---	---	-----

25	जल आपूर्ति	
a	ग्रामपंचायतमेंघरोंहेतु जल आपूर्ति का मुख्य स्रोतक्याहै? नहर (1) वर्षा जल-(2) भूमिगत जल-(3) तालाब/झील-(4) अन्य- (5)	भूमिगत जल-(3), पाइप लाइन-(5)
b	क्याउपरोक्त जल आपूर्ति के स्रोतमौसमी या बारहमासीहै?	बाराहमासी
c	घरोंमें जल आपूर्तिकैसेहोतीहै? पाइपजलापूर्ति (1) ग्रामपंचायतमेंसामान्य संग्रहकेन्द्र (2) पानीटंकी (3) महिलाओं/बच्चों द्वारादूर से लायागया (4) हैण्डपम्प (5) ऊँचासतहीजलाशय (6) कूआ (7) अन्य (8), उल्लेखितकरें। अगर 4 है, तोकितनीदूर से लायाजारहाहै?	पाइपजलापूर्ति (1) पानीटंकी (3) हैण्डपम्प (5)
d	कितने घरोंमेंजलापूर्तिपाइप से है?	610
e	क्यापानी का बहाव/प्रवाहदर कम, अधिक या संतोषजनकहै?	संतोषजनक
f	पइपजलापूर्ति की नियमितता 24×7 घण्टे(1) काफीनियमित (2)	काफीनियमित (2) दो घण्टासुबहदो घण्टा शाम





	अनियमित (3)	
g	<p>ग्रामपंचायतमेंकृषिसिंचाईहेतु जल आपूर्ति का मुख्य स्रोतक्याहै?</p> <p>नहर (1) वर्षा जल (2) भूमिगत जल – (नलकूप (3A), कूआ (3B) तालाब/झील (4) पानीटैंक (5) नदी (6) अन्य (7)</p>	<p>वर्षा जल (2), नदी (6) व्यक्तिगतबोरिंग (7)</p>
h	<p>क्याउपरोक्त जल आपूर्तिस्रोतमौसमी या बारहमासीहै?</p>	<p>व्यक्तिगतबोरिंग का प्रयोगफसल की आवश्यकतानुसारवर्षाजलमौसमीहै।</p>
i	<p>क्याजलापूर्ति का बहाव/प्रवाहदर कम/अधिक या संतोषजनकहै?</p>	<p>संतोषजनक</p>
j	<p>अतिरिक्तजानकारी (उदाहरण : क्या घरेलू कृषि व संबंधितगतिविधियों, उद्योगोंआदिके लिए जल आपूर्तिपर्याप्त है)</p> <p>क्याविगतवर्षोंमेंभूजल, नदी या नहर से जल की उपलब्धता बढ़ी/घटी या सूख गया?</p> <p>क्यासूखे या गर्मी के मौसममेंपानी की टंकियों का उपयोग बढ़ जाताहै?</p>	<p>पर्याप्त जल</p> <p>Nil</p> <p>गर्मी के मौसममेंपानी की टंकियों का उपयोग बढ़ जाताहै</p>





#### IV. जलवायु की धारणा

तापमान व वर्षा में प्रमुख परिवर्तन/बदलाव				
<b>26</b>				
a	गर्मी के माह में देखा गया			
b	गर्मी के तापमान में देखे गए बदलाव (पिछले पांच वर्षों में)	गर्म दिनों में वृद्धि	गर्म दिनों में कमी	गर्म दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	दिनों की संख्या	45 Days		
d	अन्य सूचनाएं (गर्मी माह में कोई परिवर्तन)			
<b>27</b>				
a	सर्दी के माह में महसूस किया गया			
b	सर्दियों के तापमान में कोई परिवर्तन पाया गया (विगत पांच वर्षों में)	ठण्ड दिनों में वृद्धि	ठण्ड दिनों में कमी	ठण्ड दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	दिनों की संख्या	30 Days		
d	अन्य सूचनाएं (सर्दी माह में कोई परिवर्तन)			
<b>28</b>				
a	मानसून माह में महसूस किया गया			
b	मानसून ऋतु की वर्षा में कोई परिवर्तन देखा गया (विगत पांच वर्षों में)	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	दिनों की संख्या	30 Days		
d	अन्य सूचनाएं (मानसून माह में कोई परिवर्तन)	मानसून पहले से 10-15 दिन देरी से आता है।		
<b>29</b>				
a	क्या गैर मानसून ऋतु की वर्षा में परिवर्तन हुआ है? (विगत पांच वर्षों में)	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	ग्रीष्म ऋतु की वर्षा में देखे गये परिवर्तन	वर्षा दिनों में वृद्धि	वर्षा दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c	दिनों की संख्या	30 Days		
d	शरद ऋतु की वर्षा में देखे गये परिवर्तन	वर्षा के दिनों में वृद्धि	वर्षा के दिनों में कमी	वर्षा के दिनों में कोई परिवर्तन नहीं
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e	दिनों की संख्या	4-5 Days		





f	अन्य सूचनाए/जानकारी	
---	---------------------	--







### चरममौसमकी घटनाएं

30 सूखा						
a	सूखे की घटना सूखा नहीं है।	प्रथमवर्ष(2022 )	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थवर्ष(2019)	पंचमवर्ष (2018)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किसमाहमेंसूखा देखा गया	Null	Null	Null	Null	Null
c	सूखे का प्रबन्धनकैसेकियागया (सरकारी सहायता, निजीसहायता, कुएं खोदा आदि)	घरेलूस्तरपरप्रबन्धन			कृषिस्तरपरप्रबन्धन	
d	सूखे की आवृत्ति : सूखे की घटना (पिछले पांचवर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोईपरिवर्तन नहीं		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
e	अतिरिक्तसूचनाकोईपुरानीप्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2					
31 बाढ़						
	बाढ़ की घटना	प्रथमवर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थवर्ष (2019)	पंचमवर्ष (2018)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किसमाहमें बाढ़ देखा गया	अगस्त	अगस्ता	0	अगस्त	0
c	बाढ़ का प्रबन्धनकैसेकियागया (सरकारी सहायता, निजीसहायता आदि)	घरेलूस्तरपरप्रबन्धन <input checked="" type="checkbox"/> घरों के सामने मिटटी डाल कर ऊँचा करना			कृषिस्तरपरप्रबन्धन <input checked="" type="checkbox"/> गंगा नदी के बन्धे को जहाँ टूटा है मिटटी डाल कर ठीक करना	
d	बाढ़ की आवृत्ति : बाढ़ की घटना (पिछले पांचवर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोईपरिवर्तन नहीं		
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
e	अतिरिक्तसूचनाकोईपुरानीप्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2	2010-2011 मेंअधिक बाढ़ आई 1				
32 भूस्खलन						
a	भूस्खलन की घटना नहीं है।	प्रथमवर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थवर्ष (2019)	पंचमवर्ष (2018)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किसमाहमेंभूस्खलन देखीगई	Null	Null	Null	Null	Null
c	भूस्खलन का प्रबन्धनकैसेकियागया (सरकारी सहायता, निजीसहायता आदि)	घरेलूस्तरपरप्रबन्धन			कृषिस्तरपरप्रबन्धन	
d	भूस्खलन की आवृत्ति : भूस्खलन की घटना (पिछले पांचवर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोईपरिवर्तन नहीं		
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		





e	अतिरिक्तसूचनाकोईपुरानीप्रमुख घटना-1, स्वास्थ्य पर प्रभाव-2	गंगा नदी द्वारा भूमि कटान लगभग 50 वर्ष पूर्व	तीन गाँव गैरआबाद हो गये।			
<b>33 ओलावृष्टि</b>						
a	ओलावृष्टिकी घटना	प्रथमवर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थवर्ष (2019)	पंचमवर्ष (2018)
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	किसमाहमेंओलावृष्टिहुई	फरवरी	नहीं	नहीं	जनवरी	नहीं
c	ओलावृष्टि का प्रबन्धनकैसेकियागया (सरकारी सहायता, निजीसहायता आदि)	घरेलूस्तरपरप्रबन्धन <input checked="" type="checkbox"/>			कृषिस्तरपरप्रबन्धन	
d	ओलावृष्टि की आवृत्ति : ओलावृष्टिकी घटना (पिछले पांचवर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोईपरिवर्तन नहीं		
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>34 फसलों के कीट/बीमारी</b>						
a	कीट/बीमारीकी घटनाक्रम	प्रथमवर्ष (2022)	द्वितीय वर्ष (2021)	तृतीय वर्ष (2020)	चतुर्थवर्ष (2019)	पंचमवर्ष (2018)
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
b	किस माह में कीट/बीमारी को देखा गया?	जनवरी फरवरी मार्च जुलाई अगस्त सितम्बर अक्टूबर नवम्बर दिसम्बर	जनवरी फरवरी मार्च जुलाई अगस्त सितम्बर अक्टूबर नवम्बर दिसम्बर	जनवरी फरवरी मार्च जुलाई अगस्त सितम्बर अक्टूबर नवम्बर दिसम्बर	जनवरी फरवरी मार्च जुलाई अगस्त सितम्बर अक्टूबर नवम्बर दिसम्बर	जनवरी फरवरी मार्च जुलाई अगस्त सितम्बर अक्टूबर नवम्बर दिसम्बर
	किस प्रकार की बीमारी को देखा गया	माहुँ, गंधीकीट, झुलसा रोग सब्जी में फल छेदक एवं विषाणू जनित रोग	माहुँ, गंधीकीट, झुलसा रोग सब्जी में फल छेदक एवं विषाणू जनित रोग	माहुँ, गंधीकीट, झुलसा रोग सब्जी में फल छेदक एवं विषाणू जनित रोग	माहुँ, गंधीकीट, झुलसा रोग सब्जी में फल छेदक एवं विषाणू जनित रोग	माहुँ, गंधीकीट, झुलसा रोग सब्जी में फल छेदक एवं विषाणू जनित रोग
c	कीट/बीमारी का प्रबन्धन कैसे कियागया? (सरकारी सहायता, निजीसहायता आदि)	कीटनाषकछिड़कावस्वयं द्वारा				
d	कीट/बीमारी की आवृत्ति : कीटबीमारीका घटनाक्रम (पिछले पांचवर्षों में)	वृद्धि	कमी	कोईपरिवर्तन नहीं		
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		



अतिरिक्तजानकारी / सूचनाएं					
35	ग्रामपंचायतमेंआपदा की तैयारी				
		ग्रामपंचायतस्तरपरक्याआपदाप्रबन्धन / तैयारी के उपाय उपलब्ध है?		क्याग्रामीणोंतकइसकीपहुँच / उपलब्धताहै?	
	आपदातैयारी के उपाय	हां	नहीं	हां	नहीं
	ग्रामआपदाप्रबन्धन योजना	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ग्रामआपदाप्रबन्धनसमिति	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	पूर्वचेतावनीप्रणाली / मौसमीचेतावनीप्रणाली / कृषिचेतावनीप्रणाली	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	आपातकालअनाजबैंक	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	अन्य	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

36	अनाजभण्डारण	
a	ग्रामपंचायत के आपातकालिन खाद्य/अनाजबैंकमेंकिसप्रकार का भोजनभण्डारितकियाजाताहै?	
	अनाज (विवरण दें)	Nil
	तेल	Nil
	चीनी	Nil
	अन्य खाद्य पदार्थ—उल्लेख करें	Nil
b	क्याग्रामपंचायतमें शीतगृहहै, अगरहैतोउसकी क्षमताक्याहै?	Nil

37	ग्रामपंचायतमेंमौसम की चेतावनी, पूर्वचेतावनीप्रणाली, कृषिआधारितचेतावनी के लिए उपलब्ध जानकारी के स्रोत	
	स्थानीय कृषिअधिकारी	<input checked="" type="checkbox"/>
	समाचारपत्र / समाचार / रेडियो	<input checked="" type="checkbox"/>
	मोबाईलफोन / एप	<input checked="" type="checkbox"/>
	मौखिक	<input checked="" type="checkbox"/>
	कृषिविज्ञानकेन्द्र / कृषिज्ञानकेन्द्र	Nil
	पशुपालनविभाग	Nil
	उद्यानविभाग	Nil
	अन्य	Nil





कृषि एवंसंबंधितगतिविधियोंपरप्रभाव (विगत पांचवर्षों में)						
<b>38</b>	<b>फसलहानि</b>					
<b>a</b>	घटना का वर्ष	हानि की ऋतु/मौसम खरीफ (1) रबी(2) जायद/अन्य ऋतु (3)	फसल का नाम	हानि के कारण रोग, चरम, घटनाक्रम-गर्मी, ठण्ड, वर्षा, ओलावृष्टि, मिट्टीआदि	अनुमानितहानि की मात्रा (कुन्तल)	परिणामस्वरुपआय मेंहानि (औसत रु0)
	प्रथमवर्ष (2022)		धान	वर्षा कम	2000 QTL	41 Lakh
	द्वितीय वर्ष (2021)		मक्का	वर्षा एवं बाढ़ का जल	600 QTL	8 Lakh
	तृतीय वर्ष (2020)		धान	रोगवर्षा	1800 QTL	27 Lakh
	चतुर्थवर्ष (2019)					
	पंचवांवर्ष (2018)		गेहूँ	सूड़ी रोग के कारण	1000 QTL	18 lakh
<b>b</b>	क्याआपफसलबीमा के बारेमेंजानतेहैं?	हाँ	नहीं			
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
	अतिरिक्तजानकारी (फसल बीमा के लाभार्थी-बड़ेकिसान, लघु एवंसीमान्तकिसान आदि) फसलबीमालाभार्थी का संतुष्टिस्तरक्याहै?	फसलबीमा का लाभ लघु एवंसीमान्तकिसान को नहींमिलपाताहै। बीमा का लाभनहींमिलताइसलिए किसानों ने बीमाकराना बंद करदिया।				





39 फसलपद्धतिमेंबदलाव					
a	सामान्य फसल	खरीफ धानऔरमक्का	रबी गेंहू, सरसोंआलू	जायद/अन्य ऋतु तरबूज, ककड़ी, और खरबूज	
b	फसल का नाम	पारम्परिकबोआई का समय	विगत 5 वर्षोंमेंबोआई के समय मेंपरिवर्तनहुआहै/देखा है	अभीबोआई का समय	परिवर्तन के कारण
	गेंहू	नवम्बर	दिसम्बर	दिसम्बर	ठण्डीदेरसे बढ़ना
	आलू	अक्टूबर	नवम्बर	नवम्बर	ठण्डीदेर से आना
	सरसों	अक्टूबर	नवम्बर	नवम्बर	अगैतीबुवाई से माहु का प्रकोप कम होताहै।
	धान	जुलाई	अगस्त	अगस्त	वर्षा की कमी के कारण
	गन्ना	मार्च	अप्रैल	अप्रैल	वर्षा की कमी
	तरबूज	जनवरी	जनवरी	जनवरी	
c	अन्य सूचना/जानकारी (विलुप्त फसल/प्रजातिआदि उल्लेख करें)	मोटे अनाज अब यहां नहीं होता है।			

40 सिंचाईप्रणाली/पद्धतिमेंपरिवर्तन					
a	फसल का नाम	वर्तमानम सिंचाईपद्धति का उपयोगफव्वारासिंचाई(1), टपक विधि (2), नहर(3), वर्षाआधारित(4), पारम्परिक(5), अन्य (6) (उल्लेखित करें)	वर्तमानमेंउपयोग किए गए पानी की मात्रा (रुपया/एकड़)	पूर्वमें सिंचाईपद्धति का उपयोगफव्वारासिंचाई(1), टपक विधि (2), नहर(3), वर्षाआधारित(4), पारम्परिक(5), अन्य (6) (उल्लेखित करें)	पूर्वमेंउपयोगकिए गए पानी की मात्रा (रुपया/एकड़)
	गेंहू	बोरिंग 6	4 हजार एकड़	बोरिंग 6	2 हजार एकड़



	धान	6 बोरिंग	4 हजार / एकड़	बोरिंग 6	2 हजार एकड़	
	गन्ना	6 बोरिंग	5 हजार / एकड़	बोरिंग 6	3 हजार / एकड़	
b	ग्रामपंचायतमेंसिंचाईहेतु पम्पों की संख्या	डीजलआधारित	विद्युतआधारित	सौरपम्प	पारम्परिकसिंचाईविधियां	
		610		6	वर्षा	
c	अन्य सूचनाएं / जानकारीअगरकोईहै	Nil				
<b>41 पशुपालन / पशुधन</b>						
a	ग्रामपंचायतमेंप्रचलितपशुधनऔरपशुपालनसम्बन्धितगतिविधियां श्रेणी : डेयरी (1) मुर्गीपालन (2) मत्स्य पालन (3) सूअरपालन (4) मधुमक्खीपालन (5) अन्य-स्पष्टकरें (6)		1			
b	डेयरीपरप्रभाव	पशुहानि गाय (1) भैंस (2) अन्य (3)	पशुहानि की संख्या (प्रत्येकपशुकोउल्लेख करें)	हानि के कारण (रोग, आयु, दुर्घटना आदि)	हानि का मौसम	उत्पादकतामेंकोईपरिवर्तनदेखा गया? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तननहीं (3)
	प्रथमवर्ष(2022)	1, 2	20, 15	लम्पी, गुड़का	ठंडमें	2
	द्वितीय वर्ष(2021)	1, 2	10, 12	खुरपका, गुड़का	वर्षा	2
	तृतीय वर्ष(2020)	1, 2	6, 4	खुरपका, गुड़का	वर्षा	2
	चतुर्थवर्ष(2019)	1, 2	6, 6	लम्पी, गुड़का	ठंड, वर्षा	2
	पंचमवर्ष(2018))	1, 2	8, 7	लम्पी, गुड़का		2
	अन्य जानकारी / सूचनाएं	Nil				
c	मुर्गीपालनपरप्रभाव निल	पक्षीहानि मुर्गी (1) बत्तख (2) अन्य (3)	पक्षीहानि की संख्या (प्रत्येकपक्षी का उल्लेख करें)	हानि के कारण	हानि के मौसम / ऋतु	उत्पादकतामेंकोईपरिवर्तनपायागयाहै? वृद्धि (1) कमी (2)



						परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथमवर्ष(2022)	Nil				
	द्वितीय वर्ष(2021)	Nil				
	तृतीय वर्ष(2020)	Nil				
	चतुर्थवर्ष(2019)	Nil				
	पंचमवर्ष(2018))	Nil				
	अन्य जानकारी / सूचनाएं					
d	अन्य पशुओं पर प्रभाव निल	पशुहानि (कृपया निर्दिष्ट करें कि कौन से हैं)	पशुहानि की संख्या (प्रत्येक पशु का उल्लेख करें)	हानि के कारण	हानि की ऋतु	उत्पादकता में कोई परिवर्तन पाया गया है? वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं (3)
	प्रथमवर्ष(2022)	Nil				
	द्वितीय वर्ष(2021)	Nil				
	तृतीय वर्ष(2020)	Nil				
	चतुर्थवर्ष(2019)	Nil				
	पंचमवर्ष(2018)	Nil				
	अन्य जानकारी / सूचनाएं	Nil				





## V. कृषि व पशुपालन

42		प्रमुख उगाई जाने वाले फसलें व सम्बन्धित सूचनाएं / जानकारी											
a	फसल (अनाज, तिलहन, दलहन, उद्यान एवं फूल आदि)	ऋतु / मौसम	उपज (QTO)	उर्वरक के प्रकार	उर्वरक उपयोग			कीटनाशक उपयोग			खरपतवारनाशी		
					औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा/एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में उर्वरकों की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)	कीटनाशकों के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा/एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में कीटनाशकों की मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)	खरपतवार नाशी के प्रकार	औसत प्रयुक्त मात्रा (किग्रा/एकड़)	क्या विगत पांच वर्षों में खरपतवारकी मात्रा में वृद्धि (1) कमी (2) परिवर्तन नहीं है (3)	
	धान	वर्षा	15 QTL/ac r.	Urea, DAP,	100 Kg/Acr. 50 Kg/Acr.	1	2 -4 D	1 L/acr.	1	Fatecha k	1 L/Acr.	1	
	गोहूँ	सर्दी	15 Qtl/Acr .	Urea, DAP,	100 Kg/Acr. 50 Kg/Acr.	1	Furidien	200ml /acr.	1	2 4D	250ml /Acr.	1	
b	क्या ग्राम पंचायत में फसल अवशेष जल रेंजेंजों को जलें	हां <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	जलाये गये खेतों का कुल क्षेत्रफल (एकड़)	क्या यह फसल अवशेष पूर्व में जलाये जाते हैं	हां	अगर नहीं तो, कब से जलाना आरम्भ किया	क्या फसल अवशेष प्रबन्धन की योजनाओं को जानते / जागरूक हैं?					
				हां	हां								





43 जैविक खेतीसम्बन्धितगतिविधियां					
फसल	क्षेत्रफल	प्रतिफसलआय (₹0 / कुन्तल)	बिक्रीहेतुबाजार	तृतीय पक्ष द्वाराप्रमाणित / सत्यापित	
Nil					

44 अन्य स्थाई खेतीसम्बन्धीगतिविधियां (जैसे शून्य / जीरोबजटप्राकृतिक खेती)				
फसल	स्थायीगतिविधियां ( शून्य जुलाई, मल्विंग, फसलचक्र, अर्न्तःफसलें, वर्मीकम्पोस्ट, कम्पोस्ट, मिश्रितफसले, प्राकृतिककीटप्रबन्धन, जैवपदार्थमैवृद्धि आदि )	क्षेत्रफल(एकड़)	प्रतिफसलप्राप्तआय (रूपया)	
Nil				



**45 कृषिवानिकी, सामाजिकवानिकी, परतीभूमिविकासऔरअन्य वृक्षारोपणगतिविधियां**

पौध रोपणगतिविधियों के प्रकार	आच्छादित क्षेत्रफल	स्थान	योजनाअन्तर्गतराष्ट्रीय कृषिवानिकीमिशन (1), समन्वितवाटरशेडप्रबन्धनकार्यक्रम (2), वर्षाआधारित क्षेत्र कार्यक्रम (3), मनरेगा (4), वृक्षारोपणजनआन्दोलन (5), अन्य (6)-उल्लेख करें	मोनोक्लचर (1), मिश्रितप्रजाति (2)	रोपितप्रजातियां	आरम्भदिनांक	सफलता (प्रतिशत)	कृषिवानिकीगतिविधियों के लाभतकलोगोंकी पहुंच/अवसर	पिछले 10 वर्षोंमेंपहुंच/अवसरमेंपरिवर्तन, वृद्धि (1), कमी (2), कोईपरिवर्तननहीं (3)	परिवर्तन के कारण-लाभमेंवृद्धि (1), प्रजातिसम्बन्धित (2), वनउन्मूलन (3) अन्य (4)-उल्लेख करें
वृक्षारोपण	20 एकड़	ग्राम पंचायत	4	2	पीपल, बरगद, पकड़िय T	जुलाई 2022	10		2	खुलेजानवरों के कारण वृक्षारोपणनष्टहोजातेहैं



46 अपनायेगयेस्थायीपशुधनप्रबन्धनतकनीक				
पशुधन के प्रकार	ग्रामपंचायतमेंकुलसंख्या (लगभग)	अपनाईगईगतिविधियां (चारा मेंपरिवर्तन, पोषणपूरकअर्थात् पशुआहार, खुलेमेंचराई आदि)	प्राप्त/उत्पादितआय प्रतिपशुधन	
गाय (देशी नस्ल)	180	पशुआहार, हराचारा	3 से 4 हजार रुपयेमासिक	
गाय (संकर नस्ल)	70	पशुआहार	6 हजार रुपयेमासिक	
भैंस (देशी नस्ल)	200	पशुआहार	5 हजार रुपयेमासिक	
भैंस (संकर नस्ल)	100	पशुआहार	6 हजार रुपयेमासिक	
बकरी	400	खुलेमेंचराई	2 हजार रुपयेमासिक	
सुअर	0			
मुर्गी	0			
मत्स्य	0			
अन्यभेड़	400	खुलेमेंचराई	2 हजार रुपयेमासिक	

#### VI. स्वच्छता एवंस्वास्थ्य

47 जल की गुणवत्ता (पेयजल या नल जल से आपूर्ति परिवार)							
a	आपूर्तिकियेजानेवाले पानी की गुणवत्ताकैसीहै?	उपयुक्त	अनुपयुक्त				
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
b	जल का स्वादकैसालगताहै?	तीक्ष्ण	नमकीन	सामान्य			
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			
c	आपूर्तिहोनेवाले जल मेंसामान्यतः दूषितपदार्थक्याहै?	नमकीन	गन्दा	मटमैला	बालू/कीचड़	गन्ध	जल रखनेपरपीलाहोजा ताहै
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
d	जल को शुद्ध करने के लिए आपकिसविधि का प्रयोगकरतेहैं?	उबालकर	जल शोधक	आयोडीन/फिटकरीमिला कर	सौर शुद्धीकरण	क्ले वेसलफिल्ट्रेशन	अन्य, (कृपयाउल्लेख करें)
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	आरओ का प्रयोग अधिकांश घरों में किया जाता है।





48 तोसअपशिष्टउत्पादन / अपशिष्टप्रबन्धन							
a	अपने घरमेंप्रतिदिनउत्पन्नहोनेवालाअपशिष्ट पदार्थ / कचरा	सब्जी का छिलका, मिट्टी एवं कबाड़ प्लास्टिक	1 से 2 किलो				
b	आपकेग्रामपंचायतमेंअपशिष्टपदार्थ / कचराकैसेइकट्ठाकियाजाताहै?	प्रस्तावित					
c	कचरासंग्रहकितनीबारहोताहै?	<input type="checkbox"/> प्रतिदिन	<input checked="" type="checkbox"/> साप्ताहिक	<input type="checkbox"/> वैकल्पिकदिन			
		हां	नहीं				
d	क्याआपके क्षेत्र मेंकोईस्थानहै, जहांकचराइकट्ठाडालाजासकताहै? यदिहांतोकृपयाआपकीग्रामपंचायत से कितनीदूरीपरहै या किसस्थानपरहै?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ग्रामपंचायत से दूरी / ग्रामपंचायतमेंअवस्थिति			
e	क्याआपकेग्रामपंचायत क्षेत्र मेंसामान्य कूड़ेदान रखेगयेहैं?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
f	क्याआपकचरेकोसूखेऔरगीलेकचरे की श्रेणी मेंबांटतेहैं?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
g	आपगृहस्तरपरकचरे का उपचारकैसेकरतेहैं?	पुनःचक्रमण	कम्पोटिंग	वर्मीकम्पोस्ट	अपशिष्ट	जलाना	अन्य (उल्लेखित करें)
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	कूड़ा सड़क के किनारे एवं इधर-उधर गलियों में पड़ा रहता है।

49 खुलेमें शौचमुक्तस्थिति				
a	क्याआपकागांव खुलेमें शौचमुक्त घोषितहै?	<input checked="" type="checkbox"/> हां	<input type="checkbox"/> नहीं	
b	स्वयं के शौचालय वालेपरिवारों की संख्या	15	<input type="checkbox"/>	
c	सामुदायिक शौचालय / इज्जत घर की संख्या	1	<input type="checkbox"/>	प्रमुख स्थान बलीपट्टी रानीगांव
d	क्या शौचालय का उपयोगकियाजारहाहै?	हां		





e	अगर शौचालय का उपयोग नहीं किया जा रहा है तो क्यों? (साफ-सफाई का अभाव, रख-रखाव का अभाव, बहुत दूर आदि)	
---	---	--

50	अपशिष्ट जल	घरेलू	व्यवसायिक	औद्योगिक	कृषि गतिविधियां	गंदानाला
a	अपशिष्ट जल का क्या स्रोत है?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b	उत्पन्न अपशिष्ट जल की मात्रा (अनुमानित लीटर प्रतिदिन)	200				
c	गांव में किया गया अपशिष्ट जल उपचार, यदि कोई है तो-	Null				
d	अपशिष्ट जल पुनः चक्रण या पुनः उपयोग की गतिविधि, यदि कोई है तो-	Null				

51	स्वास्थ्य देखभाल की सुविधा			
	स्वास्थ्य केन्द्र की उपलब्धता	हां	नहीं	उपलब्ध छत का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)
a	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
b	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
c	उपस्वास्थ्य केन्द्र	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
d	आंगनवाड़ी	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	63.51 M <sup>2</sup>
e	आशा	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
f	स्वास्थ्य कैम्प/मेला	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
g	डिजिटल स्वास्थ्य देखभाल	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

52	रोग/बीमारी								
	विगत वर्ष निम्नवत् बीमारी/रोग से कितने लोग प्रभावित हुए हैं?	प्रभावित कुल व्यक्तियों की संख्या	प्रभावित बच्चों की संख्या	प्रभावित वयस्कों की संख्या	प्रभावित वार्षिक नागरिकों की संख्या	सामान्य उपचार का विकल्प			
						स्थानीय स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं (उल्लेख करें)	घरेलू देखभाल	घर-घर जानेवाला	अन्य (उल्लेख करें)
a	वेक्टर-जनित रोग (मलेरिया, डेंगू, चिकेनगुनिया आदि)	10	2	8	0	PHC Amratpur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	





b	जल-जनितरोग (हैजा / डायरिया / टाईफाइड / हैपेटाइटिस आदि)	22	6	14	2	PHC Amratpur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
c	श्वाससम्बन्धीरोगजोवायुप्रदूषण से होतेहैं (इनडोर एण्ड आउटडोर)	15	0	2	13	PHC Amratpur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
d	कुपोषण	2	2	0	0	PHC Amratpur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## VII. उर्जा

53		
a	आपकेग्रामपंचायतमेंकुलकितने घरविद्युतकृतहैं	610
b	ग्रामपंचायतमेंनिम्नलिखितअनुमानितविद्युतउपकरणों की संख्या	
	ए0सी0	10
	एयर कुलर	200
	रेफ्रिजरेटर / फ्रीज	210

54	विद्युतकटौती की आवृत्ति	
a	दिनमेंकुछबार	<input checked="" type="checkbox"/>
	दिनमें एकबार	<input type="checkbox"/>
	विद्युतकटौती नहीं	<input type="checkbox"/>
b	प्रतिदिनकितने घण्टेगुलरहतीहै?	10 – 12 H
	यदिप्रतिदिन नहीं तो सप्ताहमेंकितने घण्टेबिजलीगुलहोतीहै?	Null

55	वोल्टेजअस्थिरता / उतार-चढ़ाव की आवृत्तिक्याहै?	
	दिनमेंकुछबार	<input checked="" type="checkbox"/>
	दिनमें एकबार	<input type="checkbox"/>
	अस्थिरता / उतार-चढ़ाव नहीं	<input type="checkbox"/>

56	पावरबैकअप का मतलबविद्युतकटौती के दौरानउपयोग	संख्या
----	---	--------





	डीजलचलितजेनरेटर	10
	सौरउर्जा	22
	इमरजेंसीलाईट	150
	इन्टवर्ट्स	80
	अन्य साधन (उल्लेख करें)	

57	नवीकरणीय/अक्षयऊर्जा के स्रोत		
a	क्यागांवमेंनिम्नलिखितमें से कोईस्थापनाहै?	इंस्टालेशन (स्थापना) की संख्या	कुलस्थापित क्षमता (किलोवाट)
	घर की छतोंपरसौरउर्जास्थापना	10	2 से 3 किलोवाट
	विद्यालय की छत परसौरउर्जास्थापना	0	
	चिकित्सालय की छत परसौरउर्जास्थापना	0	
	ग्रामपंचायतभवनपरसौरउर्जास्थापना	1	3 किलोवाट
	अन्य सौरउर्जास्थापना	0	
	सौरस्ट्रीटलाईट	6	1/2 किलोवाट
	बायोगैस	1	अभी कार्य चल रहा है।
	विकेन्द्रितनवीनीकरणउर्जा / मिनीग्रीड	0	
b	क्याआपसौरउर्जास्थापना के लिए उपलब्ध अनुदान के बारेमेंजानतेहैं (कुछ योजनाओं/कार्यक्रमों का उल्लेख करें)	0	

58	भोजनबनानेहेतुप्रयुक्तईंधन	परिवारों की संख्या	प्रतिपरिवारप्रयुक्तऔसत मात्रा (किग्रा/महीना)
	पारम्परिकजलौनी (उपले/जलौनी लकड़ी)	220	80 से 100 किलो
	बायोगैस	1	10 घनमीटर
	एलपीजीगैस	400	14.2 किग्राप्रतिपरिवार
	विद्युत	0	
	सौरउर्जा	0	





	अन्य (कोयला, मिट्टी का तेल, चारकोल आदि)	0		
59	<b>वाहन की संख्या</b>			
	<b>वाहन के प्रकार</b>	<b>ग्रामपंचायतमेंवाहन संख्या (अनुमानित)</b>	<b>प्रयुक्तईंधन के प्रकार</b>	<b>तय की गईऔसतदूरी (किमी प्रतिदिन)</b>
a	जीप	0		
b	कार	26	डीजल / पेट्रोल	20–50 किमीप्रतिदिन आवश्यकतानुसार चलती है।
c	दोपहियावाहन	520	पेट्रोल	30 किमीप्रतिदिन
d	विद्युतचालितवाहन	0		
e	आटो	0	सीएनजी	60 किमीप्रतिदिन आवश्यकतानुसार चलती है।
f	ई-रिक्शा	2	बैटरी	60 किमीप्रतिदिन
g	अन्यट्रेक्टर	18	डीजल	15 किमीप्रतिदिन

60	<b>कृषि यंत्र</b>	<b>ग्रामपंचायतमेंकृषि यंत्रों/मशीनों की संख्या</b>	<b>प्रयुक्तईंधन के प्रकार</b>	<b>तय की गईऔसतदूरी(किमी प्रतिदिन)</b>
a	टैक्टर	18	डीजल	15 किमीप्रतिदिन
b	कम्बाईनहारवेस्टर	0		
c	अन्य (कृपयाउल्लेख करें)	0		

61	<b>ग्रामपंचायतमेंअवस्थितपेट्रोलपम्प (अगर कोई है)</b>			
----	--	--	--	--







	ईंधन के प्रकार	प्रतिदिन की बिक्री	पम्प से आपूर्तिवाले गांव की संख्या	कितने प्रकार के वाहन एक दिन / महीना में पेट्रोल पम्प से ईंधन लेते हैं? (समय / अवधि का उल्लेख करें)							
				टैक्सी	कृषि यंत्र	जीप	कार	दोपहिया वाहन	आटो	ई-रिक्शा	अन्य
a	निल										
b											

62 औद्योगिक इकाई				
	उद्योग के प्रकार	संख्या	उर्जा के स्रोत: ग्रिड विद्युत (1), डीजल जेनरेटर (2), नवीनीकरण / अक्षय उर्जा (3)	उर्जा की खपत प्रति माह विद्युत का उपयोग (किलोवाट) ईंधन उपयोग (लीटर प्रतिदिन)
	Nil			



## जनपद—फर्रुखाबाद



### स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना


ग्राम पंचायत— बलीपट्टी रानीगांव  
विकासखण्ड— राजेपुर  
जनपद— फर्रुखाबाद

## विषय सूची

विषय	पेज संख्या
कवर पेज	01
विषय सूची	02
ग्राम पंचायत की रूपरेखा/प्रोफाइल	03
क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना के निरूपण की सहभागी प्रक्रिया <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ वातावरण निर्माण</li> <li>❖ खुली बैठक</li> <li>❖ स्थानीय मूलभूत आंकड़ा</li> <li>❖ समिति एवं पंचायत सदस्यों की सूची</li> <li>❖ ट्रांजेक्ट वॉक/गांव का भ्रमण</li> <li>❖ सामाजिक मानचित्रण</li> </ul>	04-10
<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ नाजुकता विप्लेषण</li> <li>❖ समुदाय की व्यवहारगत एवं ढांचागत संरचना में कमिया</li> <li>❖ क्षमता विश्लेषण</li> <li>❖ जलवायु परिवर्तनशीलता: प्रकृति परिवर्तन, मुख्य चुनौतियां व झटके अथवा तनाव</li> <li>❖ आपदाओं का ऐतिहासिक समय एवं घटनाक्रम</li> <li>❖ आपदा का आजीविका पर प्रभाव</li> <li>❖ आपदाओं का मौसमी कलेण्डर</li> <li>❖ प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन, वित्तीय संसाधन उपलब्धता</li> </ul>	11-12 13 14 15-17 18 19 20 21-22
क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत की कार्य योजना का निर्माण	23-27
क्लाइमेट स्मार्ट मॉडल	28

## ग्राम पंचायत की प्रोफाइल

बलीपट्टी रानीगांव ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के राजेपुर ब्लाक में है। यह ग्राम पंचायत ब्लाक मुख्यालय राजेपुर से 10 किमी, जिला मुख्यालय फर्रुखाबाद से 22 किमी एवं तहसील मुख्यालय अमृतपुर से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। बलीपट्टी रानीगांव ग्राम पंचायत में 5 गांव हैं जिसमें 2 गांव बलीपट्टी, रानीगांव, रतनपुर रम्होआ आबाद है एवं 3 गांव मछुआपुर, पहाड़पुर, चकबिजलिया हार गैर आबाद है। गांव से 3 किमी की दूरी पर गंगा नदी स्थित है। उसी की बाढ़ से लगभग 50 वर्ष पूर्व गंगा के कटान से यह तीनों गांव पूर्ण रूप कटान में बह गये थे। इन ग्रामों के कुछ ग्रामवासी बलीपट्टी रानीगांव में कुछ रतनपुर रम्होआ में तथा कुछ अन्य ग्रामों में बस गये हैं।



## क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना के निरूपण की सहभागी प्रक्रिया :-

### वातावरण निर्माण-

ग्राम पंचायत बलीपट्टी रानीगांव क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत के समग्र जन की सहभागिता से ग्राम प्रधान श्रीमती शशि प्रभा द्वारा दिनांक 16.02.2023 को पूरे ग्राम में बैठक की सूचना की गयी। 16 फरवरी 2023 को पंचायत भवन बलीपट्टी रानीगांव पर खुली बैठक का आयोजन किया गया।

### ग्राम पंचायत की खुली बैठक -

ग्राम पंचायत बलीपट्टी रानीगांव में क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत कार्ययोजना निरूपण हेतु हितभागियों की ग्राम सभा की बैठक दिनांक 16.02.2023 को पंचायत भवन में आयोजित की गयी। इस बैठक में ग्राम प्रधान, ग्राम विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी पंचायत, आगनबाड़ी, आशा, एवं ग्रामवासी ने भाग लिया। इसमें कुल 51 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान ने की। सभी का स्वागत एवं परिचय ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा किया गया है।



बैठक में श्री अजीत पाठक सहायक विकास अधिकारी पंचायत ने बैठक के उद्देश्य पर प्रकाश डाला बताया जलवायु परिवर्तन का असर पूरे विश्व पर पड़ रहा है। इसका प्रभाव हमारी ग्राम पंचायत एवं ग्रामवासियों पर भी पड़ रहा है। यह बैठक इसी उद्देश्य पर कार्य करने हेतु आयोजित की गयी है। उत्तर प्रदेश में 39 जनपद, जो कि जलवायु परिवर्तन के अत्यधिक प्रभाव को झेल रहे हैं। उनमें फर्रुखाबाद जनपद भी शामिल है। फर्रुखाबाद जनपद की बलीपट्टी रानीगांव ग्राम पंचायत को इस कार्य योजना हेतु चयनित किया गया है। पहले भी हमारे ग्राम पंचायत की विकास योजना बनी है। परन्तु जलवायु परिवर्तन एवं आपदा जोखिम से सम्बन्धित समाधान हेतु विकास के सभी मुद्दों के साथ जलवायु स्मार्ट ग्राम पंचायत योजना के निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण करनी है। जिसमें हम सभी की सहभागिता होनी आवश्यक है। संजीव जी ने बताया कि क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम बनाने के लिए ग्राम वासियों का एवं सरकार का सहयोग होना चाहिए। क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम बनाने के लिए ग्राम में जल जमीन एवं बायु को शुद्ध बनाने के लिए ग्राम में अधिक से अधिक वृक्षारोपण एवं जलनिकास नालियों द्वारा एक तालाब या नाले में नोना चाहिए। कड़े के अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए ग्राम में कड़ा

प्रत्येक घर से लाकर कूड़ा संग्रह केन्द्र पर एकत्रित करना चाहिए। जिससे ग्राम में स्वच्छता एवं साफ सफाई होने से हमारा पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा। ग्राम पंचायत में जहां जहां गोबर के ढेर लगे हुए हैं। उनके पास ग्राम पंचायत द्वारा संरचना बनवाकर ग्रामवासियों को गोबर से उपयोगी खाद एवं कम्पोस्ट बनवाने के लिए उत्प्रेरित करना चाहिए। पेट्रोल डीजल वाहनों के प्रयोग अधिकतर होने के कारण हमारी वायु भी प्रदूषित हो रही है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हमें बैट्री चलित वाहन का उपयोग करना चाहिए साथ ही साथ ग्रामवासियों से हमारा निवेदन है कि विद्युत का उपयोग कम करें उसकी जगह पर सोलर पैनल लगवायें जिससे हमारा जलवायु को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। खेतों में कीट नाशक एवं रासायनिक खाद का प्रयोग कम करके जैविक खाद का प्रयोग किया जाये जिससे हमारी जमीन की उर्वरा शक्ति बनी रहे। जब हमारी जलवायु एवं जमीन शुद्ध होंगी तो हमारी जलवायु भी प्रदूषित नहीं होगी और हमारा ग्राम क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम बन जायेगा। इसमें आपका हमारा सभी का सहयोग जरूरी है। श्रीजिेडी अग्निहोत्री ने समुदाय को बताया कि सरकार के साथ हमारी सहभागिता भी बहुत जरूरी है हमें भी स्वच्छता की दृष्टि से कूड़े को एक जगह एकट्ठा करना चाहिए और अपने घर के पशुओं के गोबर से वर्मी कम्पोस्ट एवं खाद बनाना चाहिए। जिससे हमारी ग्राम पंचायत में स्वच्छता का वातावरण बने, और हमारी जलवायु प्रदूषित न हो।

ग्राम पंचायत में सात तालाब हैं। जिनका साफ सफाई एवं जीर्णोद्धार होना चाहिए जिससे उसके जल का उपयोग अन्य कार्यों में किया जा सके, जल संरक्षण हो। यहां अधिकतर बाढ़ की समस्या है। बाढ़ के निदान के लिए वृक्षारोपण एवं बंधों के सुदृढी करने की व्यवस्था होनी चाहिए जिसके लिए बलीपट्टी बाले बंधे को ऊंचा एवं सुदृढ करना चाहिए। रतनपुर रम्होआ में एक बंधा और बनना चाहिए, जिससे फसल की हानि रोक सके। वातावरण निर्माण के लिए पर्यावरण की दृष्टि से गांव में सोलर पैनल लगाये जाने चाहिए।



विवरण	संख्या	विवरण
ग्राम पंचायत की चौहददी का क्षेत्रफल	540.9594 हे.	
कुल ग्राम	5	2 आबाद 3 गैर आबाद
टोलों की संख्या	2	कछियाना, भट्टा मजरा
कुल जनसंख्या	2445	
कुल पुरुषों की संख्या	1287	
कुल महिलाओं की संख्या	1158	
विकलांग जनों की संख्या	16	
कुल बच्चों की संख्या	416	
कुल परिवार संख्या	610	
गरीबी रेखा से नीचे जीवन यावन करने वाले	73	
पक्के घरों की संख्या	538	
कच्चे घरों की संख्या	72	
महिला मुख्या परिवारों की संख्या	60	
इण्डिया मार्का हैण्डपम्प	29	
सरकारी सेवा में महिलाएं	2	

### ग्राम पंचायत समितियों का विवरण

प्रशासनिक समिति	शिक्षा समिति	नियोजन एवं विकास समिति
शशिप्रभा शुक्ला (प्रधान) खुषीराम-सदस्य माया देवी-सदस्य नर सिंह-सदस्य मीरा देवी-सदस्य श्रीमती विमला-सदस्य ज्ञान प्रकाश-सदस्य श्री मुकेश-सदस्य	शशिप्रभा शुक्ला – प्रधान श्री नरसिंह श्रीमती रामरती-सदस्य श्रीमती माया देवी-सदस्य श्रीमती मीरा देवी-सदस्य श्री नारायण शुक्ला-सदस्य नीलम अग्निहोत्री-सदस्य श्री रामवीर-सदस्य	शशि प्रभा शुक्ला – अध्यक्ष श्री विवेक-सदस्य कु0 सरस्वती-सदस्य श्री नारायण शुक्ला-सदस्य श्री खुषीराम-सदस्य श्रीमती विमला-सदस्य श्री कल्लू दीक्षित-सदस्य श्री मुकेश-सदस्य
निर्माण कार्य समिति	जल प्रबन्धन समिति	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण समिति
श्रीमती मीरा देवी कु0 सरस्वती श्री खुषीराम श्रीमती विमला देवी श्री विवेक कुमार श्री मुनील-सदस्य श्री मुकेश श्री अजीत तिवारी	श्रीमती विमला देवी श्री विवेक श्री मुनील श्री नारायण शुक्लर श्रीमती रामरती श्री ज्ञान प्रकाश श्रीमती माया देवी श्री खुषीराम	श्री नारायण शुक्लर श्री ज्ञान प्रकाश श्री मुनील श्रीमती माया देवी श्री नरसिंह श्री खुषीराम श्रीमती रामरती श्री अजीत तिवारी

### ग्राम पंचायत सदस्यों की सूची

क्र.सं.	ग्राम पंचायत सदस्य का नाम
1	श्री विवेक
2	श्री ज्ञान प्रकाश
3	कु0 सरस्वती
4	श्री नारायण शुक्ला
5	श्री मुनील
6	श्री खुषीराम
7	श्रीमती विमला
8	श्री नरसिंह
9	श्रीमती माया देवी
10	श्रीमती मीरा
11	श्रीमती रामरती
12	श्री विवेक



## ग्राम भ्रमण – (ट्रांजेक्ट वाक)

पंचायत भवन से ग्राम भ्रमण शुरू होकर बलीपट्टी रानीगांव में पूरा गांव घूमते हुए आंगनबाड़ी केन्द्र उसके बाद कोटेदार के यहां भ्रमण करते बलीपट्टी रानीगांव के जलापूर्ति के लिए पानी की टंकी तक ग्राम वासियों के साथ लोगों भ्रमण किया गया। हम लोगों ने यहां की जलापूर्ति व्यवस्था देखी जो पाइप लाइन द्वारा बली पट्टी रानीगांव एवं मजरा कछियाना, रतनपुर, रम्होआ ग्राम तक जलापूर्ति है। जिसमें सार्वजनिक टोंटियां भी कई जगह पानी के लिए लगी हुई हैं। उसके बाद हम तालाब पर गये उसमें साफ सफाई नहीं थी। अतः हमने प्रधान जी से कहा कि **तालाब की साफ** सफाई एवं जीणोद्धार किया जाये जिससे जल संरक्षण हो सके एवं तालाब के जल का उपयोग पशुओं के पीने के लिए एवं मत्स्य पालन में किया जा सके। उसके बाद हम ग्राम में घूमते हुए मन्दिर पर गये। दूसरे दिन ग्राम पंचायत से हम लोग रतनपुर रम्होआ ग्राम में गृह भ्रमण हेतु गये। प्राइमरी विद्यालय गये, यहां पर बच्चों की संख्या एवं स्टाफ के बारे में जाना-समझा, उसके बाद विद्यालय के पास में ही दो तालाबों का अवलोकन किया। उन तालाबों की साफ सफाई नहीं थी। प्रधान जी से कहा कि तालाबों की साफ सफाई कराये जिससे तालाब के जल का उपयोग पशु के पीने के लिए हो।

सबसे बड़ी समस्या बाढ़ की है जिससे हर वर्ष पानी भरने से 20 प्रतिशत हानि हो जाती है। इसके लिए गंगा नदी का बंधा देखने गये थे। बंधे को और ऊंचा किया जाये और सुदृढ़ बनाया जाये तथा इसके आलावा एक बंधा रतनपुर रम्होआ ग्राम के पास भी बनवाना चाहिए जिससे बाढ़ का जल गांव में न आ सके जिससे फसलों का नुकसान से बचाया जा सके। भट्टा मजरा, एवं चार तालाब आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माणधीन एवं पानी की टंकी को देखते हुए अगले ग्राम रतनपुर रम्होआ में तालाब, स्कूल का भ्रमण करते हुए ट्रांजेक्ट वाक पंचायत भवन पर समाप्त हुआ।



**ट्रांजेक्ट वाक के दौरान अवलोकन की गई स्थितियां :-**

<p><b>बसाहट</b></p>	<p>वलीपट्टी रानीगाँव- मजरा कछियाना, भट्टा मजरा – वलीपट्टीरानी गाँव में मकान पक्के बने हुए हैं, मजरा कछियाना एवं भट्टा मजरा में कुछ मकान कच्चे हैं। वलीपट्टीरानी गाँव में पानी पीने के लिए पानी की टंकी है जिसके पानी की सप्लाई पाईप द्वारा रतनपुर रम्होआ एवं कछियाना मजरा पर है। जिसमें सर्वजनिक टोटिया भी कई जगहे पर लगी हुई है।</p>
<p><b>ताल-तलैया</b></p>	<p>ग्राम सभा मं सात तालाब स्थित है जिसमे बलीपट्टीरानी गांव के दक्षिणमें 0.125 हेक्टेयर क्षेत्रफल का है। दूसरा दक्षिण में 0.35 हे. क्षेत्रफल का तालाब स्थित है। तीसरा 0.12 हे. चौथा 1.71 हे. क्षेत्रफल का तालाब पूर्व में स्थित है। 5वां रतनपुर रम्होआ में 0.129 हे. क्षेत्रफल का है। छठा तालाब 0.113 हे. कारतनपुर रम्होआ मे है। सातवां 0.052 हे. क्षेत्रफल का तालाब है। गांव का कचरा भी जल निकासी में मिल जाने से तालाब को प्रदूषित करता है। परिणाम स्वरूप तालाब के जल का उपयोग नहीं होता है</p>
<p><b>गंगा की धार का सोता</b></p>	<p>गंगा की धार का सोता का क्षेत्रफल 13.058 हे. बाढ़ के समय जल गांव में आ जाता है। बलीपट्टी रानीगांव में बंधा को और उंचा सृदृढ़ बनाना चाहिए जिससे गंगा का जल गांव में न आ सके। जिससे फसल में हानि कम हो। इसके अलावा एक बंधा रतनपुर रम्होआ गांव में भी बने ताकि गंगा का पानी से फसल का नुकसान रोका जा सके। तथा फसल की हानि में कमी हो।</p>
<p><b>हरित क्षेत्र बाग-बगीचा</b></p>	<p>गंगा के कटान को रोकने के लिए वृक्षारोपण होना चाहिए। ग्राम सभा मे बाग बगीचा न के बराबर है मन्दिर के आसपास लगभग 20-25 पेड़ है। जिसमे आम, पीपल, बरगद, यूकेलिप्टस के पेड़ हैं। वृक्षारोपण पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए। वृक्षारोपण के लिए ग्राम सभा में काफी भूमि है।</p>
<p><b>भौतिक संसाधन</b></p>	<p>बलीपट्टी रानीगांव ग्राम पंचायत फरूखाबाद मुरादाबाद रोड से 500 मीटर दूरी परिस्थित है। इस ग्राम पंचायत में ग्रामीणों की सुविधा के लिए एक सामुदायक शौचालय है। दो प्राथमिक विद्यालय एक बलीपट्टी रानी गांव एवं रतनपुर रम्होआ में स्थित हैं। पूरे गांव में इण्टरलाकिंग मार्ग हैं 90 प्रतिषत घर पक्के हैं। सुरक्षित पेयजल हेतु पंचायत बलीपट्टी में पानी की टंकी है। जिससे पूरे गांव एवं रतनपुर रम्होआ एवं दोनों टोलों पर पानी की सप्लाई है। सामुदायिक जल हेतु 10 टोटी लगी हैं। घरों मे भी पानी की सप्लाई है। इसके अलावा ग्राम पंचायत में छोटे बड़े 7 तालाब भी हैं। पंचायत भवन भी बना है। गाँव में अंगनवाडी भवन बन रहा है। ग्राम पंचायत में कुल 610 हैण्डपंप तथा 29 इंडिया मार्का नल हैं</p>

### समाजिक मानचित्रण:-

बलीपट्टी रानीगांव का भ्रमण किया गया भ्रमण करने के बाद स्कूल में ही सामाजिक मानचित्रण, ग्राम वासियों की मदद से किया गया इस प्रक्रिया में संस्था की टीम द्वारा उपस्थित जनों को शोसल मैपिंग के बारे में पर्याप्त जानकारी दी गयी। गांव का नक्शा अच्छे ढंग से बने इसलिए सभी लोगों को पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाओ का ज्ञान कराया गया उसके बाद गांव बसाहट, सड़के, बस्ती, मकान, तालाब, कुआं, सभी कुछ दर्शाने के लिए बताया गया। गांव मे क्या क्या संसाधन है इसकी भी जानकारी ली गयी।



### जाति वर्ग अनुसार परिवारों की संख्या

जानकारी का श्रोत्र स्थानीय समुदाय/पंचायत

सामान्य जाति के घरों की संख्या	496
पिछड़ी जाति के घरों की संख्या	88
अनुसूचित जाति के घरों की संख्या	26
योग	610

## **नाजुकता विषलेषण :-**

आपदाओं का (बाढ़) का सामना करने से प्रभावित समुदाय सामाजिक, आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है। इसे जानने के लिए समुदाय, आषा, आगंनबाड़ी कार्यकर्त्री से चर्चा की, जिससे निम्न जानकारी प्राप्त हुई।

1. जल भराव— बलीपट्टी रानीगांव ग्राम पंचायत में जल भराव की समस्या दो जगह है। भट्टा मजरा, रतनपुर रम्होआ में जलनिकास ठीक नहीं है। पानी निकास के लिए नाली-नाला ग्राम पंचायत प्रधान से हुई वार्ता से पता चला कि जलनिकास हेतु गांव में नाला प्रस्तावित है।
2. गांव की मुख्य सड़क — फरूखाबाद मुरादाबाद रोड एसएच 43 मार्ग से बलीपट्टी रानीगांव का सम्पर्क मार्ग जगह जगह टूटा है जिससे आवागमन में परेशनी होती है जो लगभग 500 मीटर है।
3. शिक्षा के लिए केबल प्राइमरी विद्यालय बली पट्टी रानीगांव एवं रतनपुर रमौआ में है उच्च शिक्षा के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालय न होने से ग्राम की किशोरियों की शिक्षा कम है। अतः ग्राम सभा में उच्च प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता है।
4. ग्राम सभा में सात तालाब स्थित है जिसमें बलीपट्टी रानीगांव के दक्षिण में 0.125 हेक्टेयर क्षेत्रफल का है। दूसरा दक्षिण में 0.35 हे. क्षेत्रफल का तालाब स्थित है। तीसरा 0.12 हे. चौथा 1.71 हे. क्षेत्रफल का तालाब पूर्व में स्थित है। 5वां रतनपुर रम्होआ में 0.129 हे. क्षेत्रफल का है। छठा तालाब 0.113 हे. का रतनपुर रम्होआ में है। सातवां 0.052 हे. क्षेत्रफल का तालाब है। गांव का कचरा भी जल निकासी में मिल जाने से तालाब को प्रदूषित करता है। परिणामस्वरूप तालाब के जल का उपयोग नहीं होता है अतः तालाबों की साफ सफाई होनी चाहिए, जीर्णोद्धार होना चाहिए परिणामस्वरूप तालाब का जल मत्स्यपालन, पशुओं के पीने के लिए प्रयोग किया जा सके। तथा जल संरक्षण भी हो सके।
5. गंगा की धार का सोता का क्षेत्रफल 13.058 हे. बाढ़ के समय जल गांव में आ जाता है। बलीपट्टी रानीगांव में बंधा को और उंचा सृष्टि बनाना चाहिए जिससे गंगा का जल गांव में न आ सके। जिससे फसल में हानि कम हो इसके अलावा एक बंदा रतनपुर रम्होआ गांव में भी बने ताकि गंगा का पानी से फसल का नुकसान रोका जा सके। ताकि फसल की हानि में कमी हो।
6. गंगा के कटान को रोकने के लिए बृक्षारोपण होना चाहिए। ग्राम सभा में बाग बगीचा न के बराबर हैं मन्दिर के आसपास लगभग 20-25 पेड़ हैं। जिसमें आम, पीपल, बरगद लिटिस के पेड़ हैं। बृक्षारोपण पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए। बृक्षों की देखभाल के लिए मनरेगा से ध्यान रखना चाहिए। बृक्षारोपण के लिए ग्राम सभा में काफी भूमि है। भूमि में नर्सरी की व्यवस्था होनी चाहिए। जिससे बृक्षारोपण के लिए पेड़ आसानी से मिल सके। जिससे बृक्ष बढ़ने से हमें शुद्ध हवा मिल सके।
7. ग्रामपंचायत में गंगा का क्षेत्रफल 11.34 हे. है।
8. ग्राम सभा में कुल 610 निजी हैण्डपम्प है तथा 29 इण्डिया मार्का नल है। पानी रखने पर पीला पड़ जाता है अतः जल के शुद्धीकरण के लिए धनीवर्ग आर.ओ का प्रयोग करते हैं। अन्य व्यक्ति यही जल पीते हैं। जिससे पेट सम्बन्धी बीमारी होने का भय रहता है।

9. तापमान बढ़ने से पशुओं को विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती है जिससे दुग्ध का उत्पादन कम हो जाता है।

#### **समुदाय पर जल जमाव का प्रभाव :-**

वलीपट्टी रानी गाँव ग्रामपंचायत में जल भराव की समस्या दो जगह है 1. भट्टा मजरा 2. रतनपुर रम्होआ, वहां पानी का निकास ठीक नहीं है पूरी आबादी का पूरा कचरा निचले क्षेत्र में इकट्ठा होता है जो जल भराव के दौरान पूरे क्षेत्र में फैल जाता है जिससे स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सम्बन्धित कारणों से समुदाय प्रभावित रहता है जैसे फोडा फुन्सी, सर्दी, जुकाम, बुखार आदि। बरसात में गंगा से पानी आ जाने के कारण खरीफ की फसल में काफी नुकसान हो जाता है। बरसात में जल भराव के कारण आवागमन बाधित हो जाता है। कई स्थानों पर सड़कें टूट जाती हैं जिससे छोटे बच्चों एवं जानवरों के गिर कर फंस जाने का खतरा रहता है गाँव का कचरा भी जल निकासी वाले क्षेत्र में मिलकर गाँव के तालाबों के पानी को प्रदूषित करता है प्ररिणाम स्वरूप तालाबों में मत्स्यपालन भी नहीं हो पाता है एवं तालाबों का जल पशुओं के पीने के उपयुक्त भी नहीं रहता है।

#### **समुदाय पर बाढ़ का प्रभाव :-**

2010 एवं 2011 में गंगा नदी में अत्याधिक बाढ़ आई। गंगा जी का जल फर्रुखाबाद बदायूँ तक एवं पूरे गाँव में लगभग 3 फिट पानी भर गया था। और सभी फसलें पानी में डूब गयीं थी पानी की वजह से सभी फसलें नष्ट हो गयी थी। इस से लगभग 50 वर्ष पहले गंगाजी के कटान से 3 गाँव 1 मछुआपुर, 2 पहाड़पुर, 3 चक बिजलियां हार में गंगा की बाढ़ से ये तीनों गाँव पूर्ण से कटान होकर तीनों ग्राम गैर आबाद हो गये और काफी हानि भी हुई थी। बाढ़ के समय में खरीफ की फसल में काफी नुकसान हो जाता है और कभी कभी पूरी फसल नष्ट हो जाती है एवं स्वास्थ्य पर ही बुरा प्रभाव पड़ता है साथ ही अजीविका में जोखिम बढ़ जाते हैं जिससे रोजगार के लिए कुछ लोगों को बड़े महानगरों में रोजगार के लिए जाना पड़ता है।

#### **समुदाय पर लू का प्रभाव :-**

ग्रमियों के दिनों में 15 मई से 15 जून तक तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है व गर्म हवायें चलनें लगती है जिससे समुदाय के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है मानव एवं पशुओं को लू लगने से उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। विशेषकर बच्चों एवं बुजुर्गों पर इसका प्रभाव अधिक पड़ता है बच्चों की शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवायें प्रभावित होती है। विशेषकर छोटे बच्चों के टीकाकरण आदि में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पशुओं को चारा एवं पेय जल हेतु पानी की समस्या हो जाती है

#### **समुदाय पर शीतलहर का प्रभाव :-**

सर्दी के मौसम में 15 दिसम्बर से 15 जनवरी तक शीतलहर का प्रभाव रहता है। शीतलहर मानव एवं पशुओं के स्वास्थ्य के साथ साथ फसलों को भी प्रभावित करती है। शीतलहर के प्रभाव से प्रत्येक वर्ष पशुपालन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। शीतलहर में ठंडी से प्रत्येक वर्ष कुछ पशुओं को मृत्यु हो जाती है। गाय भैंसों के दूध उत्पादन में कमी आ जाती है। शीतलहर के कारण कृषि कार्य, मजदूरी, आदि से आजीविका प्रभावित होती है। बच्चों में निमोनिया, खांसी एवं दस्त की समस्या हो जाती है फसलों में मुख्यतः दलहन एवं तिलहन पर

पाले का प्रभाव पड़ता है। परिणामस्वरूप पौधों की बढ़वार थम जाती है व फसलों के उत्पादन में कमी हो जाती है।

### समुदाय पर ओलावृष्टि का प्रभाव :-

ओलावृष्टि – प्रतिवर्ष फरवरी-मार्च में ओलावृष्टि होने से फसलों के उत्पादन में प्रतिवर्ष लगभग 20 % - 40% तक की हानि हो जाती है एवं मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कच्चे घर क्षति ग्रस्त हो जाते हैं। फसलों के उत्पादन में कमी, एवं मानवों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है ओलों की वजह से महिलाएं एवं बच्चों के चोटिल होने का भय रहता है।

### समुदाय की व्यवहारगत एवं ढांचागत संरचना में कमियां

1. लोगों में जानकारी एवं जागरूकता का अभाव है। लोगों में कल्याणकारी योजना की जानकारी का अभाव है। पशु पालन तो करते हैं किन्तु नस्ल सुधार, पशुओं का बीमा आदि की जानकारी कम है।
2. गांव में कृषि केन्द्र, बीज केन्द्र, किसान संगठन, अनाज केन्द्र आदि सामाजिक संगठनों की कमी है। इस कारण आपदा के समय समुदाय को सरकारी एवं वाह्य सहायता पर निर्भर रहना पड़ता है।
3. केवल 6 सोलर पैनल है। यहां 90 प्रतिशत से अधिक पक्की छते हैं जहां सौर उर्जा का प्रयोग किया जा सकता है। ग्राम में रोशनी आदि हेतु सौर उर्जा पैनलों को छतों पर लगाया जा सकता है।
4. मानसून के दिनों में जलजलित बीमारियों व मच्छर मखियों की भरमार हो जाती है। यहां टाईफाइड, मलेरिया सांस सम्बन्धित बीमारियां हो जाती हैं।
5. गांव में सूखा एवं गीला कचरा एक साथ बहकर गलियों में पड़ा रहता है। लोगों में कचरा प्रबन्धन की जागरूकता का अभाव है। अतः ग्राम सभा में कचरा संग्रह केन्द्र बनना चाहिए तथा घर-घर से गीला-सूखा कचरा, अलग अलग एकत्र करना चाहिए। इस गांव की मुख्य फसलें गेहूँ, सरसों, धान हैं। जिनमें उर्वरक, कीटनाशक, खरपतवारनाशक का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है।
6. गांव में गाय, भैंस आदि पशुपालन होने के बावजूद भी गोबर का प्रयोग जैविक खाद एवं कम्पोस्ट खाद बनाने में नहीं होता है। बल्कि सड़कों किनारे ढेर लगाकर रखते हैं और कण्डे बनाते हैं।
7. गांव में जैविक खाद एवं कम्पोस्ट खाद बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाये।
8. गांव में आंगनबाड़ी भवन बन रहा है। 7 माह से तीन वर्ष के 38 बच्चे 3 तीन वर्ष से उपर 49 बच्चे अर्थात् कुल 87 बच्चे।



## समुदाय की क्षमता विप्लेषण-

आपदाओं के सन्दर्भ में गांव को क्लाइमेट स्मार्ट बनाने की दृष्टि से स्वयं में कितना सक्षम है। इसकी जानकारी हेतु समुदाय के साथ मिलकर जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न होने वाली आपदाओं एवं खतरों के बारे में जानकारी उपलब्ध हुई जो निम्न है।

बलीपट्टी रानीगांव ग्राम पंचायत फर्रुखाबाद मुरादाबाद रोड से 500 मीटर दूरी पर स्थित है। इस ग्रामपंचायत में ग्रामीणों की सुविधा के लिए एक सामुदायिक षौचालय है। दो प्राथमिक विद्यालय एक बली पट्टी रानीगांव एवं रतनपुर रम्होआ में स्थित हैं। पूरे गांव में इण्टरलाकिंग हैं 90 प्रतिषत घर पक्के हैं। सुरक्षित पेयजल हेतु पंचायत बलीपट्टी में पानी की टंकी है। जिससे पूरे गांव रतनपुर रम्होआ एवं दोनों टोलों पर पानी की आपूर्ति है। सामुदायिक जल हेतु 10 टोटी लगी हैं। घरों में भी पानी की सप्लाई है। इसके अलावा 29 इण्डियामार्का नल भी है। इसके अलावा ग्राम पंचायत में छोटे बड़े 7 तालाब भी हैं।

## जलवायु परिवर्तन शीलता :-

### प्रवृत्ति/परिवर्तन, मुख्य चुनौतियां/झटके एवं तनाव

ग्राम पंचायत बलीपट्टी रानीगांव में सभी मौसम, सर्दी, गर्मी, बरसात का प्रभाव रहता है। 25 वर्ष पूर्व सर्दी नवम्बर माह से फरवरी माह तक रहती थी। किन्तु अब सर्दी दिसम्बर जनवरी तक ही रहती है। पहले बरसात जून से सितम्बर तक रहती थी। मगर अब बरसात जुलाई के अन्त से सितम्बर के शुरू तक ही रहती है। वर्षा के समय गंगा में बाढ़ आ जाने से धान की



फसल को काफी नुकसान हो जाता है। पहले गर्मी अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक रहती थी किन्तु अब गर्मी मार्च से 15 नवम्बर तक रहती है।

आपदा जोखिम प्रोफाइल के अन्तर्गत से निम्न सूचनाओं का संकलन किया है जो निम्न है गांव को प्रभावित करने वाली आपदाओं की पहचान करना। समुदाय के साथ उन आपदाओं के बारे में विस्तृत रूप में चर्चा एवं विचार विमर्ष किया, जिससे उनकी दैनिक दिनचर्या, रोजगार, शिक्षा, पेयजल, समुदाय में साफ सफाई आदि पर एक सूची प्राप्त की गई इस गांव की प्रमुख आपदा जल भराव एवं गंगा नदी की बाढ़ है। जिससे गांव की खरीफ की फसल में काफी नुकसान हो जाता है एवं स्वास्थ्य पर ही बुरा प्रभाव पड़ता है साथ ही आजीविका में जोखिम बढ़ जाते हैं। जिससे रोजगार एवं आजीविका हेतु कुछ लोगों को बड़े महानगरों में जाना पड़ता है।

#### जलवायु परिवर्तन जनित आपदा के जोखिम/खतरों का मानचित्रण

आपदाओं के आधार पर होने वाले नुकसान तथा प्रभावित समुदाय से विस्तृत जानकारी प्राप्त आपदाओं का ग्राम पंचायत वलीपट्टी रानीगांव के पर्यावरण के साथ ही मानव जीवन एवं स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है, जल भराव, बाढ़, शीत लहर से प्रतिवर्ष नुकसान सहना पड़ रहा है। जो निम्न है।

क्रम	आपदा	जोखिम क्षेत्र	जोखिम	आवादी	घर	संसाधन
1	जल भराव	पेयजल	पेयजल रखने से पीला हो जाता है और दूषित हो जाता है।	भट्टा मजरा, रतनपुर रम्होआ	25 50	हैण्डपम्प इण्डिया मार्का पम्प
		स्वच्छता	कूड़ा एकत्र नहीं होता है	भट्टा मजरा, रतनपुर रम्होआ		कूड़ा एकत्र स्थान नहीं है
		स्वास्थ्य	जलजनित बीमारियों का होना	22 लोग प्रभावित		22 लोग प्रभावित
		शिक्षा	जल भराव के समय आवागमन बाधित होने से विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति कम होना	भट्टा मजरा, रतनपुर रम्होआ		पानी भरने के कारण विद्यालय आवागमन की समस्या
		कृषि	जल भराव आने	भट्टा		20 प्रतिषत



			के कारण खरीफ की फसल में हानि	मजरा, रतनपुर रम्होआ		फसल में हानि
		पशु पालन	जल के कारण पशुओं को हरा चारा	भट्टा मजरा, रतनपुर रम्होआ		दुग्ध की उत्पादकता में कमी।
		टाजीविका	स्थानीय स्तर पर मजदूरी न मिलना	भट्टा मजरा, रतनपुर रम्होआ		शेष लोग बाढ़ के समय अन्य शहरों में मजदूरी करने चले जाते हैं।
2	बाढ़	पेयजल	पेयजल रखने से पीला हो जाता है। और दूषित हो जाता है।	सम्पूर्ण ग्रामपंचायत	610	610 उथले निजी हैण्डपम्प का जल पीला हो जाता है।
		स्वच्छता	कूड़ा एकत्र नहीं होता है	सम्पूर्ण ग्राम पंचायत	610	कूड़ा एकत्र स्थान नहीं है
		स्वास्थ्य	जलजनित बीमारियों का होना	22 लोग प्रभावित		22 लोग प्रभावित
		शिक्षा	जल भराव के समय आवागमन बाधित होने से विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति कम होना	सम्पूर्ण ग्राम पंचायत		पानी भरने के कारण
		कृषि	जल भराव आने के कारण खरीफ की फसल में हानि	सम्पूर्ण ग्राम पंचायत		20 प्रतिषत फसल में हानि
		पशु पालन	जल के कारण पशुओं को हरा चारा	सम्पूर्ण ग्रामपंचायत		दुग्ध की उत्पादकता में कमी।
		आजीविका	स्थानीय स्तर पर मजदूरी न मिलना	मनरेगा जॉब कार्ड 824	लाभार्थी 298	शेष लोग बाढ़ के समय अन्य शहरों में

						मजदूरी करने चले जाते हैं।
3	लू लगना	स्वास्थ्य	मानव एवं पशुओं को लू लगने से उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता	सम्पूर्ण ग्रामपंचायत	610	सरकारी स्वास्थ्य सेवा ग्राम स्तर पर उपलब्ध नहीं है। उपकेन्द्र भी नहीं है। केवल टीकाकरण होता है।
4	शीतलहर	स्वास्थ्य एवं कृषि पशु पालन	मानव एवं पशुओं को ठंड लगना, फसल नुकसान,	सम्पूर्ण ग्रामपंचायत	610	ठंड लगने के कारण पशुओं की मृत्यु
5	ओलावृष्टि	फसल एवं मानव स्वास्थ्य	फसल का नुकसान, मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव	सम्पूर्ण पंचायत	610	कच्चे घर छतगृस्त, ओलों की बजह से महिलाओं एवं पुरुषों को चोट लगने का भय

### आजीविका के साधन

बलीपट्टी रानीगांव ग्रामपंचायत का प्रमुख आजीविका का साधन कृषि, मजदूरी, पशु पालन है, बाढ़ के समय फसले नष्ट हो जाती है या उनका उत्पादन कम हो जाता है। तब आजीविका हेतु ग्रामवासी मजदूरी के लिए बड़े नगरों व उपनगरों में जाते हैं।

### आपदाओं का ऐतिहासिक समय एवं घटनाक्रम :-

ग्राम पंचायत वलीपट्टी रानी गाँव का ऐतिहासिक समय रेखा आपदाओं एवं उसके प्रभाव को जानने के बाद समुदाय के साथ यह जानने का प्रयास किया गया कि कौन सी आपदाएँ इस ग्राम पंचायत को कब कब प्रभावित कर रहीं हैं। इन आपदाओं का ऐतिहासिक समय रेखा जानने का प्रयास किया, जिसमें समुदाय ने माना कि बाढ़ एक ऐसी आपदा है जो लगातार

समुदाय को प्रभावित कर रही है । हाल के वर्षों में ग्राम पंचायत को जल भराव , बाढ़, लू लगना, ओलावृष्टि का प्रकोप भी ग्राम पंचायत को झेलना पड रहा रहा है विगत दो वर्षों से कोराना नामक बीमारी भी आपदा ही हो गयी है। इस बीमारी से बचाव के लिए पूरे देश में लोकडाउन लग जाने के कारण लोग अपने घरों में बंद हो गये थे इसका सबसे अधिक प्रभाव कृषि में तैयार उत्पाद के लिया बाजार न मिलने के कारण सबकुछ बन्द हो जाने के कारण बड़े पैमाने पर लोगो की आजीविका प्रभावित हुई ।

1. 2010 एवं 2011 में गंगा नदी में अत्याधिक बाढ़ आयी। गंगा जी का जल फर्रुखाबाद बँदायू मार्ग तक एवं पूरे ग्राम में लगभग 3 फीट पानी भर गया था। और सभी फसलें पानी में डूब गयीं थी । पानी की बजह से सभी फसलें नष्ट हो गयी थी लगभग 50 वर्ष पहले गंगा जी के कटान से ग्राम पंचायत के तीन गाँव मछुआपुर , पहाडपुर , चक बिजलियाहार गंगा की बाढ से ये तीन गाँव पूर्ण रूप से कटान होकर तीनों ग्राम गैर आबाद हो गये। काफी हानि हुई थी सम्बन्धित ग्रामवासी बलीपट्टी रानी गाँव , रतनपुर रमहौआ तथा अन्य ग्रामों में बस गये थे । इस ग्राम पंचायत में कुल पांच गाँव है। जिसमें दो आबाद तीन गैर आबाद है। तथा बलीपट्टी रानीगाँव दो मजरा कछियाना एवं भट्टा मजरा है।

2023 मार्च में ओलावृष्टि में फसलों के उत्पादन में लगभग 20 प्रतिषत हानि होने की सम्भावना है ओलों से प्रति वर्ष फसल के उत्पादन में लगभग 20 से 40 प्रतिषत हानि हो जाती है।

### आजीविका के साधनों पर आपदाओं का प्रभाव :-

1. कृषि में 418 परिवार अपनी आजीविका चला रहे हैं। बाढ़ के समय प्रत्येक वर्ष फसल की 20-30 प्रतिशत हानि और आवागमन में परेशानी होती है। जिससे उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है।
2. शीतलहर से फसले झुलस जाती है आलू में पाला की समस्या होती है। सरसों में माहू का प्रकोप बढ़ जाता है। फसलों की बढ़वार प्रभावित होती है। जिससे फसलों में लगभग 15 प्रतिषत उत्पादन में कमी होती है। पशु पालन में टंड की बजह से 20 गाय 15 भैंसों की पशुओं की मृत्यु हो गयी है।
3. मजदूरी हेतु 298 परिवार ग्राम सभा में कार्य करते है जब ग्राम सभा में कार्य नहीं मिलता है तो उन्हें स्थनीय स्तर पर मजदूरी न मिलने के कारण अन्य शहरों में चले जाते हैं।
4. वर्ष 2022 में 20 गाय 15 भैंस बीमारी से मृत्यु हो गयी। जिसमें लम्पी, पाला, मुंहपका, खुरपका, नामक बीमारी पशुओं में अधिकतर देखी गयी। जिससे दुग्ध उत्पादन में 10 प्रतिषत की हानि हो जाती है।
5. स्वयं का व्यवसाय 25 परिवार अपना रोजगार करते हैं। जिसमें प्रमुख अधिकतर दुकाने ही है। व्यवसाय बाढ़ के समय कम हो जाता है। और आर्थिक समस्या हो जाती है।

### आपदाओं का मौसमी कलैण्डर

आपदा	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर
जल भराव							■	■	■	■		
बाढ़							■	■	■	■		
टाग				■								
ओलावृष्टि	■	■										
शीतलहर	■											■
लू					■	■						

आपदामान चित्रण मौसमी कलैण्डर बनाने से पूर्व समुदाय से चर्चा हुई जिससे स्पष्ट हुआ कि कम दिनों में अधिक वर्षा तथा सर्दी कम दिनों तक पड़ती है एवं गर्मी के दिनों में बृद्धि तथा तापमान बढ़ता ही चला जा रहा है। अनिल सिंह के घर से मैन सड़क तक एवं दूसरा बलीपट्टी रानीगांव जखोलिया मार्ग तक जल भराव है।

#### भौतिक संसाधनों की उपलब्धता एवं गांव की दूरी

विवरण	संख्या	सम्पर्क व्यक्ति	गांव से दूरी
प्राथमिक विद्यालय ग्रामपंचायत बलीपट्टी रानीगांव	2	श्रीमती नीलम अग्निहोत्री 8009832480	0किमी 1किमी
पंचायत भवन	1	श्रीमती शशि प्रभा शुक्ला 9450202549	0किमी
सरकारी राशनकार्ड की दुकान	1	रामकान्ती 9453805030	0किमी
पीएचसी	1	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अमृतपुर श्रीमती प्रिया गौड़ एएनएम 8545925162	1.5 किमी
तहसील	1	अमृतपुर	500 मीटर
विकास खण्ड	1	श्राजेपुर	10 किमी
पोस्ट आफिस	1	अमृतपुर	2.5 किमी

#### प्राकृतिक संसाधन उपलब्धता संख्या एवं दूरी

क्रमांक	संसाधन	दूरी	संख्या	विवरण / नाम / सम्पर्क संख्या	मोबाईल नं.
1	तालाब	0,1 किमी	7	जागेश्वर सिंह	9795638687
2	कुआं	1 किमी	1	ब्रम्हदत्त शुक्ला	9450202549
3	सोता / नाला	100 मी	1	ब्रम्हदत्त शुक्ला	9450202549
4	गंगा नदी	3 किमी	1	आशुतोष दुवे	8858999340
5	बाग	0 किमी	2	सुरेश और सुनील दत्त	
6	भौगोलिक क्षेत्रफल		540.9594 हे.		

#### मानव संसाधन

1	ग्रामप्रधान	शाषि प्रभा शुक्ला 9450202549	
2	शिक्षक	नीलम अग्निहोत्री 800832480	
3	आंगनबाड़ी	प्रबीना देवी 8707028842 आषा देवी 6387249810	
4	आशा	शोभा शुक्ला 8467930291	
5	एएनएम	प्रिया गौड़ 8545925162	
6	ग्राम विकास अधिकारी	आशुतोष दुवे 8858999340	

क्रम	कार्य विवरण	अनुमानित लागत		योग
		लेबर	मटेरियल	
1	रास्ते से धर्मेन्द्र कुषवाहा के घर तक इण्टरलाकिंग नाली कार्य	17290	84583	101873
2	अरविन्द के घर से रामनिवास के घर तक नाली निर्माण	11010	35553	46563
3	रास्ता से दुरवेष के घर तक नाली मरम्मत	5660	21235	26895
4	ग्राम पंचायत में फगिंग कार्य	9590	0	9590
5	स्ट्रीट लाईट			91440
6	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य			18744
7	गंगा मेला महिला चेंजिंग रूम	26299	95483	121782
8	हैण्डपम्प मरम्मत कार्य			19121
9	रास्ते से देषराज के घर तक इण्टरलाकिंग	13620	56218	69838
10	ग्राम पंचायत कास निर्माण कार्य	25130	136675	161805

### मनरेगा

क्रम	योजना	कार्य	खर्च	समय
1	मनरेगा	आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण	794000	तीन माह
2		तालाब का साफ सफाई		
3		मिट्टी इण्टरलाकिंग नाली कार्य	180000	1 माह

**क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास कार्य योजना वर्ष 2023-24 :-**

क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने हेतु समुह चर्चा की गई ग्राम पंचायत में वर्तमान स्थिति उससे सम्बन्धित समस्याएं उन समस्याओं के निराकरण हेतु जानकारी प्राप्त की गई। क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बलीपट्टी रानीगाँव की कार्य योजना तालिका-

क्रम	कार्य का क्षेत्र	कार्य का नाम	कार्य का विवरण	परिसम्पत्ति का स्थान	अनुमानित धनराशि रु.	अवधि	योजना का परिव्यय
1.	मानव विकास एवं सामाजिक सुरक्षा साफ सफाई एवं स्वच्छता	जल भराव वाले स्थानों का उच्चीकरण	सागर के घर से आसमपुर सम्पर्क मार्ग तक नाला निर्माण कार्य एवं उच्चीकरण कार्य 300मी0	बलीपट्टी रानीगाँव	500000	मई से जुलाई 2023	मनरेगा / 15 वॉ वित्त / आयोग / SBM
2		गाँव मुख्य रास्ता से मनीराम के घर तक नाली निर्माण कार्य	जल भराव क्षेत्र में लम्बाई 50मी0	बलीपट्टी रानीगाँव	70000	मई से जुलाई 2023	मनरेगा / 15 वॉ वित्त / आयोग / SBM
3.		गाँव की मुख्य रास्ता से छोटे दुबे के घर तक नाली कार्य	नाली कार्य लम्बाई 60 मीटर	बलीपट्टी रानीगाँव	50000	मई से जुलाई 2023	मनरेगा / 15 वॉ वित्त / आयोग / SBM
4.		बदौयू मार्ग से मन्दिर तक इन्टरलॉकिंग कार्य	70 मीटर इन्टरलॉकिंग कार्य	बलीपट्टी रानीगाँव	200000	मई से जुलाई 2023	मनरेगा / 15 वॉ वित्त / आयोग / SBM
5.	बुनियादी / आधारभूत संरचना एवं पर्यावरण	गाँव की मुख्य रास्ता से बीरपाल के घर तक नाली निर्माण कार्य	नाली कार्य लम्बाई 50 मीटर	बलीपट्टी रानीगाँव	100000	मई से जुलाई 2023	मनरेगा / 15 वॉ वित्त / आयोग / SBM
6.		ग्राम पंचायत में खाद के गड्डों का निर्माण	खाद के 50 गड्डों का निर्माण	बलीपट्टी रानीगाँव पचास स्थानों पर	112500	मई से जुलाई 2023	मनरेगा / 15 वॉ वित्त / आयोग / SBM
7.		ग्राम पंचायत में 10 स्थानों पर फिल्टर, चैम्बर निर्माण	10 स्थानों पर फिल्टर, चैम्बर निर्माण	बलीपट्टी रानीगाँव	30000	मई से जुलाई 2023	मनरेगा / 15 वॉ वित्त / आयोग / SBM
8.		विमल के घर से दीनबन्धू के घर	नाली निर्माण 100 मी0	बलीपट्टी रानीगाँव	150000	मई से जुलाई	मनरेगा / 15 वॉ वित्त

		तक नाली निर्माण				2023	आयोग / SBM
9.		गाँव की मुख्य रास्ता से प्रदीप के घर तक नाली निर्माण 70 मी0	नाली निर्माण 70 मी0	बलीपट्टी रानीगाँव	100000	मई से जुलाई 2023	मनरेगा / 15 वाँ वित्त आयोग / SBM
10		गाँव की मुख्य रास्ता से प्रेम नरायन के घर तक नाली कार्य	नाली निर्माण कार्य 50 मीटर	बलीपट्टी रानीगाँव	80000	मई से जुलाई 2023	मनरेगा / 15 वाँ वित्त आयोग / SBM
11		गाँव की मुख्य रास्ता से लालूपाल के घर तक नाली निर्माण कार्य	नाली निर्माण कार्य 40 मीटर	बलीपट्टी रानीगाँव	60000	मई से जुलाई 2023	मनरेगा / 15 वाँ वित्त आयोग / SBM
12		रामविलास के घर से राजेश के घर तक नाली निर्माण कार्य	नाली निर्माण कार्य 60 मीटर	बलीपट्टी रानीगाँव	25000	मई से जुलाई 2023	मनरेगा / 15 वाँ वित्त आयोग / SBM
13		गाँव की मुख्य रास्ता से मुकेश के घर तक नाली निर्माण कार्य	नाली निर्माण कार्य 40 मीटर	बलीपट्टी रानीगाँव	28000	मई से जुलाई 2023	मनरेगा / 15 वाँ वित्त आयोग / SBM
14		गाँव की मुख्य रास्ता से घनश्याम के घर तक नाली निर्माण कार्य	नाली निर्माण कार्य 50 मीटर	बलीपट्टी रानीगाँव	55000	मई से जुलाई 2023	मनरेगा / 15 वाँ वित्त आयोग / SBM
15		गाँव में डामर से खुशीराम के घर तक नाली निर्माण कार्य	नाली निर्माण कार्य 60 मीटर	बलीपट्टी रानीगाँव	35000	मई से जुलाई 2023	मनरेगा / 15 वाँ वित्त आयोग / SBM
16		गाँव की मुख्य रास्ता से श्याम पाल के घर तक नाली निर्माण कार्य	नाली निर्माण कार्य 60 मीटर	बलीपट्टी रानीगाँव	30000	मई से जुलाई 2023	मनरेगा / 15 वाँ वित्त आयोग / SBM
17		गाँव की मुख्य रास्ता से अनिल के घर तक नाली निर्माण कार्य	नाली निर्माण कार्य 60 मीटर	बलीपट्टी रानीगाँव	60000	मई से जुलाई 2023	मनरेगा / 15 वाँ वित्त आयोग / SBM
18		गाँव की मुख्य रास्ता से तालाब तक नाली निर्माण कार्य	नाली निर्माण कार्य 35 मीटर	बलीपट्टी रानीगाँव	25000	मई से जुलाई 2023	मनरेगा / 15 वाँ वित्त आयोग / SBM




19		सौर ऊर्जा द्वारा प्रकाश की व्यवस्था	100 घरों की छतों पर पैनल प्रकाश व्यवस्था	100 घर	20 लाख	2023-24	15वां वित्त आयोग / मनरेगा
20		नर्सरी का निर्माण	पॉली / नेट हाउस बनाकर नर्सरी तैयार करना	बलीपट्टी रानीगांव में 20 डिस्मिल ग्राम पंचायत की जमीन पर	3 लाख	2023-24	15वां वित्त आयोग / मनरेगा
21		स्थाई पशु आश्रय स्थल	30 पशु की क्षमता वाले 2 गौशाला	बली पट्टी रानीगांव एवं रतनपुर रम्होआ	50 लाख	2023-24	15वां वित्त आयोग / मनरेगा
22		वृक्षारोपण	1500 छायादार फलदार वृक्षों का रोपण जाली के साथ	तालाबों के किनारे	25 लाख	2023-24	15वां वित्त आयोग / मनरेगा
23		वर्मी कम्पोस्ट प्रशिक्षण एवं पर्यावरण जागरूकता बैठकें	वर्मी कम्पोस्ट प्रशिक्षण एवं पर्यावरण जागरूकता बैठकें	बलीपट्टी रानीगांव रतनपुर रम्होआ,	10 लाख	2023-24	15वां वित्त आयोग / मनरेगा
24		तलाब जीर्णोद्धार	सात तलाबों का जीर्णोद्धार कार्य (सफाई चबूतरा,	बलीपट्टी , रानीगाँव, 5 तालाब, रतनपुर रम्होआ 2 तालाब।	35 लाख	2023-24	15वां वित्त आयोग / मनरेगा

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव ग्रामपंचायत बलीपट्टी रानीगांव में सर्दी गर्मी एवं बरसात में रहता है। सबसे अधिक प्रभाव जुलाई से सितम्बर तक वर्षा से गंगा नदी का जल स्तर बढ़ने से फसलें नष्ट हो जाती है। जलवायु परिवर्तन की दृष्टि से ग्राम में अधिक से अधिक वृक्षारोपण किया जाये जिससे ग्राम में नर्सरी की व्यवस्था होनी चाहिए। ग्राम में विद्युत चालक फ्रीज कूलर इनका उपयोग अधिक है। इसकी जगह पर सोलर पैनल लगाने चाहिए। इसके अलावा ग्राम में कूड़ा स्थान बनाना चाहिए जिससे कूड़ा वहां इकठठा हो सके। जिसके लिए हर घर पर गीला कचरा सूखा कचरा रखने के लिए पात्र रखने चाहिए। उन पात्रों से कूड़ा सफाई कर्मचारी द्वारा प्रतिदिन कूड़ा संग्रह केन्द्र पर एकत्र करना चाहिए जिससे हमारी ग्राम सभा स्वच्छ हो जायेगी। पशुओं के गोबर से वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाने का प्रशिक्षण ग्राम वासियों को देना चाहिए। इस प्रकार हमारी ग्राम पंचायत बलीपट्टी रानीगांव क्लाइमेट स्मार्ट ग्राम पंचायत बन जायेगी।

संस्था का नाम :- विनोबा सेवा आश्रम बरतारा (शाहजहाँपुर) उ.प्र.

सर्वे टीम सदस्य के नाम

1. मुदित कुमार
2. संजीव प्रकाश
3. जे. डी. अग्निहोत्री
4. अमर सिंह



## अनुलग्नक IV: लक्ष्य, लागत, उत्सर्जन से बचाव और अनुक्रमण क्षमता का अनुमान

### हरित स्थान और जैवविविधता को बढ़ाना

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियाँ	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
1	वृक्षारोपण गतिविधियाँ	<p><b>चरण 1:</b> वर्तमान में ग्राम पंचायत में हो रही गतिविधियों के सामान (प्रधान के साथ परामर्श के दौरान जानना अनिवार्य है)</p> <p><b>चरण 2:</b> भूमि की उपलब्धता के आधार पर वृक्षारोपण लक्ष्य को 500-1000 तक बढ़ाना।</p> <p><b>चरण 3:</b> भूमि की उपलब्धता के आधार पर लक्ष्य को 500-1000 तक और बढ़ाना।</p>	<p>वृक्षारोपण (तैयारी, पौधारोपण, श्रम आदि)<sup>89</sup> = ₹ 70 प्रति पेड़ (पौधे डीओईएफसीसी, उत्तर प्रदेश सरकार से निःशुल्क उपलब्ध हैं)</p> <p>ट्री गार्ड (धातु)<sup>90</sup></p> <p>= ₹ 1,200 प्रति इकाई</p> <p>वृक्षारोपण का रखरखाव: ₹ 1.5 लाख/हेक्टेयर</p>	<p>सागौन की प्रजातियों के आधार पर अनुक्रमण की क्षमता का अनुमान - प्रति पेड़ 5.6 से 10 टन कार्बन डाइऑक्साइड (tCO<sub>2</sub>e)</p> <p>कृषि वानिकी के लिए वृक्षारोपण घनत्व 100 पेड़/हेक्टेयर माना जाता है</p>
2	आरोग्य वन	<ul style="list-style-type: none"> <li>300-400 हेक्टेयर से कम क्षेत्र वाले ग्राम पंचायत के लिए, 0.1 हेक्टेयर क्षेत्र के आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है।</li> <li>लगभग 1000 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाली ग्राम पंचायत के लिए, भूमि की उपलब्धता के आधार पर 0.2-0.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले एक आरोग्य वन का सुझाव दिया जा सकता है।</li> </ul>		
3	कृषि वानिकी	<p>(यह व्यक्तिपरक हो सकता है और कृषि-वानिकी गतिविधियाँ <b>चरण 1</b> से शुरू की जा सकती हैं )</p> <p><b>चरण 2:</b> कुल कृषि भूमि का 40% ; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना</p> <p><b>चरण 3:</b> शेष कृषि भूमि ; साथ ही + प्रति हेक्टेयर 100 पेड़ लगाया जाना</p>	<p>कृषि वानिकी की लागत<sup>91</sup> = ₹ 40,000/हेक्टेयर<sup>92</sup></p>	

89 वृक्षारोपण दिशानिर्देशों और ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत

90 लागत बाजार भाव के अनुसार

91 कृषि वानिकी दिशानिर्देशों पर उप-मिशन, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के अनुसार लागत

92 <https://link.springer.com/article/10.1007/s42535-022-00348-9>

## सतत कृषि

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मुला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
1	सूक्ष्म सिंचाई-ड्रिप एवं स्प्रिंकलर (छिड़काव) सिंचाई	<p><b>चरण 1:</b> कुल कृषि भूमि का 30% सम्मिलित किया जाना</p> <p><b>चरण 2:</b> कुल कृषि भूमि का 70% सम्मिलित किया जाना</p> <p><b>चरण 3:</b> कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना</p>	₹ 1 लाख प्रति हेक्टेयर	
2	बांधों का निर्माण	<p><b>चरण 1:</b> सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 50%</p> <p><b>चरण 2:</b> सम्मिलित की जाने वाली कुल कृषि भूमि का 100%</p> <p><b>चरण 3:</b> मेड़ों का रखरखाव</p> <p>- मेड़ों का निर्माण कृषि क्षेत्रों की परिधि पर किया जाता है</p> <p>- ग्राम पंचायत में किसानों के पास विभिन्न आकारों की भूमि होती है। अनुमान : सभी खेत वर्गाकार होते हैं।</p>	1 मी. मेड़बंदी के लिए <sup>93</sup> = ₹150	
3	कृषि तालाबों का निर्माण	<p><b>चरण 1:</b> 5-10 तालाब</p> <p><b>चरण 2:</b> 15-20 तालाब चरण : यदि आवश्यक हो तो अधिक + तालाबों का रखरखाव</p> <p>1 कृषि तालाब की क्षमता = 300 m<sup>3</sup></p> <p>ग्राम पंचायत में बड़े खेतों की संख्या + तालाबों की आवश्यकता पर निर्भर करता है (प्रधान से की गई बातचीत के आधार पर)</p>	1 कृषि तालाब का निर्माण <sup>94</sup> = ₹90,000	

93 एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

94 एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त सुझावों के अनुसार लागत

4	प्राकृतिक खेती अपनाना	<p><b>चरण 1:</b> कुल कृषि भूमि का 15% सम्मिलित किया जाना</p> <p><b>चरण 2:</b> कुल कृषि भूमि का 40% सम्मिलित किया जाना</p> <p><b>चरण 3:</b> कुल कृषि भूमि का 100% सम्मिलित किया जाना</p>	<p>a. प्रशिक्षण और प्रदर्शन (3 सत्र): ₹ <b>60,000</b></p> <p>b. प्रमाणीकरण (विशेषज्ञ परामर्श के आधार पर): ₹ <b>33,000</b></p> <p>c. फसल प्रणाली का परिचय- जैविक बीज खरीद; नाइट्रोजन संचयन संयंत्र लगाना--&gt; प्रति एकड़ लागत = ₹ <b>2,500</b></p> <p>d. एकीकृत खाद प्रबंधन- तरल जैव उर्वरक की खरीद और उसका उपयोग; तरल जैव कीटनाशकों की खरीद और उसका उपयोग; प्राकृतिक कीट नियंत्रण तंत्र की स्थापना; फॉस्फेट युक्त जैविक खाद---&gt; प्रति एकड़ लागत = ₹ 2,500</p> <p>e. गणना (प्रति एकड़ परिवर्तन की लागत) = a + b + c + d = ₹ 1,00,000 कुल लागत<sup>95</sup>: क्षेत्र (हेक्टेयर) * e--&gt; 2.471 * 1,00,000 = ₹ <b>2,47,100</b></p>
---	-----------------------	---	--

## जल निकायों का प्रबंधन और कायाकल्प

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
1	वर्षा जल संचयन (आरडब्ल्यूएच) संरचनाएं	<p><b>चरण 1:</b> सभी सरकारी/पीआरआई भवनों में</p> <p><b>चरण 2:</b> सभी पीआरआई भवनों + पुनर्भरण गड्ढों में वर्षा जल संचयन संरचनाओं (आरडब्ल्यूएच) की स्थापना (एचआरवीसीए में सुझाई गई )</p> <p><b>चरण 3:</b> 1000 वर्ग फुट के आवासीय भवनों में आरडब्ल्यूएच संरचनाओं की स्थापना + सभी नए भवनों में आरडब्ल्यूएच प्रणाली को शामिल करना</p>	<p>10 m<sup>3</sup> क्षमता वाली 1 वर्षा जल संचयन संरचना की लागत<sup>96</sup> = ₹ <b>35,000</b></p> <p>1 पुनर्भरण गड्ढे की लागत<sup>97</sup> = ₹ <b>35,000</b></p>	

95 यूपी राज्य जैविक प्रमाणीकरण एजेंसी ( UPSOCA\_Tariff\_20March.pdf (apeda.gov.in) ) और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) दिशानिर्देश

96 छत पर वर्षा जल संचयन दिशानिर्देश, भारतीय मानक (IS 15797:2008)

97 एचआरवीसीए में ग्राम पंचायत से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

2	जल निकायों का रखरखाव (यदि ये वृक्षारोपण समग्र हरित स्थान को बढ़ाने के प्रयासों का हिस्सा हैं, जैसा कि ऊपर बताया गया है तो लागत की दोगुनी गणना नहीं की जाएगी)	<p><b>चरण 1:</b> जल निकायों की सफाई, गाद निकालना और बाड़ लगाना + जल निकायों की परिधि के आसपास वृक्षारोपण (1000) (ट्री गार्ड के साथ)</p> <p><b>चरण 2:</b> जल निकायों के आसपास अतिरिक्त 100 वृक्षारोपण (वृक्ष रक्षकों के साथ) + जल निकायों का निरंतर रखरखाव</p> <p><b>चरण 3:</b> जल निकायों का निरंतर रखरखाव</p>	<p>अनुमानित लागत<sup>98</sup>: 1. 1 तालाब का जीर्णोद्धार (सफाई, गाद निकालना, जलग्रहण क्षेत्र में वृद्धि, आदि) = <b>₹ 7 लाख</b></p> <p>2. 1 रिटेंशन तालाब (300 मीटर<sup>3</sup> क्षमता) का निर्माण = : <b>₹ 7 लाख</b></p> <p>3. ट्री गार्ड के साथ वृक्षारोपण = <b>₹ 1,200 प्रति यूनिट</b></p> <p>4. रखरखाव की लागत:</p> <p>a. 1 तालाब/जल निकाय = <b>₹ 3, 75,000</b></p> <p>b. 1 प्रतिधारण तालाब = <b>₹ 50,000</b></p> <p>c. ट्री गार्ड वाला पेड़ = <b>₹ 20 प्रति यूनिट</b></p>	
3	जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना	<p><b>चरण 1:</b> मौजूदा नालियों की सफाई और गाद निकालना + जल निकासी के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना (नए नालों का निर्माण)</p> <p><b>चरण 2 और 3:</b> चरण 1 में जारी गतिविधियाँ जारी जायें</p>	अधिकतर एचआरवीसीए दस्तावेज़ में दी गई लागतों को देखें	

## सतत और उन्नत गतिशीलता

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
1	मौजूदा सड़क बुनियादी ढांचे को बढ़ाना	<p><b>चरण 1:</b> सड़क मरम्मत/रख-रखाव कार्य + सड़क आरसीसी/इंटरलॉकिंग कार्य</p> <p><b>चरण 2 और 3:</b> सड़कों का निरंतर रखरखाव</p>	<p>सड़क रख-रखाव /मरम्मत की प्रति किमी लागत<sup>99</sup> : <b>₹ 50,00,000 प्रति किलोमीटर</b></p>	
2	मध्यवर्ती सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाना	ग्राम पंचायत की आवश्यकतानुसार सुझावों के अनुसार ई-ऑटोरिक्शा	<p>1 ई-ऑटोरिक्शा की कीमत: ~₹3,00,000</p> <p>उपलब्ध सब्सिडी: प्रति वाहन 12,000 रुपये तक</p>	

98 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत

99 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) दर/किमी के अनुसार लागत और एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट

3	ई-वाहनों और ई-ट्रैक्टर को अपनाने हेतु बढ़ावा देना	<p><b>चरण 1:</b> डीजल ट्रैक्टरों और माल परिवहन वाहनों के इलेक्ट्रिक विकल्पों को बढ़ावा देना + किसानों को ई-वाहनों के दीर्घकालिक लाभों के बारे में जागरूक करना</p> <p><b>चरण 2 और 3:</b> निरंतर जागरूकता</p>	<p>1 ई-ट्रैक्टर की कीमत = ₹ 6,00,000</p> <p>1 कमर्शियल ई-वाहन की कीमत = ₹ 5 से 10 लाख</p>	
---	---	---	---	--

## सतत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
1	अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली स्थापित करना	<p><b>चरण 1:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ग्राम पंचायत की घर-घर कचरा संग्रहण प्रणाली के तहत 100% घरों को शामिल करना</li> <li>मौजूदा कचरे का 100% एकत्र करने के लिए इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था</li> <li>कूड़ादानों की स्थापना</li> <li>अन्य हितधारकों (एसएचजी, स्थानीय स्ट्रैप डीलर, स्थानीय व्यवसाय और एमएसएमई) के साथ साझेदारी बनाना</li> </ol>	<p>कुल उत्पन्न कचरा = प्राथमिक डेटा, यदि उपलब्ध नहीं है, तो ग्राम पंचायत में उत्पन्न प्रति व्यक्ति औसत कचरा लगभग 80 ग्राम प्रति दिन लें;</p> <p>बायोडिग्रेडेबल/जैविक अपशिष्ट- 58%</p> <p>गैर-बायोडिग्रेडेबल/अकार्बनिक अपशिष्ट - 42%</p> <p>आवश्यक ई-कचरा वैन की संख्या<sup>100</sup> =</p> <p>कुल उत्पन्न कचरा/प्रत्येक वैन की क्षमता (310 किग्रा)</p> <p>कूड़ेदानों की संख्या = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों की पहचान करके अनुमान लगाया जा सकता है</p> <p>स्थान (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि)</p>	
		<p><b>चरण 2:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ग्राम पंचायत-स्तरीय पुनर्चक्रण और प्लास्टिक श्रेडर इकाई</li> <li>अतिरिक्त कूड़ादानों की स्थापना</li> <li>अतिरिक्त इलेक्ट्रिक कचरा वैन की व्यवस्था</li> <li>मौजूदा सुविधाओं/बुनियादी ढांचे का रखरखाव</li> <li>साझेदारी को बढ़ाना</li> </ol>	<p>अतिरिक्त कूड़ादान = एचआरवीसीए से या उचित स्थानों (पीआरआई भवन, सार्वजनिक भवन, पार्क, आदि) की पहचान करके अनुमानित करना ।</p>	

		<p><b>चरण 3:</b></p> <p>a. रखरखाव कार्य</p> <p>b. साझेदारी को बढ़ाना</p>	<p>लागत<sup>101</sup>: 1. 1 इलेक्ट्रिक कचरा वैन = ₹ 95,000 से 1,00,000 2. 1 कूड़ादान/कंटेनर = <sup>102</sup> ₹ 15,000</p>	
2	जैविक अपशिष्ट का प्रबंधन	<p><b>चरण 1:</b></p> <p>a. सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से कम्पोस्ट और वर्मी-कम्पोस्ट गड्डों की स्थापना</p> <p>b. पंचायत, समुदाय के सदस्यों और किसान समूहों के बीच साझेदारी मॉडल:</p> <p>1. कम्पोस्ट का उत्पादन एवं विक्रय</p> <p>2. कृषि अपशिष्ट की बिक्री</p>	<p>कुल उत्पन्न बायोडिग्रेडेबल/जैविक कचरा = प्राथमिक डेटा</p> <p>घरों, वाणिज्यिक दुकानों, सरकारी/पीआरआई भवनों, सार्वजनिक भवनों और खुले स्थानों आदि से जैविक कचरा = xxx किलोग्राम प्रति दिन (प्राथमिक डेटा के अनुसार)</p> <p>संभावित खाद की मात्रा (किलो प्रति दिन) जो उत्पन्न<sup>103</sup> की जा सकती है = xxx किग्रा/दिन जैविक अपशिष्ट / 2 प्रति वर्ष __ किलोग्राम कृषि अपशिष्ट की आवधिक खाद बनाना (प्राथमिक डेटा के अनुसार)</p>	
		<p>चरण II और III:</p> <p>a. रखरखाव और कम्पोस्ट गड्डों की क्षमता बढ़ाना</p> <p>b. साझेदारी को बढ़ाना</p>	<p>लागत<sup>104</sup>:</p> <p>1. कम्पोस्ट गड्डों की लागत संदर्भ: 30 वर्मीकम्पोस्टिंग और 15 नाडेप कम्पोस्ट गड्डे = ₹ 4,50,000</p> <p>2. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन यार्ड (जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के कचरे के लिए) लागत संदर्भ: ₹ 35,00,000</p>	
3	एकल-उपयोग-प्लास्टिक पर प्रतिबंध	<p><b>चरण 1:</b></p> <p>a. सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध</p> <p>b. जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण कार्यक्रम</p> <p>c. रेस अभियान और लाइफ़ मिशन का लाभ उठाना</p> <p>d. पंचायत, महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के बीच साझेदारी मॉडल</p>	<p>विनिर्माण के क्षेत्र में 100 महिलाओं की भागीदारी</p>	

101 लागत बाजार भाव के अनुसार

102 एसबीएम दिशानिर्देशों और एचआरवीसीए रिपोर्ट में इनपुट के अनुसार लागत

103 <https://www.biocycle.net/connection-co2-math-for-compost-benefits/#:~:text=In%20the%20process%20of%20making%20compost%20the%20microbes,food%20waste%20turns%20into%2050%20kg%20of%20>

109 एचआरवीसीए में जीपी से प्राप्त इनपुट के अनुसार लागत



		<p><b>चरण 2:</b></p> <p>a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम</p> <p>b. पंचायत और आस-पास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना</p>	अतिरिक्त 200 महिलाएं	
		<p><b>चरण 3:</b></p> <p>a. निरंतर जागरूकता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम</p> <p>b. पंचायत और आसपास के गांवों में महिलाओं, एसएचजी, एमएसएमई और व्यक्तिगत उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाना</p>	अतिरिक्त 300 महिलाएँ	
4	बुनियादी स्वच्छता ढाँचे को बढ़ाना	<p><b>चरण 1:</b></p> <p>शौचालय कवरेज बढ़ाना</p>	1 ट्विन पिट शौचालय की लागत = <b>₹15,000 से ₹20,000</b>	
		<p><b>चरण 2 और 3 :</b></p> <p>शौचालय का कवरेज बढ़ाना और मौजूदा बुनियादी ढाँचे का रखरखाव</p>		

## स्वच्छ, सतत, किफ़ायती और विश्वसनीय ऊर्जा तक पहुंच

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
1	सौर छतें	<p><b>चरण 1:</b> सरकारी/पीआरआई भवन (पंचायत भवन, स्कूल, आंगनवाड़ी, पीएचसी, सीएचसी, सीएससी आदि)</p> <p>अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता</p>	<p>कुल स्थापित रूफटॉप क्षमता = 5 वर्ग मीटर = 5 kW</p> <p>1 kWp ग्रिड से जुड़ी रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करने के लिए लगभग 10 वर्ग मीटर क्षेत्र की आवश्यकता होती है<sup>105</sup></p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में) = स्थापित क्षमता (किलोवाट) * 310 (धूप वाले दिन) * 24 (घंटे) * 0.18 (सीयूएफ) (प्रत्येक पीआरआई भवन के लिए इसकी गणना करें और कुल जोड़ें)</p> <p>स्थापित क्षमता- उपरोक्त वेबसाइट से कुल स्थापित क्षमता=पंचायत भवन+स्कूल 1+स्कूल 2....+कोई अन्य पीआरआई भवन</p> <p>प्रति किलोवाट लागत = ₹ 50,000</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या = उत्पादित बिजली/365</p>	<p>उत्पन्न वार्षिक बिजली (किलोवाट)* 0.82/1000 = ____ टन CO&lt;</p>
		<p><b>चरण 2 और 3:</b></p> <p>परिवार</p> <p>अनुमान- छत के 70% क्षेत्र की सोलर रूफटॉप लगाने के लिए उपलब्धता</p>	<p>प्रति परिवार औसत स्थापित क्षमता = 3 किलोवाट पॉवर</p> <p>परिवार स्तर पर स्थापित कुल क्षमता = परिवारों की संख्या * 3 किलो वाट पॉवर</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में)= पारिवारिक स्तर पर स्थापित कुल क्षमता (किलोवाट)</p>	

105 <https://upneda.org.in/faqs.aspx>

		<p>मानी गई स्थापित क्षमता - 3 किलोवाट पॉवर</p> <p><b>चरण 2:</b> स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों का 40%</p> <p><b>चरण 3:</b> स्थापित करने के लिए कुल पक्के घरों का 100%</p>	<p>*310 (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति किलोवाट लागत = ₹ 50,000<sup>106</sup></p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365</p>	
2	कृषि-फोटोवोल्टिक	<p><b>चरण 2:</b> उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 25%</p> <p><b>चरण 3:</b> उपयुक्त कृषि क्षेत्र का 50% उपयुक्त कृषि क्षेत्र – दलहनों और सब्जियों के अंतर्गत क्षेत्र (मूल्य 10 हेक्टेयर से कम रखें)</p>	<p>प्रति हेक्टेयर 250 किलोवाट स्थापित कुल स्थापित क्षमता = क्षेत्रफल (हेक्टेयर) * 250 किलोवाट पॉवर</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली का उत्पादन (किलोवाट में)=कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) *310 (धूप वाले दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति किलोवाट लागत = ₹ 1 लाख<sup>107</sup></p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365</p>	
3	सौर पंप	<p><b>चरण 1:</b> 20% डीजल पम्पों का बदला जाना <b>चरण 2:</b> 50% डीजल पम्पों का बदला जाना <b>चरण 3:</b> 100% डीजल पम्पों का बदला जाना</p>	<p>स्थापित क्षमता = 5.5 किलोवाट प्रति पंप</p> <p>कुल स्थापित क्षमता = बदले गए पंपों की संख्या * 5.5 किलोवाट</p> <p>वार्षिक स्वच्छ बिजली उत्पन्न= कुल स्थापित क्षमता (किलोवाट) *310 (दिन)*24 (घंटे)*0.18 (सीयूएफ)</p> <p>प्रति दिन उत्पादित स्वच्छ बिजली की इकाइयों की संख्या= वार्षिक उत्पादित बिजली/365</p> <p>प्रति पंप लागत = ₹ 3 से 5 लाख<sup>108</sup></p>	<p>डीज़ल की खपत को कम करना =390 लीटर/प्रति/वर्ष</p> <p>प्रति वर्ष कम कुल डीजल खपत = बदले गए पंपों की संख्या * 390</p> <p>उत्सर्जन से बचाव = प्रति पंप प्रति वर्ष 1.05 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (CO2e)</p>

106 एमएनआरई और मौजूदा बाजार दरों के अनुसार लागत

107 स्थापना/ लगाने की लागत बाजार दर के अनुसार

108 लागत बाजार दरों और पीएमकेएसवाई दिशानिर्देशों के अनुसार

4	रसोई में स्वच्छ ईंधन का प्रयोग	<p><b>चरण 1:</b> 25% घरों में बायोगैस स्थापित + शीर्ष आय वर्ग में 25% घरों में सौर इंडक्शन कुकस्टोव + 50% परिवार जो वर्तमान में बायोमास का उपयोग करते हैं उनके पास उन्नत चूल्हों की उपलब्धता</p> <p><b>चरण 2:</b> 50% घरों में बायोगैस स्थापित + 50 शीर्ष आय वर्ग के % घरों में सौर इंडक्शन चूल्हे + वर्तमान में बायोमास का उपयोग करने वाले 100% घरों में उन्नत चूल्हों की उपलब्धता</p> <p><b>चरण 3:</b> 100% घरों में बायोगैस स्थापित + शीर्ष आय समूहों में 100% घरों में सौर इंडक्शन चूल्हे की उपलब्धता</p>	<p>1 बायोगैस प्लांट की लागत = ₹ <b>50,000</b></p> <p>2 से 3 m<sup>3</sup> बायोगैस संयंत्र की लागत, बिना बैटरी वाले डबल बर्नर वाले सोलर कुकस्टोव की लागत = ₹ <b>45,000</b></p> <p>1 बेहतर चूल्हे की लागत = ₹ <b>3,000</b><sup>109</sup></p>	
5	ऊर्जा कुशल फिक्स्चर	<p><b>चरण 1:</b> सभी सरकारी/पीआरआई भवनों को सभी फिक्स्चर और पंखों को ऊर्जा कुशल फिक्स्चर और पंखों से बदलना + सभी परिवारों के 1 तापदीप्त/सीएफएल बल्ब को एलईडी बल्ब से या 1 फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट को एलईडी ट्यूब लाइट से बदलना</p> <p><b>चरण 2:</b> सभी तापदीप्त/सीएफएल बल्बों को एलईडी बल्ब से और सभी फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइटों को एलईडी ट्यूब लाइट से बदला जाना + सभी परिवारों में 1 पारंपरिक पंखे को ईई पंखे से बदला जाना।</p> <p><b>चरण 3:</b> सभी परिवारों में सभी पंखों को ईई पंखों से बदला जाएगा</p>	<p>1 एलईडी बल्ब की लागत = ₹ <b>70</b></p> <p>1 एलईडी ट्यूबलाइट की लागत = ₹ <b>220</b></p> <p>1 ईई पंखे की लागत = ₹ <b>1,110</b><sup>110</sup></p>	
6	सौर स्ट्रीटलाइट	<p>प्रधान से प्राप्त जानकारी के आधार पर हाई-मास्ट सोलर स्ट्रीट लाइट - प्रत्येक सरकारी / पीआरआई भवन, तालाब/झील, हरित स्थान/पार्क/खेल का मैदान/उद्यान/आरोग्य वन के लिए 1 (या आवश्यकता के अनुसार अधिक)।</p>	<p>1 हाई-मास्ट की लागत = ₹ <b>50,000</b></p> <p>1 सौर एलईडी स्ट्रीट लाइट की लागत = ₹ <b>10,000</b><sup>111</sup></p>	

109 बाजार दर के अनुसार लागत

110 विद्युत मंत्रालय द्वारा उजाला योजना दिशानिर्देशों के अनुसार लागत ( <https://static.pib.gov.in/WriteReadData/specialdocs/documents/2022/jun/doc202261464801.pdf> )

111 बाजार दर के अनुसार लागत

## आजीविका और हरित उद्यमशीलता को बढ़ाना

क्र. सं.	सुझायी गई गतिविधियां	विभिन्न गतिविधियों के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु व्यापक दिशानिर्देश (ग्राम पंचायत के आधार पर परिवर्तन हो सकता है)	संख्यावार लक्ष्य का अनुमान लगाने के लिए टारगेट/फार्मूला	अनुक्रमण क्षमता / उत्सर्जन से बचाव
1	सौर ऊर्जा चालित कोल्ड स्टोरेज का निर्माण एवं किराये पर देना	कोल्ड स्टोरेज की स्थापना	क्षमता: 1 इकाई = 5 - 10 मीट्रिक टन सब्जियों और फलों/और/या दूध उत्पादों के उत्पादन पर आधारित लागत: <b>₹ 8-15 लाख प्रति यूनिट</b> <sup>112</sup>	

112 बाजार मानदंडों के अनुसार लागत

## अनुलग्नक V: प्रासंगिक एसडीजी और लक्ष्य

### एसडीजी 2: जीरो हंगर



**लक्ष्य 2.3:** भूमि, अन्य उत्पादक संसाधनों और इनपुट, ज्ञान, वित्तीय सेवाओं, मूल्यवर्धन और गैर-कृषि रोजगार के लिए बाजार और अवसर तक सुरक्षित और समान अभिगम सहित, छोटे पैमाने के खाद्य उत्पादकों, विशेष रूप से महिलाओं, स्वदेशी लोगों, पारिवारिक किसानों, चरवाहों और मछुआरों की कृषि उत्पादकता और आय को दोगुना करना।

**लक्ष्य 2.4:** वर्ष 2030 तक, सतत खाद्य उत्पादन प्रणाली सुनिश्चित करना तथा लचीली कृषि पद्धतियों को लागू करना जो उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाती हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद करती हैं, जो जलवायु परिवर्तन, चरम मौसम, सूखा, बाढ़ और अन्य आपदाओं के अनुकूलन की क्षमता को सुदृढ़ करती हैं एवं जो भूमि और मिट्टी की गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार करती हैं।

**लक्ष्य 2.a; अनुच्छेद 10.3.e.:** सतत सिंचाई कार्यक्रमों का विकास

### एसडीजी 3: अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली



**लक्ष्य 3.3:** एड्स, तपेदिक, मलेरिया और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों की महामारी को समाप्त करना तथा हेपेटाइटिस, जल-जनित रोगों और अन्य संचारी रोगों से मुकाबला करना।

**लक्ष्य 3.9:** खतरनाक रसायनों और वायु, जल और मिट्टी के प्रदूषण और संदूषण से होने वाली मौतों और बीमारियों की संख्या में काफी कमी लाना।

### एसडीजी 6: स्वच्छ जल और स्वच्छता



**लक्ष्य 6.1:** पीने के पानी तक सार्वभौमिक और न्यायसंगत पहुंच प्राप्त करना।

**लक्ष्य 6.3:** वर्ष 2030 तक, प्रदूषण को कम करके, डंपिंग को समाप्त करके और खतरनाक रसायनों और सामग्रियों की रिहाई को कम करके, अनुपचारित अपशिष्ट जल के अनुपात को आधा करके और वैश्विक स्तर पर रीसाइक्लिंग और सुरक्षित पुनः इस्तेमाल को बढ़ाकर पानी की गुणवत्ता में सुधार करना।

**लक्ष्य 6.4:** सभी क्षेत्रों में जल-इस्तेमाल दक्षता में पर्याप्त वृद्धि करना और स्थायी निकासी सुनिश्चित करना

**लक्ष्य 6.5:** सभी स्तरों पर एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन लागू करना

**लक्ष्य 6.8:** स्थानीय समुदायों की भागीदारी को समर्थन और सुदृढ़ करना

**लक्ष्य 6.a :** अपशिष्ट जल उपचार, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल प्रौद्योगिकियों सहित जल और स्वच्छता संबंधी गतिविधियों और कार्यक्रमों में विकासशील देशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण सहायता का विस्तार करना।

## एसडीजी 7: किफायती एवं स्वच्छ ऊर्जा



**लक्ष्य 7.1:** किफायती, विश्वसनीय और आधुनिक ऊर्जा सेवाओं तक सार्वभौमिक अभिगम सुनिश्चित करना।


**लक्ष्य 7.2:** ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाना

**लक्ष्य 7.3:** ऊर्जा दक्षता में सुधार की वैश्विक दर को दोगुना करना

**लक्ष्य 7.a :** नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और उन्नत और स्वच्छ जीवाश्म-ईंधन प्रौद्योगिकी सहित स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी तक अभिगम की सुविधा के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, और ऊर्जा अवसंरचना और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी में निवेश को बढ़ावा देना।

**लक्ष्य 7.b:** विकासशील देशों में उनके समर्थन कार्यक्रमों के अनुसार सभी के लिए आधुनिक और सतत ऊर्जा सेवाओं की आपूर्ति के लिए अवसंरचना का विस्तार और प्रौद्योगिकी का उन्नयन।

## एसडीजी 8: अच्छा कार्य और आर्थिक विकास



**लक्ष्य 8.3:** विकास-उन्मुख नीतियों को बढ़ावा देना जो उत्पादक गतिविधियों, सही रोजगार सृजन, उद्यमिता, रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देती हैं, और वित्तीय सेवाओं तक अभिगम सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों की औपचारिकता और विकास को प्रोत्साहित करती हैं।

## एसडीजी 9: उद्योग, नवाचार और अवसंरचना



**लक्ष्य 9.1:** गुणवत्तापूर्ण, विश्वसनीय, टिकाऊ और लचीला बुनियादी ढाँचा विकसित करना

## एसडीजी 11: संधारणीय शहर और समुदाय



**लक्ष्य 11.2:** सभी के लिए सुरक्षित, किफायती, सुलभ और सतत परिवहन प्रणाली

**लक्ष्य 11.4:** विश्व की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की रक्षा और सुरक्षा के प्रयासों को सुदृढ़ करना

**लक्ष्य 11.7:** वर्ष 2030 तक, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों, वृद्ध व्यक्तियों और विकलांग व्यक्तियों के लिए सुरक्षित, समावेशी और सुलभ, हरे और सार्वजनिक स्थानों तक सार्वभौमिक अभिगम प्रदान करना।

## एसडीजी 12: सतत खपत और उत्पादन पैटर्न सुनिश्चित करना



**लक्ष्य 12.2:** प्राकृतिक संसाधनों का सतत प्रबंधन और कुशल इस्तेमाल प्राप्त करना

**लक्ष्य 12.4:** वर्ष 2020 तक, सहमत अंतरराष्ट्रीय ढांचे के अनुसार रसायनों और उनके पूरे जीवन चक्र में सभी अपशिष्टों का पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ प्रबंधन प्राप्त करना, और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण पर उनके प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए हवा, पानी और मिट्टी में उनकी रिहाई को काफी कम करना।

**लक्ष्य 12.5:** वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

**लक्ष्य 12.5:** वर्ष 2030 तक रोकथाम, कमी, पुनर्चक्रण और पुनः इस्तेमाल के माध्यम से अपशिष्ट उत्पादन को काफी हद तक कम करना।

**लक्ष्य 12.8:** वर्ष 2030 तक, सुनिश्चित करें कि हर जगह लोगों के पास सतत विकास और प्रकृति के साथ सद्भाव में जीवन शैली के लिए प्रासंगिक जानकारी और जागरूकता हो।

## एसडीजी 13: जलवायु संबंधी कार्रवाई



**लक्ष्य 13.1:** सभी देशों में जलवायु संबंधी खतरों और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति लचीलापन और अनुकूली क्षमता को सुदृढ़ करना।

**लक्ष्य 13.2:** जलवायु परिवर्तन उपायों को राष्ट्रीय नीतियों, रणनीतियों और योजना में एकीकृत करना।

**लक्ष्य 13.3:** जलवायु परिवर्तन शमन, अनुकूलन, प्रभाव में कमी और प्रारंभिक चेतावनी पर शिक्षा, जागरूकता बढ़ाने और मानव और संस्थागत क्षमता में सुधार करना।

## एसडीजी 15: भूमि पर जीवन



**लक्ष्य 15.1:** अंतरराष्ट्रीय समझौतों के तहत दायित्वों के अनुरूप स्थलीय और अंतर्देशीय मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र और उनकी सेवाओं, विशेष रूप से जंगलों, आर्द्रभूमि, पहाड़ों और शुष्क भूमि के संरक्षण, बहाली और सतत इस्तेमाल को सुनिश्चित करना।

**लक्ष्य 15.2:** वर्ष 2020 तक सभी प्रकार के वनों के स्थायी प्रबंधन के कार्यान्वयन को बढ़ावा देना, वनों की कटाई को रोकना, नष्ट हुए वनों को पुनर्स्थापित करना और विश्व स्तर पर वनीकरण और पुनर्वनीकरण में पर्याप्त वृद्धि करना।

**लक्ष्य 15.3:** वर्ष 2030 तक, मरुस्थलीकरण से निपटना, मरुस्थलीकरण, सूखे और बाढ़ से प्रभावित भूमि सहित खराब भूमि और मिट्टी को बहाल करना, और भूमि क्षरण-तटस्थ दुनिया को प्राप्त करने का प्रयास करना। लक्ष्य 15.5: प्राकृतिक आवासों के क्षरण को कम करने, जैवविविधता के नुकसान को रोकने के लिए तत्काल और महत्वपूर्ण कार्रवाई करना।

**लक्ष्य 15.9:** वर्ष 2020 तक, पारिस्थितिकी तंत्र और जैवविविधता मूल्यों को राष्ट्रीय और स्थानीय योजना, विकास प्रक्रियाओं, गरीबी उन्मूलन रणनीतियों में एकीकृत करना।



## अनुलग्नक VI: वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए उपयुक्त प्रजातियाँ

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
<b>इमारती लकड़ी के पेड़</b>			
अकेसिया निलोटिका	फैबेसी	बबूल	गाड़ियों के फ्रेम और पहियों, उपकरणों और औजारों जैसे उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है।
फ़िक्स रिलिजियोसा	मोरेसी	पीपल	इसमें औषधीय गुण और इसका धार्मिक महत्व है।
आज़ादिराक्टा इंडिका ए. जस	मेलियासी	नीम	नीम के पेड़ के सभी भाग - पत्ते, फूल, बीज, फल, जड़ और छाल का उपयोग पारंपरिक रूप से उपचार के लिए किया जाता रहा है। इसकी लकड़ी फर्नीचर के लिए आदर्श है, क्योंकि यह मजबूत और दीमक प्रतिरोधी दोनों है।
डालबर्गिया सिस्सो	फैबेसी	शीशम	इसके कई उपयोग हैं, हवाई और समुद्री जहाज में, कोयले के रूप में भोजन को गर्म करने और पकाने के लिए, संगीत वाद्ययंत्र बनाने आदि
मधुका लॉगिफोलिया	सैपोटेसी	महुआ	यह विभिन्न उपयोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण इमारती लकड़ी प्रदान करता है।
शोरिया रोबस्टा	डिप्टेरोकार्पेसी	साल	इसका उपयोग रेलवे स्लीपर, जहाज और पुलों के निर्माण के लिए किया जाता है।
सिनामोमम तमाला	लौरैसी	भारतीय तेज पत्ता	यह विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने में मदद करता है और खाना पकाने में इसका उपयोग किया जाता है।
<b>फल और जंगली खाद्य पौधे</b>			
मैंगीफेरा इंडिका	एनाकार्डिएसी	आम (मैंगो)	इसके सभी भागों का उपयोग पारंपरिक उपचार में किया जाता है
आर्टोकार्पस हेटरोफिलस	मोरेसी	कटहल , (जैकफ्रूट)	इसकी लकड़ी का उपयोग फर्नीचर बनाने के लिए किया जाता है। पौधे के कई हिस्से, जिनमें छाल, जड़ें, पत्तियाँ और फल शामिल हैं, पारंपरिक और लोक चिकित्सा में अपने औषधीय गुणों के लिए जाने जाते हैं।
सिडियम गुजावा	मायर्टेसी	अमरूद (गुआवा)	यह विभिन्न गैस सम्बन्धी रोगों के लिए एक सामान्य और लोकप्रिय पारंपरिक उपचार है।
एगारिकस कैम्पेस्ट्रिस एल	एगारिकेसी	धरती का फूल	एक प्रकार का मशरूम।
अंकोलसाल्विफोलियम (एलएफ) वांग	अलंगियासी	ढेरा (एको)	इसके पके फल खाए जाते हैं।
अमोर्फोफेलस पेओनीफोलियसडेनस्ट	अरेसी	हाथीपाँव, जिमी कंद	इसे सब्जी के रूप में खाया जाता है।
क्रोटोलारियाजंशिया एल.	फैबेसी	सनई	हल्की उबली हुई कलियाँ सब्जी के रूप में खाई जाती हैं।
मणिलकारा हेक्सेंड्रा (रोक्सब) डब	सैपोटेसी	खिरनी	इससे प्राप्त फलों से अचार और सॉस बनाया जाता है।

पौधों का नाम	प्रजाति (फैमिली)	स्थानीय नाम	उपयोग/औषधीय गुण
यूजेनिया जाम्बोलाना	मायर्टेसी	जामुन	इसकी जड़, पत्तियां, फल और छाल में असंख्य औषधीय गुण होते हैं।
एगल मार्मेलोस	रूटेसी	बेल	कच्चे फल, जड़, पत्ती और शाखा का उपयोग औषधि बनाने के लिए किया जाता है।
मोरस रूबरा	मोरेसी	शहतूत	शहतूत को कच्चा खाया जा सकता है और इसका उपयोग जैम, प्रिजर्व, पाई बनाने के लिए भी किया जाता है। इनमें औषधीय गुण भी होते हैं।

## औषधीय गुणों वाले पेड़

विथानियासोमिफेरा	सोलानेसी	अश्वगंधा	यह विभिन्न प्रकार के रोगों में उपयोगी है।
बकोपा मोनिएरी	प्लांटैगिनेसी	ब्राह्मी	इसका उपयोग विभिन्न सांस रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है।
एंद्रोग्राफीस पैनिकुलता	एकैथेसी	कालमेघ	यह प्रतिरक्षा को बढ़ाने में मदद करता है और इसका उपयोग सामान्य सर्दी, साइनसाइटिस और एलर्जी के लक्षणों को ठीक करने के लिए किया जाता है।
राउवोल्फिया सर्पेन्टिना	एपोसिनेसी	सर्पगंधा	इसका उपयोग कई अलग-अलग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है।

## औषधीय गुणों वाले लुप्तप्राय पेड़

एकोरस कैलमस एल.	अरेसी	बाख, बाल, घोर्बच	ब्रोंकाइटिस, खांसी और सर्दी के इलाज के लिए एक उपयोगी जातीय औषधीय पौधा।
ऐस्पैरैगस ऐडसेंडेसरोक्सबी	लिलिएसी	शतावरी	हार्मोन असंतुलन से संबंधित स्थितियों के उपचार में मदद करता है।
सेलास्ट्रस पैनिकुलैटस वाइल्ड।	सेलास्ट्रेसी	उमजैन , मुजहानी , मलकांगनी, ककुंदन	विभिन्न प्रकार की बीमारियों के उपचार में उपयोगी है।

## अन्य पेड़

पोपुलस सिलियाटा	सैलिकेसी	सेमल, कपोक	इसकी पत्तियों का उपयोग पशुओं के चारे और हर्बल चाय के लिए किया जाता है।
यूकेलिप्टस ग्लोब्युलस	मायर्टेसी	तैलपत्र	खांसी और सामान्य सर्दी के उपचार के लिए दवाओं में उपयोग किया जाता है और आवश्यक तेल बनाने के लिए भी उपयोग किया जाता है।



